खण्ड–508, अंक–03
सोमवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1941
(22 जुलाई, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, वर्ष 2019)

(खण्ड 508 में 07 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

109 स्म एए ;1.313द्ध

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	. .	1-6
प्रश्नों की महत्व एवं उस पर अनुपूरक, तत्क्रम में सारगर्भित उत्तर हेतु पीठ द्वारा बल दिया जाना	...	7
प्रश्नोत्तर	...	7-116
प्रश्नों की महत्व एवं उस पर अनुपूरक, तत्क्रम में सारगर्भित उत्तर हेतु पीठ द्वारा बल दिया जाना (जारी)	...	116-118
गोवा के मुख्य मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित तथा लोक जन शक्ति पार्टी के सांसद श्री राम चन्द्र पासवान व उ0प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार	...	118-125
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	125-127
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विद्युत तारों व पोलों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	127
जनपद फिरोजाबाद में राजकीय मेडिकल कॉलेज में कैथलैब, इको-कार्डियोग्राफी एवं संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	127-128
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	128
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	128-129
जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम जिसौरी से सफियाबाद लौटी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	129
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम पंचायत भुता में आई0टी0आई0 खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	129
प्रदेश में पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत चार शक्तियों प्राथमिकी, विवेचना, निष्पादन एवं सुरक्षा का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	129-130
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के नवसृजित ब्लाक ककोड़ को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	130

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव, ब्लाक राया, ब्लाक फरह में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130-131
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड-32 से जुड़े मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
जनपद बिजनौर में एच0एम0सी0-49 मुरादाबाद-देहरादून मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	132
जनपद बिजनौर के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय बिजनौर इण्टर कालेज की भूमि पर माननीय नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व का संज्ञान लिये बिना पार्क के रूप में विकसित करने का मौखिक आदेश कैसे और क्यों दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	132
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत नहरों पर कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	133
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	133
फिल्म आर्टिकल-15 में पासी समाज के लिये आपत्तिजनक शब्दों को फिल्म से निकलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134
प्रदेश में कतिपय हाई-वे पर विभिन्न स्थानों पर दुर्घटनाओं को देखते हुये ट्रामा सेन्टरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134
प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक, एक लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135-136
जनपद लखनऊ में दौलतगंज स्थित गोमती तटबन्ध से गुलाला घाट जाने वाली सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम नाहरपुर-दुगौली में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत एन0एच0-28 के किनारे ग्राम पंचायत कुशहरी में अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	137
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के अन्तर्गत विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	137
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1881/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (140)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	137-138
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1882/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(141)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	138
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	138
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	138
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1822/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(156)-2018, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	138-139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2285/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(157)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2286/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(160)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2287/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(161)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	139
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	139-140

विषय		पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-188/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(06)-2019, दिनांक 24 जनवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	140
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-226/ग्यारह-9(121)-17-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(08)-2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	140
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-236/ग्यारह-9(121)-17- उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (09)-2019, दिनांक 01 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	141
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-243/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(10)-2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	141
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-17/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(11)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	141
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-19/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(12)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	141
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-23/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(13)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	141-142
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-24/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(14)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	142
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-227/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(15)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	142
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-231/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(16)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	142

विषय		पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-299/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(17)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	143
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-300/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(18)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	143
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-301/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(19)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	143
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छब्बीसवा संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	...	143-144
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-231/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (21)-2019, दिनांक 18 फरवरी, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)..		144
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	...	144
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का सप्तम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	...	144
डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 6 याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	144-145
श्री विरेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद एटा से सम्बन्धित 9 याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	145-146
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 9 याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	146-147
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर की चार व बाराबंकी, लखनऊ तथा जालौन की एक-एक याचिका अर्थात् कुल 7 याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	147-148
श्री राजेश कुमार सिंह उर्फ (चुन्नू), सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 1 याचिका (उपस्थित की गई)	...	148
सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	...	148-149

विषय		पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	149-162
कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी को बन्धक बनाकर जेल में डाले जाने विषयक प्रकरण को उठाने का प्रयास	...	162-165
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	165-169
नत्थियां	...	170-193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-337

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
22. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
23. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
24. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
25. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
26. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
27. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
30. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
31. असलम अली, श्री — हापुड़
32. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
33. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
34. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
35. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
36. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
37. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
38. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
39. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
40. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
41. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
42. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
43. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद

44. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
45. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
46. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
47. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
48. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
49. ओमकुमार, श्री बिजनौर
50. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
51. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
52. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
53. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
54. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
55. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
56. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
57. काली प्रसाद, श्री देवरिया
58. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
59. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
60. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
61. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
62. केसर सिंह, श्री बरेली
63. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
64. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
65. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
66. गंगा, श्री कुशीनगर
67. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
68. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
69. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
70. गौरी शंकर, श्री जालौन
71. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
72. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
73. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
74. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
75. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
76. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
77. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
78. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
79. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
80. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
81. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
82. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
83. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
84. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
85. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
86. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
87. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
88. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
89. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
90. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
91. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
92. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
93. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
94. दल बहादुर, श्री रायबरेली
95. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
96. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
97. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
98. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
99. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
100. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
101. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
102. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
103. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
104. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
105. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया

106. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
107. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
108. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
109. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
110. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
111. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
112. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
113. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
114. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
115. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
116. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
117. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
118. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
119. नाहिद हसन, श्री शामली
120. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
121. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
122. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
123. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
124. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
125. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
126. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
127. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
128. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
129. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
130. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
131. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
132. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
133. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
134. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
135. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
136. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
137. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
138. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
139. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
140. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
141. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
142. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
143. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
144. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
145. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
146. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
147. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
148. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
149. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
150. बावन सिंह, श्री गोण्डा
151. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
152. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
153. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
154. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
155. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
156. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
157. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
158. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
159. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
160. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
161. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
162. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
163. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
164. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
165. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर

166. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
167. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
168. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
169. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
170. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
171. महबूब अली, श्री अमरोहा
172. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
173. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
174. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
175. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
176. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
177. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
178. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
179. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
180. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
181. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
182. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
183. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
184. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
185. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
186. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
187. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
188. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
189. योगेश धामा, श्री बागपत
190. योगेश वर्मा, श्री खीरी
191. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
192. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
193. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
194. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
195. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
196. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
197. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
198. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
199. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
200. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
201. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
202. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
203. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
204. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
205. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
206. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
207. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
208. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
209. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
210. राज करन कबीर, श्री बांदा
211. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
212. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
213. राजबाला, श्रीमती रामपुर
214. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
215. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
216. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
217. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
218. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
219. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
220. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
221. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
222. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
223. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
224. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर

225. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
226. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
227. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
228. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
229. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
230. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
231. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
232. राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
233. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
234. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
235. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
236. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
237. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
238. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
239. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
240. लाखन सिंह, श्री औरैया
241. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
242. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
243. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
244. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
245. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
246. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
247. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
248. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
249. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
250. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
251. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
252. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
253. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
254. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
255. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
256. वीरेन्द्र, श्री एटा
257. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
258. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
259. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
260. शशांक वर्मा, श्री खीरी
261. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
262. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
263. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
264. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
265. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
266. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
267. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
268. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
269. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
270. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
271. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
272. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
273. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
274. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
275. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
276. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
277. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
278. संजय, श्री बुलन्दशहर
279. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
280. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
281. संजय यादव, श्री बलिया
282. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
283. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
284. संजीव राजा, श्री अलीगढ़

285. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
286. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
287. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
288. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
289. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
290. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
291. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
292. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
293. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
294. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
295. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
296. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
297. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
298. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
299. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
300. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
301. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
302. सुचि, श्रीमती बिजनौर
303. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
304. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
305. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
306. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
307. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
308. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
309. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
310. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
311. सुरेश कुमार, श्री शामली
312. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
313. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
314. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
315. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
316. सुरेश राही, श्री सीतापुर
317. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
318. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
319. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
320. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
321. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
322. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
323. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
324. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
325. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
326. सौरभ सिंह, श्री खीरी
327. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
328. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
329. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
330. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
331. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
332. हरीराम, श्री सोनभद्र
333. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
334. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
335. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
336. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
337. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नों की महत्वा एवं उस पर अनुपूरक तत्क्रम में सारगर्भित उत्तर हेतु पीठ द्वारा बल दिया जाना

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्न शुरू करने से पहले एक पंक्ति का हमारा अनुरोध है कि प्रायः हम लोग 4-5 प्रश्नों के उत्तर ही दिला पाते हैं और आज की कार्य-सूची में भी 18 प्रश्न हैं तो यदि हम लोग सभी प्रश्नों को महत्व दें और बहुत जरूरी अनुपूरक प्रश्न ही पूछे जायें और सारवान उत्तर ही दिये जायें तो अच्छा यह रहेगा कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर सदन में ला सकेंगे। यही छोटा सा अनुरोध है और मुझे विश्वास है कि इस पर आप सब आदरणीय सदस्य ध्यान देंगे और आप सब में से कई पुराने वरिष्ठ सदस्य भी हैं जो जानते हैं कि बहुत लम्बे समय से बहुत कम प्रश्न ही उत्तरित हो रहे हैं।

<u>प्रश्नोत्तर</u>

नत्थी (क)

[11.00] तारांकित प्रश्न

***1-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

[03 सोमवार हेतु स्थगित]

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

***1-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एवं सभी उच्च स्वा0 केन्द्र में स्टाफ नियुक्ति के सम्बन्ध में

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्च स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनकी बिल्डिंग बनकर तैयार है परन्तु आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण संचालित नहीं हैं ? क्या सरकार समयबद्ध सीमा में उक्त नवनिर्मित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

प्रदेश में ऐसे 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (उच्च स्वास्थ्य केन्द्र) हैं जिनकी बिल्डिंग बनकर तैयार है किन्तु आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण संचालित नहीं हैं।

जी हां।

मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ग)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि आप स्वयं अवगत हैं कि प्रदेश आज लगातार नई-नई संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। अगर हम देखें तो वर्ष 2016 से 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश में लगातार और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु दर में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 2016-17 के अनुपात में अगर हम देखें तो 2018 मे 3.6 प्रतिशत मृत्यु दर में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास दो ही साधन हैं एक यह है कि वे निकटतम सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में अपना इलाज करायें और दूसरा यह है कि वह झोलाछाप डॉक्टरों की शरण में जायें। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये और आपके माध्यम से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि जो रिपोर्ट है उसमें लगभग 697 लोग ऐसे हैं जिनकी झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के कारण मृत्यु हो गई है। पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 का उपयोग अधिकांश ग्रामीण और गरीब क्षेत्र के लोग करते हैं। आज स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार ने भी यह माना है कि तमाम सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में मानक के अनुरूप डॉक्टर्स और वहां पर पैरामेडिकल स्टॉफ जैसे नर्स एवं अन्य स्टॉफ के न होने के कारण तमाम तरीके की समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें स्वयं उन्होंने माना है कि 18 सी0एच0सी0 और 10 पी0एच0सी0 पर स्टाफ नहीं है, वह बन्द पड़े हुये है और अभी तक उनको चालू नहीं कराया जा सका। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बात न कहिये, सवाल पूछिये, हमने पहले ही आग्रह किया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 का निर्माण वहां के भौगोलिक क्षेत्रफल और वहां की जनसंख्या के आधार पर होता है। माननीय मंत्री जी ने ही अपने उत्तर में माना है कि 18 और 10 सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 बन्द हैं। लगभग 11 लाख लोगों को यह चिकित्सीय सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध भी किया है और मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत समय लगा रहे हैं प्रश्न कर ही नहीं रहे हैं ? हमने पहले जो अनुरोध किया था वह रहा जा रहा है ? आप प्रश्न करिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। प्रश्न तो करने दें माननीय अध्यक्ष जी। उत्तर कैसे आयेगा यदि हम एक मिनट भी अपनी बात नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप कह रहे हैं एक मिनट नहीं बोलेंगे। हमने पहले ही अनुरोध किया था, छः मिनट हो गये हैं ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अध्यक्ष, जी, प्रश्न कर रहा हूं अभी ढाई मिनट हुआ है।

अध्यक्ष जी, कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में निर्मित हो चुके हैं। उसमें हमने उदाहरण भी दिया है, हमारी विधान सभा ऊंचाहार में सी0एच0सी0 रोहिनिया, हनुमानगंज में बनी है, दीनशां गौरा हरदो में बनी हुई है, जलालपुर में बनी हुई है। तीन साल हो गये हैं करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी हुई है उसमें कोई स्टाफ नहीं है, यह अभी चालू नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप सदन पर कृपा करिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो अपना उत्तर दिया है उसमें पहले उत्तर में उन्होंने कहा कि नियुक्ति न होने के कारण संचालित नहीं है। दूसरा, हमने पूछा कि क्या सरकार समयबद्ध सीमा में उक्त नवनिर्मित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 को संचालित करायेगी ? जिसमें माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह अपने-आप में विरोधाभासी है। मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक तरफ माननीय मंत्री जी ने कहा कि हां समयबद्ध इसे शुरू करायेंगे, जी हां।

श्री अध्यक्ष-

अब आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार बतायेगी कि बन्द पड़े 18 सी0एच0सी0, 10 पी0एच0सी0 जहां के लोगों को चिकित्सीय सेवा नहीं मिल पा रही है उन्हें दो माह में चालू करायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

सात मिनट हो गये आप प्रश्न कीजिये।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब दे देता हूं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, मेरा पूरा प्रश्न आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं केवल सूचित कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि क्या सरकार बतायेगी कि बन्द पड़े 18 सी0एच0सी0 और 10 पी0एच0सी0 जहां पर लोगों को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है उसको दो माह में चालू करायेगी ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि प्रदेश के अन्य सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 और अन्य ऐसे हॉस्पिटल जिसमें आजमगढ़ का अतरौलिया भी हैं उनमें जिनमें भी मानक से कम स्टाफ है उनकी क्या दो माह में पूर्ति करायेगी ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मनोज जी ने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2017 में हम लोगों की सरकार आयी थी और वह आंकड़े अपने-आप में एक गवाह है कि यह सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और कितनी मेहनत से और परिश्रम से डॉक्टर्स की पूर्ति भी कर रही है। आप लोग निर्माण करके तो चले गये वहां पर सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में भूसा रखा हुआ और बकरी भी बंधी हुई हम लोगों को दिखी। 52 पी0एच0सी0 वर्ष 2017 से अभी तक हम चलवा चुके हैं। जो यह निर्माण करके चले गये। 47 सी0एच0सी0 ऐसी थीं जो निर्माण करके चले गये थे उसको हम लोगों ने चलवा दिया है। अब दूसरी तरफ जब हम लोगों की सरकार आयी थी, आपकी सरकार आयी थी तो हम लोगों के पास जो वर्ष 2017 में रिक्त डॉक्टर्स के पद थे वह 7 हजार 3 सौ 38 पद थे आज वह जो पी0एम0एस0 सर्विस में हैं वह 5 हजार 9 सौ के लगभग हो गये हैं। लेकिन हम वहां नहीं रुके। हमने कहा हम आउट आफ वक्र्स जायेंगे, आउट ऑफ वक्र्स के साथ हमने कहा लोक सेवा आयोग से जब तक आता है, आता रहेगा। हमने कहा कि वॉक-इन-इन्टरव्यू करेंगे। हमने कहा ओपेन बिडिंग करेंगे, क्योंकि दूर-दराज में कोई जाने को तैयार नहीं होता था, चाहे वह मऊ हो, चाहे महोबा हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे देवरिया हो। हमने कहा आपको उस अस्पताल में उस डिस्ट्रिक के हिसाब से कान्ट्रेक्चुअल आधार पर रखेंगे। यह स्पेशलिस्ट की जगह है। ओपेन बिडिंग के माध्यम से आप अपना दाम बाताइये, हम उतना पैसा देंगे। जबकि यहां पर जो रेट चल रहा था। अभी एक प्रश्न आगे लगा भी है, जब यहां पर रेट कहीं

60 हजार का था तो हम वहां रु0 1 लाख 20 हजार देने को तैयार हैं, हम इसलिये तैयार हुये कि वहां पर डॉक्टर्स पहुंचाने थे। ऐसा करते हुये वर्ष 2019 तक 4733, ऐसे और डॉक्टर हम लोगों ने इक्ट्ठा किया और उनको संविदा पर रखा है। उसी का कारण है कि 2230 डॉक्टर की जगह कान्ट्रेक्चुअल ऑफ पी0एम0एस0 को मिलाकर आज इतनी जगह रह गयी है। मनोज जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको चलायेंगे नहीं, हमारी चालने की पूरी की पूरी मंशा भी है, प्रतिबद्धता भी है, जितनी जल्दी हमें डॉक्टर्स मिलते जायेंगे, क्योंकि डाक्टर्स मिलने पर ही चलती है। क्योंकि बिना डॉक्टर्स के उसको चलाया नहीं जा सकता। हमने इसके साथ अनेक और भी चीज की है। हम लोगों ने टेली मेडिसिन 28 डिस्ट्रिक्स में लागू कर दिया है। टेली कंसलटेशन पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है। ये सब व्यवस्था टेक्नॉलाजी के माध्यम से इसलिये भी लेकर आ रहे हैं कि इससे जनता को ये सुविधायें मिलें। आपने मुझे चिट्ठी भी दी है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जैसे ही होता है, मैं ये 18 के 18 चलाने को पूरा प्रयास करूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के दूसरे पार्ट में माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि क्या सरकार बन्द हुये पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 का संचालन एक समय-सीमा में करेगी। जी हां। वह समयबद्ध सीमा क्या होगी ? जो पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 बनकर तैयार हो गयी हैं, उनको कितने दिनों में सरकार चला देगी ? इसका उत्तर मा0 मंत्री जी दें।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

वर्मा जी आपने जब 52 और 57 जो सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 तैयार थीं, तो फाइलों पर कभी यह लिख कर नहीं दिया कि हम इतनी जल्दी इसका निर्माण कर रहे हैं और इतनी जल्दी हम लोग इसको चला देंगे। उसके बावजूद भी हम लोग उसे 02 साल के अन्दर चलाकर दिखा रहे हैं। आप सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं तो सरकार घेरे में आयेगी नहीं। क्योंकि, आपकी फाइल में निर्माण करते समय न हीं यह लिख गया था कि इसके अन्दर कितनी जल्दी हम लोग डाक्टर्स लेकर आयेंगे, मानव संसाधन हम लोग लेकर आयेंगे। कभी आपने यह लिखकर नहीं दिया था। निर्माण करते समय जब यह चीजें आप निर्धारित नहीं करते हैं। यही करण है कि उत्तर प्रदेश में जबसे योगी जी की सरकार आयी तो 2017 में हम लोगों ने पॉलिसी डिसीजन किया कि हम लोग किसी भी पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 का निर्माण अभी नहीं करेंगे। उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह पूछ रहे हैं कि आप कब तक कर देंगे ?

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह क्वेश्चन ऑवर है। आप भी लम्बे अर्से से पॉलिटिक्स में हैं। कोई भी सरकार कोई हास्पिटल या कोई सरकारी बिल्डिंग बनाती है तो फाइल में लिखा रहता

है कि इतने दिन बाद हम डॉक्टर दे देंगे। कितना अपच हो गया है मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञान का। वो तो बनता है, बनने के बाद जब निर्माण एजेन्सी विभाग को दे देती है कि हमने बना दिया, तब विभाग उसमें डॉक्टर भेजता है या और किसी विभाग की बिल्डिंग होती है तो उस विभाग के अधिकारी उसमें कब्जा करते हैं। ये कह रहे हैं कि आपने जब बनवाया तो फाइल में ये कहीं नहीं है कि इतने दिनों में डॉक्टर हम रख देंगे, यह कही नही होता। कृपया अपच न हो बुद्धि का , ऐसा जवाब दिया कीजिये।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मैं इस हाउस में आपकी तरह अनुभवी नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप बैठ जाइये। यह जो अपच वाली बात है, यह कुछ उत्तेजना बढ़ाने वाली है। मेरे ख्याल में आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे। आप वरिष्ठ नेता हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है कि 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार हैं जो अभी चालू नहीं कर पाये हैं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जो कई सालों से कार्यदायी संस्थाओं के पास पड़े हैं जो अभी हस्तान्तरित नहीं हुये हैं, उनकी संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी, अपना अन्तिम प्रश्न पूछें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैंने बहुत छोटा सा सवाल पूछा था कि जो आपकी पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 हैं, जिनमें मानक के अनुरूप अभी भी स्टाफ नहीं है, तो इनको आप कितने दिन में स्टाफ दे देंगे। बन्द जो हैं वह अलग हैं। तो माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और आपने कहा कि हम भर्ती कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी सरकार का यही काम है और सरकार से ही अपेक्षा की जायेगी, यह कोई घेरने का सवाल नहीं है। यह जनहित का मुद्दा है। हम तो इंगित भी कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, जनहित में ही सरकारें चलती हैं इसमें कोई दो राय नहीं और यही लोकतंत्र की परम्परा भी है और इसी को आगे ले भी जाना चाहिये। इसलिये 18,382 पद 2012 के

बाद सृजित किये गये थे, जब आपने सत्ता छोड़ी थी तब तक और आपने 11 हजार पद ही भरे थे। आज जब हमें ढाई साल हुआ है और सबको पता है कि डाक्टर्स लाने में कितनी कठिनाई होती है इसलिये पूरे 70 साल के अन्दर केवल 13 सरकारी मेडिकल कालेज उत्तर प्रदेश में थे, एक भी नया नहीं जोड़ा गया था। जबसे योगी जी की सरकार आई है तो 13 नये मेडिकल कालेज और जोड़े गये हैं इससे 500 डाक्टर्स तीन साल बाद और मिलने लगेंगे और डाक्टर्स की समस्या अब दूर होने वाली है। तो हम लोगों ने व्यवस्था ऐसी की है कि जो 2000 डाक्टर्स की कमी रह गयी है, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। जब वह हो जायेगा तो हम यह 18000 जो स्वीकृत पद हैं, उसको पूरा भर लेंगे। जो ट्रैक रिकार्ड है उसके अन्दर हम लोगों ने साढ़े पांच हजार पद ढाई साल में भरे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही यह पद भर लेंगे।

(कई सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

20 मिनट हो गये हैं इस प्रश्न को।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

डाक्टर्स कहां से आते हैं इतना तो आपको भी पता होना चाहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष कह रहा है कि माननीय मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे है और देखने में भी लगता है कि माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि नियम-49 के अन्दर आप इस पर चर्चा करा दीजिये, अभिलिखित आपको अभी दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिये चलाई जा रहीं योजनाओं एवं शिक्षकों के अवशेष मानदेय का भुगतान कराने के सम्बन्ध में

***2-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यकों का शेक्षिक व आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यकों हेतु कहा और कितने कोचिंग सेन्टर, मॉडल स्कूल व तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र आदि खोले गये हैं ? क्या प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों को नवोदय विद्यालय जौसी सुविधाओं से सम्पन्न करने और उनमें तैनात शिक्षकों के अवशेष मानदेय का भुगतान किसी निश्चित समयावधि में सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

कोचिंग सेंटर नहीं खोले गये हैं।

मॉडल इण्टर कालेज जनपद गाजियाबाद में 02, बहराइच में 02, अमरोहा में 02, पीलीभीत में 02, मेरठ में 02, बागपत में 02, मुरादाबाद में 01 लखीमपुर खीरी में 02 बरेली में 01, सिद्धार्थनगर में 01, रामपुर में 02, बिजनौर में 02 बलरामपुर में 02, कुल 23 मॉडल इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य हो रहा है। तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत अरबी फारसी मदरसों में मदरसा मिनी आई0टी0आई. जनपद इलाहाबाद में 04, अम्बेडकरनगर में 06, अमेठी में 02, आजमगढ़ में 05, बलिया में 02, बांदा में 01, बाराबंकी में 05, बरेली में 01, बस्ती में 04, भदोही में 02, बिजनौर में 03, बदायूं में 01, बुलन्दशहर में 02, चन्दौली में 01, देवरिया में 03, इटावा में 02, फैजाबाद में 01, फतेहपुर में 02, फिरोजाबाद में 01, गाजीपुर में 01, गोण्डा में 01, गोरखपुर में 07, हमीरपुर में 01, हापुड़ में 02, हरदोई में 02, जौनपुर में 02, झांसी में 01, कन्नौज में 02, कानपुर देहात में 02, कानपुर नगर में 01, कोशाम्बी में 02, लखीमपुर खीरी में 01, कुशीनगर में 04, लखनऊ में 03, महराजगंज में 03, मैनपुरी में 01, मऊ में 02, मेरठ में 02, रायबरेली में 02, संतकबीरनगर में 01, शाहजहांपुर में 03, सिद्धार्थनगर में 16, सीतापुर में 02, उन्नाव में 06, वाराणसी में 03, औरैया में 01, जालौन में 01, फर्रुखाबाद में 01, कुल 124 मिनी आई0टी0आई0 संचालित हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण की योजना संचालित है जो केन्द्र पुरोनिधानित है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर शिक्षकों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न सं0-02, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, यह प्रश्न माननीय मो0 फईम इरफान का है।

श्री मो0 फईम इरफान-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा संस्थाओं में कामयाबी दिलाने के उद्देश्य से सरकार निकट भविष्य में कोचिंग सेंटर स्थापति करने की कोई योजना बनायेगी ? मेरे प्रश्न के उत्तर में जिन 23 मॉडल इण्टर कालेजों का निर्माण किया जाना बताया गया है। वह अल्पंसख्यकों का किस प्रकार शैक्षिक व आर्थिक पिछड़ापन दूर करेंगे ? मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन कॉलेजों में अल्पसंख्यक

वर्ग के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता देने और फीस में छूट देने जैसी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी और उत्तर के क्रम में जिन 124 आई0टी0आई0 को संचालित करना बताया गया है, उन्हें प्रति वर्ष सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाती है ? क्या मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों को नवोदय विद्यालय की तरह जो अपने आप में एक मिसाल है, जैसी सुविधायें देने की योजना सरकार बनायेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आखिरी बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के नारे को सार्थक बनाने के उद्देश्य से अनुदानित मदरसों में तैनात शिक्षकों के कई वर्ष के बकाये मानदेय का भुगतान किसी निश्चित समयावधि तक करने का भरोसा दिलायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, बता दें।

***श्री लक्ष्मी नारायण-**

मान्यवर, माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न किया है, जिस वातावरण में वह पले हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी प्रकार का भेदभाव किया ही नहीं जाता है। यहां तो ''सबका साथ, सबका विकास'' का नारा है और इसका परिणाम है कि सबका साथ, सबका विकास, इसीलिये सब का विश्वास, यह इसका उदाहरण है। जो आपने मॉडल इण्टर कॉलेज की बात कही है। इन मॉडल इण्टर कॉलेजों में कोई भी छात्र प्रवेश ले सकता है। दूसरा, हमने मदरसों में जो आधुनिकीरण की योजना चलाई है, मान्यवर, उसमें पहले जो परम्परागत मदरसे थे, उसमें जो पढ़ाई होती थी, उसके अलावा गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, सोशल स्टडी के जितने कोर्सेज हैं, उन सब कोर्सों को इसीलिये लागू किया गया है और उनको मॉडल इण्टर कॉलेज इसीलिये बनाया गया है कि इनसे छात्रों का विकास हो सके। अब तक जो मदरसे थे, वह तुष्टीकरण की नीति पर केवल परम्परागत थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, उन्होंने मुख्य बात यह पूछी है कि जो मदरसों के अध्यापकों का काफी लम्बे समय से वेतन बकाया है, उसको सरकार देने पर क्या विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं, उन्होंने कई सवाल पूछे हैं।

श्री मो0 फईम इरफान-

सबसे पहले इन्होंने यह कहा कि इनकी परवरिश कैसे हुई है, यह तो गलत बात है, इस तरह से अल्फाज कहना गलत बात है, यह पूरी तरह से दबाने की साजिश है। मैं क्या पूछ रहा हूं और वह क्या जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आपको कोई नहीं दबायेगा।

श्री मो0 फईम इरफान-

मैं अपने आप में गंगा-जमुनी तहजीब की एक मिसाल हूं मा0 मंत्री जी, जो आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी आपसे क्या कहा नवोदय विद्यालय जो हम सबके लिये इबादत हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठियें, हम उत्तर दिला रहे हैं।

हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 सदस्य ने प्रश्न किया है तो उसका जवाब तो दे दें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 सदस्य ने कह दिया कि गंगा-जमुनी तहजीब में पैदा हुआ हूं, मैं कहां अरब कन्ट्रीज में पैदा हुआ हूं, मैं तो मथुरा में पैदा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप वेतन वाला बता दीजिये।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, अब मा0 मंत्री जी पुष्टि करेंगे कि कहां पैदा हुये हैं। आप कार्यवाही दिखवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें उत्तर देने दीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मथुरा के नाम पर आपको चिढ़ क्यों हो रहीं है। मान्यवर, जितने भी मदरसे हमारे सहयोग से चल रहे हैं। समस्त मदरसों का पूरा वेतन दिया जा रहा है। आधुनिकीकरण योजना 1998 में केन्द्र सरकार ने लागू की थी, इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट को राज्य सरकार 2 हजार रुपये वेतनमान देती है और पोस्ट ग्रेजुएट को हम 3 हजार रुपये वेतनमान देते हैं। हमने पूरा वेतनमान राज्य सरकार का दे दिया है केवल 2 महीने का बाकी है जो हमने सेप्लीमेंट्री में मांग लिया है। इसमें केन्द्र ने सक नियम बना दिया कि अब राज्य का 40 फीसदी अंश होगा और 60 फीसदी केन्द्र का अंश होगा। उसके बाद चुनाव आ गये उसके बाद 4 करोड़ रुपया आ भी चुका है। हमने इस सम्बन्ध में पत्र भी लिख दिये हैं बहुत जल्दी इनका वेतन दे दिया जायेगा।

प्रदेश के विशिष्ट चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 पर ओ0पी0डी0 को दो शिफ्टों में करने के सम्बन्ध में

***3-सुश्री अदिति सिंह, श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों, महानगरों के विशिष्ट चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 पर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये उनके समुचित इलाज व परामर्श हेतु ओ0पी0डी0 दो शिफ्ट में प्रातः 08.00 बजे से 02.00 बजे तथा 02.00 बजे अपराह्न से सायं 08.00 बजे तक किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

सुश्री अदिति सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिय मा0 मंत्री जी से सवाल करने के लिये, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि पहले भी इस टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है लेकिन जब हम लोग कोई सवाल पूछते हैं एक विधायक होने के नाते तो कम से कम इससे तो ज्यादा लम्बा हमें उत्तर मिलना चाहिये। हम जनप्रतिनिधि हैं और हमें आन्सर मिल रहा है ''जी हां। विचाराधीन है।''

श्री अध्यक्ष-

यह तो ठीक है, संक्षेप में उत्तर है संक्षेप में प्रश्न यह अच्छी आदत है, आप भी संक्षेप में पूछ लीजिये।

***सुश्री अदिति सिंह-**

जहां तक प्रश्न की बात है तो मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो आपने कहा है कि ''जी हां। विचाराधीन है।'' तो इसे, कब तक लागू करने का प्लान है। जबसे मैं विधान सभा में आई हूं उससे भी पहले से भी ''एवरी आर्ग्यूमेंट इज एबाउट'' कि डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टॉफ नहीं है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं आदि। तो कम से कम जो इग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, जो इग्जिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको तो हमें मैक्सिमाइज करना चाहिये। तो प्लीज आप हमें बताने का कष्ट करें कि कब तक आप हमें सुविधायें दे सकेंगे।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह विचाराधीन इसलिये कहा गया है क्योंकि अभी इस पर कार्यवाही हो रही है जब तक हम इसे कैबिनेट नहीं ले जायेंगे तब तक हम इसको उस तरह से रख नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप कैबिनेट ले जायेंगे ना।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, कैबिनेट ले जायेंगे, प्रस्ताव बन रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। एक पाइलट के रूप में हम लोगों ने, अभी हॉल ही में मैं स्वयं कानपुर गया था और कानपुर में आई0एम0ए0 का एक सेंटर था उसको इनॉग्रेट किया था। आई0एम0ए0 के सेन्टर में जब मैंने अपनी बात रखी तो मैंने यह कहा था कि आप लोगों के पास जो डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स जो हैं वह कहीं हमारे यहां कुछ काम करना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, यह सच्चाई है। उन्होंने मेरे कहने पर पिछले हफ्ते हमें एक प्रस्ताव भेजा है। जहां पर उनके जो नैफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो-इंट्रोलॉजिस्ट हैं डायबिटिक क्लीनिक के लिये मंगलवार से शनिवार तक उनके यहां से 04:00 से 06:00 बजे तक दो घण्टे के लिये बैठेंगे। उसके साथ ही उन्होंने बाकायदा एक प्रस्ताव दिया कि पर घण्टे कितना देंगे ?

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होकर बोलने पर)

श्री लल्लू जी, आप बैठ जायें मैं उत्तर दे रहा हूं। सुनने की शक्ति रखें। ये गलत बात हैं। मा0 अध्यक्ष जी, अगर लल्लू जी यह सोचते हैं कि पायलट केवल प्लेन में ही होता है तो उसके लिये मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 विधायक जी ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब माननीय मंत्री जी दें।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी, आप बैठ जायें, आपको मैं अनुमति अभी देता हूं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, समय-सीमा क्या है, उसका जवाब मा0 मंत्री जी दें ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इस पर हम लोग अभी निर्णय नहीं कर सकते हैं। उसका प्रस्ताव मैं अभी रखूंगा, मगर सैद्धान्तिक रूप से हम लोगों ने स्वीकार किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी से भी इस संबंध में वर्ता हुई है कि उसको शुरू किया जाये और जब निश्चित (फिक्स्ड) हो जायेगा, तब हम यह सेवा (सर्विस) अपने पी0एम0एस0 सर्विस वालों के लिये भी इसको प्रस्ताव के रूप में उनको बीच में लेकर जायेंगे और स्वीकार (एक्सेप्ट) होने की पूरी सम्भावनायें हैं। आपका जो प्रश्न था वह खाली यहां तक ही नहीं है, उसमें हम लोगों ने काफी हद तक कार्यवाही भी कर

दी है। अदिति जी, पायलट शब्द का मतलब लल्लू जी नहीं समझे हैं, आप उनको 'पायलट' शब्द का मतलब अलग से समझा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 लल्लू जी, आपका अन्तिम प्रश्न।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बड़े स्पष्ट तरीके से पूछा है कि 08:00 से 02:00 और 02:00 से 08:00 इस पर मा0 मंत्री जी का उत्तर आया है कि विचाराधीन है। मा0 मंत्री जी ने यह कहा है कि अभी हम कैबिनेट में ले जाने की तैयारी कर रहें है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस कैबिनेट में ले जाने की बात कर रहें हैं। इस कैबिनेट में, अगली सरकार की कैबिनेट में या उसके बाद की सरकार की कैबिनेट में ले जाने की बात कर रहे हैं। ये कब कैबिनेट में ले जायेंगे, कब तक करेंगे, इसकी समय सीमा बता दें ? मा0 अध्यक्ष जी, सदन जनहित के मुद्दों की जानकारी के लिये तो है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 लल्लू जी, हम अपने ही सरकार की कैबिनेट में ले जायेंगे, आपके कैबिनेट की नौबत नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 लल्लू जी, आप हमारी बात को सुनें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, आप विधायकों को संरक्षण दीजिये। आप विपक्ष के संरक्षणदाता हैं सत्ता पक्ष के नहीं।

श्री अध्यक्ष-

श्री लल्लू जी, आप बैठें। आप हमारी बात सुनिये। जब एक स्पष्ट आश्वासन आ गया है कि हम कैबिनेट में ले जायेंगे, तो आप वरिष्ठ हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही सदन में किसी प्रकार का आश्वासन आता है तो आश्वासन समिति अधिकारियों को बुलाकर बार-बार उस विषय का संज्ञान लेती है, बार-बार उनसे जवाब-तलब करती है। मा0 मंत्री जी के उत्तर में स्पष्ट आश्वासन आया है। जब आश्वासन आ गया तो उससे बड़ी बात और क्या चाहिये। मा0 उमाशंकर सिंह जी, अन्तिम प्रश्न करें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक करने का हमें मौका दिया। मा0 मंत्री जी इस बात पर बल दिये, हम लोगों के प्रश्न के बाद मा0 मंत्री जी में यह जागरूकता आयी होगी कि अगर

हम दो शिफ्ट में व्यवस्था देंगे, तो निश्चित रूप से मरीजों का कल्याण होगा। हमें उम्मीद है कि हम जब अगली बार यहां पर बैठें, उससे पहले यह कैबिनेट से हो जाये और मा0 मंत्री जी सदन में हम लोगों को बतायें कि हमने यह व्यवस्था दे दी है। हम लोगों को भी बहुत खुशी होगी और हम लोग मेज थप-थपाएंगे। मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इधर दो सालों में मरीजों की अस्पतालों में रेगुलर औसतन उपस्थिति है।

क्या हम यह दो शिफ्ट में करने के बावजूद भी उन मरीजों को समुचित तरीके से सुविधा दे पाने में सक्षम होंगे जिससे कि मरीजों को बाहर न जाना पड़े या हम कोई और पॉयलट प्रोजेक्ट या कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसके अलावा भी करेंगे ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था इसीलिये की जा रही है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या हम और बढ़ा नहीं पा रहे हैं जिससे कि मरीज और डॉक्टर का रेशियो बना रहे। उसके तहत मरीजों को और उपचार मिल सकेगा। अब यह कहना है कि (जो उनका बड़ा स्ट्रेट प्रश्न है) इससे पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो जायेगी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इससे व्यवस्था बेहतर होगी, खराब नहीं होगी, हम बेहतर की तरफ चलें और यदि कुछ ऐसी आवश्यकता उसके बाद भी पड़ती है तो उसका भी फिर प्रयास करना चाहिये। यह हम लोगों का निरन्तर एक प्रयास होना चाहिये इस सदन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-04 पुकारे जाने पर)

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आप नये सदस्यों को संरक्षण नहीं देंगे तो हम लोग कैसे अपनी बात रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप नये नहीं हैं, ढाई साल हो गया। अब यहां कोई नया नहीं है। संग्राम यादव जी आप बैठें।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

जिस प्रश्न का उत्तर आ गया और मा0 मंत्री ने विचाराधीन होने की बात कही तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होना चाहिये क्योंकि जब आश्वासन बन गया और मंत्री जी ने संकेत दे दिया कि हम उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं तो फिर उसके बाद किसी प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं है। आप यह चाहते हो कि सारे प्रश्न आ जायं तो मान्यवर, इनको भी उसमें सहयोग करना चाहिये। आप देखिये कि सरकार की मंशा क्या है ?

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आप नये सदस्यों को संरक्षण दीजिये उनके साथ भेदभाव न हो।

श्री अध्यक्ष-

आप नये नहीं, इतने वरिष्ठ हैं कि आप तो यहां पहले बहुत बड़ा हंगामा मचा चुके हैं।

(हंसी)

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी आजमगढ़ स्वयं गये थे, वहां पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आजमगढ़ वाली बात अलग से कर लीजियेगा। आप एक ही सवाल आगे बढ़ जाने दीजिये। आप जो परामर्श देंगे उसे हम पूरा मानेंगे, आप हमारे अंग हैं। अब बैठिये, तारांकित प्रश्न संख्या-4 पुकार लिया है।

प्रदेश में वक्फ के विचाराधीन जमीन के विवादों के सम्बन्ध में

***4-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वक्फ की कितनी जमीन के विवाद बोर्ड के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन हैं ? क्या सरकार प्रदेश में वक्फ की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा को चिन्हित कर उन्हें कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-54 के अन्तर्गत वक्फ न्यायाधिकरण में 65 सन्दर्भ लम्बित है तथा धारा-54 के अन्तर्गत बोर्ड के समक्ष 69 प्रकरण विचाराधीन है। वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-52 के अन्तर्गत 07 वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित विवाद विचाराधीन है।

उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ की सम्पति के अवैध विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-52 के अन्तर्गत 266 सम्पत्तियों पर कब्जा दिलाने हेतु जिलाधिकारियों को अधियाचन भेजे गये हैं। शेष 55 वक्फ सम्पत्तियों पर कार्यवाही प्रचलित है। वक्फ सम्पत्तियों पर कार्यवाही प्रचलित है। वक्फ सम्पत्तियों के नाजायज अतिक्रमण के सम्बन्ध में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-54 के अन्तर्गत 216 प्रकरणों पर कार्रवाई कर निर्णय हेतु वक्फ न्यायाधिकरण को सन्दर्भित किया गया है।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-52 एवं धारा-54 के अन्तर्गत सम्यक् कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि मैं 35 साल की उम्र में विधायक जरूर बना हूं लेकिन आपके आशीर्वाद से 03 चुनाव लड़ने का मौका मिला है और 25 साल के उम्र से चुनाव लड़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप मूल विषय पर आये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, 10-15 साल के तजुर्बे में वक्फ बोर्ड में धारा-307, 302 और अन्य कई प्रकार की संगीन क्राइम्स देखे हैं, लड़ाई देखी है। मेरा तजुर्बा है कि यह 03 कैटेगरी में आता है और मैं मंत्री जी के संज्ञान मे लाते हुये पूछना चाहता हूं कि इसका क्या निवारण है ? मुख्य रूप से एक कब्रिस्तान का जब डिमार्केशन नहीं होता है, उसमें अक्सर जो लैण्ड-माफिया है, जहां बाउण्ड्रीवाल नहीं है, डिमार्केशन नहीं है उस कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा करके वहां प्लाटिंग करने की कोशिश करते हैं और रोकने पर उलेमा के लोग या जो अच्छे वहां के जिम्मेदार लोग उसमें प्रयास करते हैं तो वहां पर लड़ाई होती है, गोलियां चलती हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है बाजपेयी जी।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, प्रश्न कर रहा हूं। मैं बता दूं कि तीन कैटेगिरी की प्राब्लम्स हैं इसका निवारण क्या है, यही पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बताइये नहीं केवल प्रश्न करिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मैं सवाल पर आ रहा हूं। दूसरी जितने भी हमारे वक्फ बोर्ड के तहत मस्जिदें इत्यादि हैं और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उसमें कभी कभी मुतवल्ली के विरोध के बावजूद लोगों ने, दुकानदारों ने, गैराज वालों ने जमीन कब्जा की हुई है और उसकी वजह से जो वहां पर नमाज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पढ़ने वाले लोग हैं उनको प्राब्लम होती है। क्योंकि वहां पर उन लोगों ने मस्जिदों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने अभी तक प्रश्न नहीं किया बाजपेयी जी। कृपया करके प्रश्न करिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं प्राब्लम्स इसलिये गिना रहा था कि इन प्राब्लम्स की वजह से जो फिक्शन प्वाइंट है इसकी वजह से मैं कई केसेस जानता हूं जिसमें 307, 302 गोली बम चलने के केसेस हुये हैं। लोग घायल हुये हैं, मरे हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि यह भविष्य में प्राब्लम न आये। इस ग्रीवियन्स को सॉल्व करने का सिस्टम हो। यह बहुत बड़ी प्राब्लम है। प्रॉपर्टी राइट की क्लीयेरिटी होनी चाहिये कि वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी है और जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं उसको वक्फ को वापस कैसे दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। आप प्रश्न नहीं पूछ पाये। माननीय मंत्री जी आप बाजपेयी जी को बुलाकर बात कर लीजियेगा।

(विपक्ष के सदस्यों के यह कहने पर कि उत्तर दिलवा दीजिये)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर किस बात का आयेगा जब प्रश्न ही नहीं हुआ।

(विपक्ष की तरफ से शोर, माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न सं0-5 पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। आप लोग शोर कर रहे हैं इस तरह से प्रश्नोत्तर नहीं हो पायेगा।

पी0एम0एस0 संवर्ग व एम0बीबी0एस0 चिकित्सकों के वेतन विसंगति को दूर किये जाने विषयक की जानकारी

***5-श्री मनीष असीजा-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग से पी0एम0एस0 संवर्ग में नियुक्त होने वाले सामान्य चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 तथा विशेषज्ञ चिकित्सक एम0एस0/एम0डी0 का वेतन एक समान है एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को ''स्पेशल पे'' के नाम से मात्र 750/- रु0 प्रतिमाह का भत्ता अलग से प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार को अवगत है कि वर्तमान में निजी क्षेत्र में और स्वयं सरकारी अस्पतालों में वाक इन इन्टरव्यू कान्ट्रैक्चुअल तथा विडिंग प्रणाली से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों एम0एस0/एम0डी0 का वेतन सामान्य चिकित्सकों एम0बी0बी0एस0 की तुलना में बहुत अधिक

हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करते हुये विशेषज्ञ चिकित्सकों के वेतनमान को पुनः निर्धारण करने/बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। वेतन एक समान है।

स्पेशल पे के नाम पर अलग से कोई भत्ता नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार द्वारा संचालित एन0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात चिकित्सकों को अपेक्षाकृत ज्यादा मानदेय दिया जाता है।

नियमित चिकित्सकों (सामान्य/विशेषज्ञ) के कैडर रिव्यू का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लिये अत्यन्त लोक महत्व के इस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी से कुछ प्रश्न करूंगा। पर उससे पहले मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत लम्बे समय से कैडर रिव्यू की मांग चली आ रही थी और हम लोग पिछले सदन में भी साक्षी हैं कि कैडर रिव्यू के लिये लगातार आवाज उठती थी। कभी किसी सरकार ने कैडर रिव्यू पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिये मैं अपनी सरकार का, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का सार मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सार नहीं सवाल करिये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, जो हमारा पी0एम0एस0 संवर्ग है जिसमें एम0बी0बी0एस0 या एम0डी0, एम0एस0 डाक्टर काम करते हैं तो यह बहुत बड़ी विसंगति थी इस संवर्ग में कि एम0बी0बी0एस0 डाक्टरों का वेतनमान और एम0डी0, एम0एस0 डाक्टरों का वेतनमान एक था तो इस कारण से विशेषज्ञ डाक्टर्स सरकारी सेवाओं में आने से कतराते थे। पुरानी खराब व्यवस्था कैडर रिव्यू न होने के कारण यह व्यवस्था चल रही थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जबसे कैडर रिव्यू की नियमावली के लिये काम शुरू किया है और इस बीच में वॉक इन इन्टरव्यू या कान्ट्रैक्चुअल डाक्टर्स रखे। अब विसंगति यहां पर यह आ रही है कि पहले के जो डाक्टर्स हैं वह जहां 70 हजार रुपये से शुरुआत करते हैं तो यह संविदा के डाक्टर्स डेढ़ लाख कहीं-कहीं दो लाख और ढाई लाख पर काम करते हैं। इस कारण से पहले से काम करने वाले डाक्टर्स के अन्दर उनके काम करने के वातावरण में प्रभाव पड़ता है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो पी0एम0एस0 संवर्ग में कैडर रिव्यू का काम शुरू कर रहें हैं तो क्या इसमें पूर्व सृजित पदों से करेंगे, जो लगभग साढ़े अट्ठारह हजार हैं या जो विभिन्न इकाइयां हैं, जैसे एफ0आई0यू0 हैं, सी0एच0सी0 है, पी0एच0सी0 है। वर्तमान मानकों के हिसाब से इनके पद अगर आप श्रेणीवार करें तो साढ़े अट्ठारह हजार से काफी ज्यादा हो जायेंगे। क्या पहले श्रेणीवार पदों का सृजन करके कैडर रिव्यू करने का काम करेंगे या पूर्व पदों पर करेंगे? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो पहले से पी0एम0एस0 संवर्ग में एम0डी0एम0एस0 के पदों पर डाक्टर्स काम कर रहे हैं तो कैडर रिव्यू करने के बाद जो नया अधियाचन करेंगे उससे पहले से पहले जो इस कैडर में काम कर रहे है, उनके वेतनमान में वृद्धि के लिये आप क्या रहे हैं ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में इसकी आवश्यकता है और इसीलिये हम लोगों के यहां जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। जब हम लोक सेवा आयोग में जाते हैं। तो लोक सेवा आयोग में यह कहकर नहीं जाते कि इतने पद स्पेशलिस्ट के लिए चाहिये और इतने पद एम0बी0बी0एस0 के लिये चाहिये। जो भी आ जाता है वह एम0बी0बी0एस0 करके ही आता है और उसी तरह से फिर उन लोगों को हम लोग रखते हैं। उसमें स्पेशलिस्ट आ गया तो बहुत अच्छा है, इसीलिये हम लोग अलग-अलग कैडर बना रहे हैं। जो सुझाव उन्होंने दिया है उसे मैं सुझाव के रूप में ले लेता हूं, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी विस्तार से वह आग्र लेकर जाना पड़ता है। इसको कैबिनेट तक प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसकी तैयारी चल रही है। इतना कह सकता हूं कि दोनों में अन्तर करते हुये एल-1 पर हम लोग शुरू करते हैं तो दूसरा जो स्पेशलिस्ट कैडर होगा, वह एल-2 या किसी और मानक पर हम लोग उसे लेकर आयेंगे फिर उनके प्रमोशन्स को देखते हुये और उसको एन्सेन्टीवाइज करते हुये उसको एक स्तर पर जाकर हम लोग कन्वर्जन्स लायेंगे, फिर कन्वर्जन्स करते हुये एक प्रपोजल है और एक दूसरा भी चल रहा है। दूसरा यह है कि टोटल अलग एक कैडर बना दिया जाये और फिर आगे जाकर कन्वर्ट किया जाये तो अब कौन सा फाइनल होता है इसे मैं अभी नहीं कहूंगा, वह बाद में पता चलेगा। इस पर हम लोग बहुत जल्द काम करके इसको जल्द से जल्द अप्रूव करना चाहते हैं और जो भी हमारे यहां काम कर रहे हैं स्पेशलिस्ट होंगे तो उनको उसका बेनिफिट जरूर दिलवायेंगे।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था कि आयोग में जब हम जाते हैं तो वहां स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी नहीं है और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाह रहे है। हम इस पर लगे हुये हैं कि कैटेगरी में बांट दिया जाये कि हमको स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट चाहिये पिछली बार भी इन्होंने

यह कहा था कि हम प्रक्रिया कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया 2019 तक, 2020 तक या 2022 तक पूर्ण हो जायेगी या उससे आगे भी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य का सीधा सा प्रश्न है, आप उसका जवाब दे दें।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह तो जाहिर है कि यह प्रक्रिया इसी सरकार में शुरू की गयी है, किसी ने पहले सोचा नहीं और उसको जब हम शुरू करना चाहते हैं तो जिस तरीके से और जितनी जल्दी हम जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बातचीत कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपनी सरकार में ही करेंगे तो आपको क्रेडिट नहीं लेने देंगे।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के वक्तव्य से पूरी तरह सहमत हूं। जहां तक मैंने भी अध्ययन किया है कि सरकार इस पर काफी आगे तक जा चुकी है। मैं आपके माध्यम से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता जूं कि हमारे जो कांट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हैं, उनको हम अभी छः घण्टे की सुविधा पर रख रहे हैं, वह मेडिको लीगल नहीं करते, पोस्टमार्टम नहीं करते, इमरजेन्सी नहीं करते और उनको एक सुविधा और है, वह सुविधा यह है कि वह अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका अन्तिम प्रश्न क्या है ?

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न लोक महत्व का है। इसमें आखिरी सुविधा यह है कि अगर उनकी प्रैक्टिस इस दौरान जम जाती है तो वह सरकार की सेवाओं से बाहर भी जा सकते हैं।

चूंकि डाक्टर्स की इस वक्त जो उपलब्धता है सरकार के द्वारा मेडिकल कालेज खोलने के कारण से अब काफी कम हो गई है तो जो कान्ट्रैक्चुअल डाक्टर्स का जो कान्सेप्ट है इसकी एक बार पुनः समीक्षा करके इनकी सुविधाओं के अनुपात में पी0एम0एस0 संवर्ग के बीच का जो गैप है उसे कम करने पर विचार करेंगे।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय सदस्य का सुझाव है सुझाव सुन लिया है आगे जब पूरा का पूरा बनेगा तो उसमें इस सुझाव को भी रख लूंगा।

प्रदेश में मच्छरों के काटने से होने वाली जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि बीमारियों से निजात दिलाने के सम्बन्ध में योजना की जानकारी

***6-श्री संजय गर्ग-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मच्छरों के काटने से जापानी इन्सेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, काला ज्वर, दिमागी बुखार आदि के फैलने से निजात दिलाने हेतु सरकार एक वृहद् कार्य योजना बनाकर उसे लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0)/जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जे0ई0) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य कार्य योजना-2018 तैयार की गयी थी जो कि दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को जारी की गयी। इसके उपरान्त प्राप्त परिणामों के आधार पर कार्य योजना-2019 तैयार कर दिनांक 01 फरवरी, 2019 में जारी की जा चुकी है, जिसके अनुसार पूरे प्रदेश में कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार कालाजार रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कालाजार उन्मूलन कार्य-योजना वर्ष 2018 तैयार कर दिनांक 09 जनवरी, 2018 को जारी की गई थी और उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर कार्य योजना 2019 तैयार कर दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी की जा चुकी है, जिसके अनुसार पूरे प्रदेश में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेई जी बैठ जायें। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। अब गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। अब बैक नहीं होगी। अगले वाले में पूछ लेना।

(मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी बहुत गम्भीर प्रश्न है और गम्भीरता का अहसास हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार में जो चमकी बुखार से होने वाली मृत्यु है उससे सीमावर्ती जनपदों और अन्य हिस्सों में इसकी गम्भीरता और ज्यादा बढ़ जाती है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं उसी के माध्यम से इस उद्देश्य के साथ यह प्रश्न करना चाहता हूं कि 2017 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में जिस तरह से बच्चों की मृत्यु हुई उसके बाद जो प्रिकाशन्स ली जानी चाहिये थी वहां उसके बाद मेडिकल कालेज से यह आंकड़े आने बन्द हो गये कि उससे इफेक्टिव कितने बच्चे हुये और कितने बच्चों की मृत्यु हुई या नहीं हुई यहां तक स्थिति पैदा

कर दी गई कि मीडिया के लोगों को भी वहां जाने नहीं दिया जाता है। इसलिये जो जवाब आज माननीय मंत्री जी ने दिया है कि रोकथाम के लिये एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस और जापानी इन्सेफ्लाइटिस के लिये 2018 में योजना बनी और तैयार करके लागू की गई दिसम्बर, 2019 में इसके उपरान्त प्राप्त परिणामों तो प्राप्त परिणाम क्या आये जिसके आधार पर 19 की कार्य योजना बनाई उसमें मृत्यु दर कितनी रही इन बीमारियों के कारण क्या इस तरह का कोई आंकड़ा है या किन परिणामों के आधार पर आपने 2019 की योजना बनाई और इसी आधार पर कालाजार रोकने के लिये भी आपने 2018 में योजना लागू की और 2019 में उसके आधार पर आपने योजना बनाई तो वह परिणाम क्या थे एक तो यह बता दें और 2019 में क्या कार्य योजना है रोकने के लिये यह बता दें। कई बार इस तरह का वायरस होता है तो आइडेंटीफाई नहीं हो पाता और सीधे ब्रेन को इफेक्ट करता है इसके लिये जो नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ वायरोलाजी पुणे में है क्या इस तरह के राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट को भी पैनल में लेकर इस तरह की योजना को बनाने का काम किया गया है या नहीं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मैं आखिरी बात से शुरू करता हूं यह जो कार्य योजना बनाई गई थी उसमें स्पेशलिस्ट और अनेक संस्थाओं को जोड़ा था, यूनीसेफ को जोड़ा था डब्ल्यू0एच0ओ0 को जोड़ा था, ट्राई को जोड़ा इसके अन्दर फिर एक एन0जी0ओ0 है पाथ उनका भी हम लोगों ने पूरा सहयोग लिया। इसमें नीति आयोग के भी कुछ सुझाव थे उसको भी हम लोगों ने जोड़ा था इस कार्य योजना की जो 2018 की जिसके आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अन्दर कुछ सफलताएं भी पाई हैं। वह कार्य योजना एक प्रकार से 20 बिन्दुओं पर है इसके अन्दर मैं पूरा कहें तो 20 बिन्दु पढ़ दूं। यह महत्वपूर्ण है मैं तो चाहूंगा कि सदन के माध्यम से सबको जानकारी हो अन्तर्विभागीय गतिविधि हम लोगों ने निर्णय की इसके अन्दर 11 विभाग थे जिसके अन्दर स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया और इसके अन्दर अनेक विभाग थे चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास, पशुपालन, मत्स्य फिर आई0सी0डी0एस0, स्वच्छ भारत मिशन, कृषि एवं शिक्षा विभाग सबको इसमें जोड़ा गया और इसको लेते हुये हम लोगों ने तीन दफे संचारी रोग नियंत्रण का अभियान चलाया था। वर्ष 2018 में और इस बार वर्ष 2019 में भी हम लोगों का दूसरा संचारी रोग अभियान चल रहा है जो 31 जुलाई को खत्म होता है और इसके अन्तर्गत हम लोगों ने स्कूल की कराई फरवरी थी, प्रभात फेरी भी कराई थी। अगर आपको आंकड़े दें तो हमने 2,87,087 स्कलों में रैलीज की थी, क्योंकि इसके माध्यम से प्रचार-प्रसार होता है जागरुकता आती है। हमने 1,66, 712 प्रभात फेरी करायी। हम लोगों ने ग्राम प्रधान के अन्तर्गत आयोजित लगभग 80,000 ग्राम सभायें रखी। इसके अतिरिक्त हमने वी0एच0एस0एन0सी0 की लगभग 76,000 बैठक रखीं। जे0ई0, ए0ई0 और कालाजार बीमारी से लड़ाई करने के अन्तर्गत हमें शौचालायों के निर्माण में बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर जे0ई0 और ए0ई0 की

बीमारी है वहां पर 55 लाख शौचालय बनाये गये हैं। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में 04 लाख के ऊपर नालियों की सफाई तथा नगरीय क्षेत्रों में 1,36,000 के ऊपर नालियों की सफाई की गयी है। इसके अतिरिक्त 1,57,000 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गयी है और 1,25,000 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के प्लेटफार्म की मरम्मत की गयी है। इसके अलावा 11 लाख हैण्डपम्प का चिन्हीकरण किया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, यह विवरण बहुत लम्बा है इसलिये अगर आपका कोई पिन-प्वाइंट प्रश्न हो तो वह पूछ लें।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मेरा जो मूल प्रश्न है वह यह है कि इन बीमारियों के कारण 2017 में प्रदेश में कितने बच्चों की मृत्यु हुई ? आपने जो योजना लागू की, उसकी वजह से 2018 में क्या उन आंकड़ों में कमी आई, जिसके आधार पर आपने 2019 की योजना को बनाया है ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 संजय जी, हो सकता है कि इस सदन के अन्दर मैं जो चीजें रख रहा हूं हो सकता है वह हमारे संज्ञान में न आएं इसलिये आप लोग भी उसमें सुझाव दे सकते हैं, हम उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिये मैं इसको पढ़ रहा था।

श्री संजय गर्ग-

यह जितने भी प्रिकॉशन्स है यह प्रिवेन्टिव है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

हां, यह प्रिवेन्टिव हैं और प्रिवेन्टिव से ही कुछ चीजों में सुधार होता है। मैं अभी आपको उसके आंकड़े भी दे देता हूं।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न केवल इस आशय के साथ था कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में 2017 में जब बच्चों की मृत्यु हुई थी उसके बाद से मेडिकल कालेज के बुलेटिन में उनकी मृत्यु के बारे में बताना बन्द कर दिया गया, इवेन मीडिया को भी वहां जाने से रोका जाने लगा तो सबके दिमाग में यह संदेह है कि इन तमाम प्रिकॉशन्स के लिये जाने के बावजूद भी अगर बच्चों की मृत्यु दर में कमी नहीं आई है तो क्या सरकार यह आंकड़े छिपाने का काम कर रही है ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह इनका मूल प्रश्न नहीं था। आप प्रश्न पढ़ लें, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि सरकार इनफार्मेशन छिपाने की कोशिश कर रही है। मा0 सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है। जहां तक इनको आंकड़े चाहिये तो मैं आंकड़े भी दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इनका यह कहना है कि 2018 के बाद क्या प्रगति हुई है, एक बात ? दूसरी बात, एक संस्था का उल्लेख हुआ कि क्या उस संस्था से विश्लेषण की और उस संस्था जैसी अन्य संस्थाओं से कभी परामर्श लेने की कोई योजना है ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, अगर मैं 2016 का उल्लेख करूं तो इसके अन्दर ए0ई0एस0 से जो ग्रसित थे वह 3911 केसेज थे और उसमें 641 बच्चों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2017 में ए0ई0एस0 से ग्रसित लोग बढ़े थे और वह संख्या 4724 हो गयी थी और 2018 में इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई और वह संख्या 3077 हो गयी। उसी तरह 2017 में ए0ई0एस0 बीमारी से 655 लोगों की मृत्यु हुई थी और 2018 में यह आंकड़ा 248 रहा यानि 655 से 2018 में यह आंकड़ा 248 पर आ गया और अभी 2019 में भी हम उसी पीरियड के आंकड़े ले सकते हैं जो 2018 के थे। वर्ष 2018 में जो मृतक थे वह 18-07-2018 मगर दो दिन पहले तक के वह 111 थे। वर्ष 2019 में 25 बच्चे अभी तक ए0ई0एस0 के मृतक हुये हैं, यह ग्राफ गिरा है और इसका कारण यह है कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स किये गये उसके अन्दर हम लोगों को जो चीजें समझ में आईं जिसमें हमें यह लगा कि इस प्रिवेंटिव मेजर्स में किन-किन एरियाज में हमें और बल देना चाहिये। इस प्रकार हमने उसमें ज्यादा बल देना शुरू किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2018 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के अन्दर जितने केसेज आ रहे थे, क्योंकि वहां पर इसके लिये व्यवस्था थी और हम लोगों के पास सुझाव के रूप में आया कि उपचार अगर ग्रामीण क्षेत्र में ही होने लगे तो पेसेन्ट कम जायेंगे, इसलिये हम लोगों ने पीकूज, मिनी पीकूज और ई0टी0सी0 सेन्टर और ग्रामीण क्षेत्र में अपने सी0एच0सी0 को स्ट्रेन्थन करना शुरू किया और वह भी वेन्टीलेटर्स के साथ। इसी तरह धीरे-धीरे हम लोगों ने वर्ष 2018 में 145 वेन्टीलेटर ऐड किये और उसका लाभ भी मिला है। अब हम लोग वर्ष 2019 के लिये 35 से 36 वेन्टीलेटर और ऐड कर रहे हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में वेन्टीलेटर्स के आने से उपचार बेहतर हुआ है। ट्रेंड पीडियाट्रिक डाक्टर्स को वहां पर बैठाना शुरू किया गया तथा ए0ई0एस0 व जे0ई0 के 74 हजार ए0एन0एम0 को हमने ट्रेंड किया है और ट्रेन्ड करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इन सब चीजों का नतीजा यह हुआ है कि जो वर्ष 2017 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के अन्दर 43.8 प्रतिशत पेसेन्ट जाते थे और जिला अस्पताल या सी0एच0सी0 में 56.2 प्रतिशत जाते थे, वहीं 2018 में बी0आर0डी0 में 29.9 प्रतिशत पेसेन्ट हो गये है, वहां पर मरीजों का जाना कम हो गया, क्योंकि हमने अब उपचार ग्रामीण क्षेत्रों में करना शुरू कर दिया है। जिला अस्पतालों और ग्रामीण अस्पतालों में 70.1 प्रतिशत मरीज जाने लगे हैं। इन सारी चीजों पर बड़ी साइन्टिफिकली कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा आप कभी अलग से चर्चा करें या सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया है। सरकार की नीति भी आ गयी है।

(इसी मध्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

***श्री अजय कुमार लल्लू-**

माननीय अध्यक्ष जी, सारे तथ्य झूठे पेश किये जा रहे है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं हाउस में खड़े होकर कह रहा हूं और इनसे कहिये कि नेतागिरी न करें और इनके पास जो तथ्य है वह हाउस में रखें और बैक-अप दें अगर तथ्य न हों तो रिजाइन करें। यहां पर भाषणबाजी बिल्कुल न करें। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी सवाल होने दीजिये, कृपया आप बैठ जायें। अब अगला प्रश्न लिया जा रहा है।

जनपद मथुरा में वायु सेवा संचालित कराये जाने की जानकारी

***7-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के मध्य पर्यटकों के सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु जनपद मथुरा को सम्मिलित करते हुये सरकार वायु सेवा संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

पर्यटन स्थलों के मध्य पर्यटकों के सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु वायु सेवा संचालित कराये जाने की राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

लागू नहीं।

वायु सेवा के संचालन हेतु मूलभूत सुविधाओं जैसे हवाई अड्डा/हवाई पट्टी आदि की आवश्यकता होती है। जिन पर्यटन स्थलों पर हवाई अड्डा/हवाई पट्टी निर्मित है, वहां से वायु सेवा के संचालन हेतु यदि किसी निजी आपरेटर द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है, तो उसे उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वायु सेना के संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपेक माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न करने का मकसद बहुत साफ है। पर्यटन विभाग की पालिसी में बार-बार कहा जाता है कि हम वायुसेवा की कनेक्टिविटी देने के लिये प्रयत्नशील हैं हर तीन माह में हम मीटिंक करके कनेक्टिविटी के बारे में लोगों को न्योता-निमंत्रण देते है। और कहते हैं कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विचार कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ाना सरकार की नीति भी है, नीयत भी है, टारगेट भी है, संकल्प भी है, लक्ष्य भी है, गोल भी है, प्रतिबद्धता भी है और आप बार-बार इसे छाती पीटकर भी कहते हैं। हमें आपके इस उत्तर से बहुत निराशा हुई है क्योंकि नागरिक उड्डयन विभाग ने एक सिरे से पयर्टन विभाग की पालिसी को खारिज कर दिया है। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब ब्रजभूमि का प्रश्न उठा है तो वहां पर फ्लोटिग पापुलेशन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। फ्लोटिंग पापुलेशन का अगर एनालिसिस किया जाये और इस दिशा में कदम बढ़ाये जायें और यदि आपकी पालिसी कन्स्ट्रक्टिव है तो मेरा सरकार से आग्रह है कि क्या वहां पर केवल हवाई पट्टी बनाने पर विचार किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो अन्य जगह हवाई पट्टी है तो वहां के लिये क्या आपने निजी आपरेटर्स को कोई न्योता/निमंत्रण दिया है अथवा नहीं दिया है। यह हमारे दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शर्मा जी, आपने अपने प्रश्न में तो केवल मथुरा की जानकारी मांगी थी उसमें अन्य जगहों के बारे में तो पूछा नहीं गया था।

***श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-**

माननीय अध्यक्ष जी, अनुरोध है कि कृपया श्रावस्ती से सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न ले लीजिये क्योंकि हमारा प्रश्न आज नहीं होना है। मेरा एक छोटा सा अनुपूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आपका प्रश्न और उत्तर सब सुना जाना है। कृपया पहले माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और विशेष रूप से जो प्रश्न की भावना थी वह उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि बाकी क्षेत्रों से मथुरा की कनेक्टिविटी होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मथुरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में हवाई पट्टी तो नहीं बन रही है लेकिन वहां पर हेलीपैड बन रहा है और उसके लिये शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा 494.65 लाख रुपये अवमुक्त कर दिये गये हैं जिसमें 20 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और दिसम्बर, 2019 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जायेगा। जहां तक प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की बात है तो कुशीनगर में भी हमने लैण्ड एक्वायर कर ली है। वहां पर बाउण्ड्री बन चुकी है और बाकी कार्य चल रहा है। जेवर के एयरपोर्ट की जमीन भी एक्वायर हो रही है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। जेवर की कनेक्टिविटी मथुरा से भी हो सकती है। साथ ही चित्रकूट में हवाई पट्टी बन रही है, झांसी में हवाई पट्टी बन रही है, सोनभद्र में बन रही है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री असलम जी पूछना चाह रहे थे तो मैं बताना चहूंगा कि श्रावस्ती में भी हवाई पट्टी बन रही है। साथ ही साथ अयोध्या और मुरादाबाद में भी हवाई पट्टी बन रही है। इसमें जहां तक निजी लोगों को प्रोत्साहन देने की बात है तो सरकार की नीति पर्यटन को बढ़ावा देने की है। जैसे प्रयागराज और लखनऊ की हवाई सेवा की कनेक्टिविटी थी और इसे प्रारम्भ भी किया गया था लेकिन उसके बाद यह सेवा बन्द हो गई क्योंकि इसमें इकोनामिकली वायबिलटी भी देखी जाती है कि वहां पर कितने पैसेन्जर्स मिलेंगे और किस तरह से संचालन किया जायेगा। जहां तक सुविधा देने की बात है तो चूंकि सरकार की मंशा पर्यटन को बढ़ाने की है तो हमने खासतौर पर निजी क्षेत्र के लोगों के लिये यह सुविधा दी है कि वह जो ईंधन इस्तेमाल करेंगे उसमें वैट में छूट दी जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उसमें हमने वैट में छूट देने की बात कही है। साथ ही साथ उनको निःशुल्क लैंडिंग, निःशुल्क पार्किंग की भी सुविधा देंगे। लगातार इस सम्बन्ध में यह प्रयास हो रहा है कि जो लोग अभी तक हवाई जहाज की केवल कल्पना करते थे अब वह लोग हवाई जहाज पर बैठ जायेंगे। पीछे यह भी न दिया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज पर बैठ जायेंगे। हमारी मंशा भी है और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। इसके लिये बहुत से स्थान चिन्हित भी कर दिये गये हैं जिसमें एयर स्ट्रिप बने और ज्यादा से ज्यादा एयर कनेक्टिविटी हो, लेकिन यह कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट है और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

सभापति जी, इसमें मेरे शहर का नाम नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया है। आपके शहर का नाम लिया गया है और आपके शहर में उनकी योजना है।

प्रदेश में वक्फ जमीनों पर से अवैध कब्जा हटाने एवं अल्पसंख्यक विभाग में नियुक्ति करने के सम्बन्ध में

***8-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कब्रिस्तान और वक्फ की जमीनों का सर्वे कराकर उन पर से अवैध कब्जे हटाने तथा इन सम्पत्तियों की नाप जोख कर सीमांकन सरकार करायेगी? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर नियुक्ति करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में कब्रिस्तान तथा वक्फ की जमींनों का सर्वे कराकर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु शासनादेश संख्या-1576/बावन-2-2007-2(14)/2000, दिनांक 31.08.07 द्वारा प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्कफोर्स गठित है। कब्रिस्तान की भूमि सुरक्षा योजनान्तर्गत विवादित कब्रिस्तान का सीमांकन प्रदेश के जिलाधिकारियों द्वारा कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में रिक्त पदों के सम्बन्ध में समूह 'ग' की रिक्तियों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। सीधी भीर्ती के समूह 'ख' के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के रिक्त 22 पदों पर चयन/संसतुति उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो गयी है। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, बहुत प्यारी बात है ''न इनकी शान घटती, न इनका रुतबा कम होता'' इन्होंने जो कुछ भी कहा है, जरा मुस्कुरा कर कहा होता। मैं अपनी बात शुरू करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बात शुरू करिएगा, भाषण मत दीजियेगा।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मुझे एक मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये मत, सवाल करिये।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, जो बोलेंगे वही सवाल होगा।

श्री अध्यक्ष-

बिना बोले सवाल हो जाता है।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, हमारे भाई वाजपेयी जी ने पहले जो बात कही थी। मैं सबसे पहले वाला सवाल लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारी ओर देखिये और सवाल करिये।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है कि जो कब्जे हो रहें हैं उसी पर मेरा भी सवाल था।

श्री अध्यक्ष-

वाजपेयी वाला नहीं। आप हमारी मदद करिये।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो उस समय कब्रिस्तान और श्मशानघाट में बाउण्ड्री बनाने की योजना थी, पिछले ढाई साल से सरकार ने यह योजना बन्द कर दी है। आज कब्रिस्तान और श्मशानघाट में सिर्फ कब्जे हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बात तो सुनिये। आप हमारी बात सुन लीजिये फिर सवाल पूछिये। आप अपना प्रश्न देखिये। आपने पूछा है कि प्रदेश के कब्रिस्तान और वक्फ की जमीनों का सर्वे कराकर उन पर से अवैध कब्जे हटाने तथा इन सम्पत्तियों की नाप जोख कर सीमांकन सरकार करायेगी। उन्होंने उत्तर दिया है कि जिला अधिकारियों को कह दिया गया है वह सीमांकन करा रहे हैं। यह प्रक्रिया जारी है। इसी में दूसरा सवाल है कि विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? आपने उत्तर दे दिया है कि हमने अधियाचन भेज दिया है प्रक्रिया जारी है और आप वाजपेयी जी वाला किस्सा बता रहे हैं।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, इनका जवाब आया है कि हमने जिलाधिकारी से कह दिया है, लेकिन ऐसा जमीन पर नहीं है। यह सारे विधायक जो है इन सबके जिलों से यही शिकायत आती है। चाहे कब्रिस्तान हो या श्मशानघाट हो वहां पर कब्जे हो रहे है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह गलत है। वह सदन को गुमराह कर रहे है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल क्या है ?

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मेरा सवाल यही है कि कब्रिस्तानों में जो कब्जे हो रहे है उसमें क्या अल्पसंख्यक मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कब्रिस्तान और वक्फ की जमीनों का सर्वे कराकर उन पर से अवैध कब्जे हटाने तथा इन सम्पत्तियों की नाप जोख कर सीमांकन सरकार करायेगी।

मान्यवर, आज भी कब्जे हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल क्या करना चाहते हैं।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, हमारा सवाल है कि जो बाउण्ड्री हमारी सरकार में बनवाई गयी वह दीवारें गिरा दी गयी है और उस पर कब्जे हो रहे हैं। आज उस पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी को आदेश दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्या जानना चाहते है।

हाजी इरफान सोलंकी-

कानपुर में इन्होंने अब तक कितने काम किये हैं। ऐसी कितनी रिपोर्ट इनके पास है कि इन्होंने वहां के कब्जे हटाये है। यह किसी भी जनपद का उदाहरण दे दें कि वहां पर यह काम किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर मेरे पास भिजवा दीजिये मैं इनको कह दूंगा।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक जिले में डी0एम0 की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो भी कब्रिस्तान की जमीन होती है कहीं शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जहां आप यह कह रहे है कि दीवार गिरायी जाती है। कानपुर में दीवार कोई नहीं गिरी। अगर अवैध कब्जों की दीवार गिरी है तो रामपुर में गिर सकती है। आप अवैध कब्जों के बारे में मुझे कभी भी बतायें। अभी हमने पिछले सप्ताह पीलीभीत में ईदगाह और कब्रिस्तान से कब्जे हटवाये। शामली में हमने अवैध कब्जे हटवाये हैं। बिजनौर में ईदगाह की भूमि से अभी अवैध कब्जे हटवाये है। जहां भी शिकायत मिल रही है वहां तत्काल

कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कोई इस तरह की बात आपके यहां हो मैं व्यक्तिगत रूप से उसको दिखवा लूंगा। आप मुझे लिखकर दे दें।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मेरा सवाल यह है।

(इस बीच हाजी इरफान सोलंकी अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे लेकिन उनका माइक आफ था।)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठे। आपका उत्तर आ गया। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि किसी भी जनपद का हो तो वह दिखवा लेंगे। आप लिखकर भेज दीजिये।

प्रदेश में 108 व 102 नम्बर की एम्बुलेन्स को बजटीय प्राविधान करने के सम्बन्ध में

***9-श्री नफीस अहमद-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 108, 102 नम्बर की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के वाहन वर्तमान में धनाभाव के कारण जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधा को सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु बजटीय प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। 108 व 102 एम्बुलेन्स सेवा सफलतापूर्वक संचालित है। राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा इस हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में एम्बुलेन्स सेवा 108 एवं 102 के संचालन हेतु बजटीय प्राविधान व व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

108 एम्बुलेन्स हेतु :-

वित्तीय वर्ष	बजटीय प्राविधान (रु0 करोड़ में)		व्यय धनराशि (रु0 करोड़ में)
	राज्य बजट	एन0एच0एम0बजट	
2017-18	250.00	91.76	212.48
2018-19	300.00	108.87	301.97
2019-20 (माह मई, 2019 तक)	300.00	164.66	51.31

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

102 एम्बुलेन्स हेतु :-

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की धनराशि (रु0 करोड़ में)	व्यय धनराशि (रु0 करोड़ में)
2017-18	299.90	135.43
2018-19	299.64	177.56
2019-20	111.17	29.25 (जून, 2019 तक)

उपरोक्तानुसार पर्याप्त बजट उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से मेरे दो सवाल है। प्रदेश में 108 एवं 102 नम्बर की कितनी एम्बुलेन्स हैं और कितनी एम्बुलेन्स चालू हालत में हैं ? दूसरा सवाल यह है कि क्या मा0 मंत्री जी कोई ऐसी कमेटी बनायेंगे कि जिससे यह पता चल सके कि 108 एवं 102 नम्बर की एम्बुलेन्स सही रूप से चल रही है या नहीं चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं जो एम्बुलेन्स मौके पर पहुंचती नहीं है ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, हमारी जब सरकार आई थी तब 108 नम्बर की 1488 एम्बुलेन्स थी, जिसमें से 662 एम्बुलेन्स ऐसी थी जो जर्जर थी और उनको रिप्लेस करना था। हमने उन एम्बुलेन्सों को रिप्लेस भी किया है और मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों का पालन करते हुये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट और शहरी क्षेत्र में 15 मिनट के अन्दर एम्बुलेन्स पहुंचाने के लिये हम लोग संकल्पबद्ध है। इस बार 712 एम्बुलेन्स और जोड़ दी गई है जो कि हर जनपद में चली गई है। आज के दिन उत्तर प्रदेश में 108 नम्बर की 2200 एम्बुलेन्स कार्यरत है और 102 नम्बर की कुल 2270 एम्बुलेन्स है। हमारे कार्यकाल में 102 नम्बर की 1554 एम्बुलेन्स जो जर्जर हो गई थीं उनको रिप्लेस किया गया है। मैं कार्यवाही की दृष्टि में बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने 102 नम्बर की एम्बुलेन्स चलाने वाले लोगों की धनराशि में से 52.41 करोड़ रुपया काटा है पेनाल्टी भी लगाई गई है और उसी तरह से 108 नम्बर की एम्बुलेन्स चलाने वालों को धनराशि को काटा गया है। आपकी जो व्यवस्था चल रही थी उसके अन्दर भुगतान नहीं किया गया था और हमने 22.12 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है और फिर पेनाल्टी भी काटी गई है। इस तरह से हम लोगों ने 18-19 करोड़ रुपये

का भुगतान किया है तो आपकी सरकार के दौरान नहीं किया गया था। इसमें व्यवस्था पूरी है और वह अच्छी तरह से चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। †

प्रदेश में पी0आर0डी0 जवानों के मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में

***10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत पी0आर0डी0 के जवानों का मानदेय बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रान्तीय रक्षक दल विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनिल राजभर)-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-417/पचास-यु0क0-2019-102(पी0वी0डी0)/1988, दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा पी0आर0डी0 जवानों का दैनिक पारिश्रमिक रु0 250 से बढ़ाकर रु0 375/- किया जा चुका है।

प्रदेश के अल्संख्यक बाहुल्य जनपदों में साफ पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में जानकारी

***11-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में साफ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कितने पानी की टंकी, इण्टरमीडिएट स्कूल एवं हास्पिटल स्थापित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

एम0एस0डी0पी0 (वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 187 पेयजल योजनायें (पानी की टंकी), 52 राजकीय इण्टर कालेज तथा 01 राजकीय नर्सिंग कालेज की स्थापना की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में महिलाओं के सुरक्षा हेतु चलाई जा रही मुखबिर योजना के सम्बन्ध में जानकारी

***12-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये मुखबिर योजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने प्रकरण सरकार के संज्ञान में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रदेश में संचालित मुखबिर योजना सीधे महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा से सम्बन्धित नहीं है अपितु लिंग अनुपात के नियंत्रण हेतु सहायक योजना है। भ्रूण हत्या/लिंग चयन/अवैध गर्भपात में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थानों के विरुद्ध मिथ्या ग्राहक के माध्यम से डिक्वॉय ऑपरेशन संचालित करने हेतु मुखबिर योजना दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू की गयी है जिसके मुख्य-मुख्य प्राविधान निम्नवत् हैं :-

लिंग चयन/भ्रूण हत्या/अवैध गर्भपात के गैर कानूनी कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थानों के सम्बन्ध में गोपनीय रूप से सूचना देने वाले व्यक्ति (मुखबिर) व डिक्वॉय ऑपरेशन के माध्यम से निरीक्षण कार्य में सहायता करने वाली गर्भवती महिला (मिथ्या ग्राहक) एवं मिथ्या ग्राहक के सहायक को पुरस्कार स्वरूप क्रमशः रु0 60,000/- रु0 10,000/- व 40,000/- की धनराशि 03 किस्तों में प्रदान की जायेगी।

पुरस्कार हेतु यह योजना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी है। डिक्वॉय ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया के पूर्व/दौरान/पश्चात् मुखबिर की पहचान गुप्त रखे जाने के अधिकतम प्रयास किये जायेंगे। इस हेतु मुखबिर को एक कोड प्रदान किया जायेगा। डिक्वॉय ऑपरेशन में किसी गर्भवती महिला को मिथ्या ग्राहक के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। मिथ्या ग्राहक के गर्भवती होने के कारण योजना में मिथ्या ग्राहक हेतु सहायक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

मिथ्या ग्राहक एवं मिथ्या ग्राहक के सहायक को डिक्वॉय ऑपरेशन व मा0 न्यायालय में योजित होने वाले परिवाद में राज्य सरकार/समुचित प्राधिकारी का आवश्यकतानुसार सहयोग करना होगा।

जी हां।

प्रदेश में अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अब तक कुल 255 परिवाद/एफ0आई0आर0 मा0 न्यायालय में योजित किये जा चुके हैं, जिनमें 15 मामलों में मा0 न्यायाल द्वारा दण्डादेश पारित किया जा चुका है एवं 05 मामलों में दण्डादेश सुरक्षित किया जा चुका है।

इस योजना के अन्तर्गत 11 सफल डिक्वॉय ऑपरेशन सम्पन्न हो चुके हैं, जिसका विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

***13-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

{02 शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित}

***14-श्री नाहिद हसन-**

{विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त}

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक पदों पर विशेषज्ञों की कमी विषयक की जानकारी

***15-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक आदि प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया है, जबकि विभिन्न जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार की इनसे भी विशेषज्ञ चिकित्सक का कार्य लेने हेतु कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रशासनिक पदों पर तैनात चिकित्साधिकारियों से चिकित्सीय कार्य (क्लीनिकल वर्क) लिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 07-10-2016 द्वारा नीति निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***16-श्री धीरेन्द्र सिंह-**

[01 मंगलवार के तारां0प्र0स0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

***17-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018 में लागू ''आयुष्मान भारत योजना'' में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा इस योजना के लिये आंवटित धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय की गयी है एवं इस योजना में अभी तक

---

† नत्थी (क) का उत्तर देखें पीछे पृष्ठ 170-171 पर।

कितने लोग लाभान्वित हुये है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश में दिनांक 23 सितम्बर, 2018 से लागू की गयी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोय योजना का वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य है।

योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट एवं दिनांक 16-07-2019 तक व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

(रुपया करोड़ में)

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय धनराशि
1	2018-19	440.00	48.70
2	2019-20	1298.00	65.80
	योग	1738.00	114.50

योजनान्तर्गत अब तक कुल 1,33,915 (एक लाख तैंतीय हजार नौ सौ पन्द्रह) लोग लाभान्वित हुये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया बालिका संरक्षण गृह के सम्बन्ध में जानकारी

***18-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिका संरक्षण गृह, देवरिया का रजिस्ट्रेशन जून, 2017 में निरस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बावजूद यह किसके संरक्षण में चल रहा था तथा माह अगस्त 2018 में जांच में कितनी संवासिनियां दर्ज पाई गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

स्वैच्छिक संगठन मां विध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान, देवरिया का पंजीकरण/मान्यता जून, 2017 में नहीं बल्कि दिनांक 17-07-2017 को स्थगित किया गया था, जिसे कि नियम विरुद्ध संचालन तथा इस हेतु सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु गठित दो सदस्यीय समिति के जांचोपरान्त दिनांक 21-08-2018 को निरस्त किया गया।

प्रश्नगत संस्था की मान्यता स्थगित होने के बावजूद भी इसका संचालन श्रीमती गिरजादेवी द्वारा अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। अगस्त 2018 में जिला प्रशासन व पुलिस बल देवरिया द्वारा सम्बन्धित संस्था के गृहों में छापेमारी के दौरान कुल 23 बालक/बालिकायें पाये गये, जिन्हें अवमुक्त कराकर संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी।

जी नहीं, क्योंकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच में विचाराधीन है और मा0 न्यायालाय द्वारा प्रकरण में निरन्तर सुनवाई/अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

तदैव।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के नये पुराने हवाई अड्डों से होने वाली वर्तमान व आगामी उड़ानों के सम्बन्ध में

1-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन शहरों से देश या विदेश हेतु एक अप्रैल, 2017 के पूर्व से उड़ानें जारी थी तथा किन शहरों से सके बाद 31 मार्च, 2019 तक आरम्भ कर दी गयी हैं? आगामी समय में किस शहर से कब तक उड़ान की व्यवस्था आरम्भ होनी सम्भावित है ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

प्रदेश में स्थित हवाई अड्डों का संचालन व रखरखाव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त की गयी जानकारी के अनुसार वांछित सूचना निम्नवत् है :-

एयरपोर्ट	उड़ानें (01.04.2017 से पूर्व)		उड़ानें (01.04.2017 से जून, 2019 तक)	
	डोमेस्टिक शहरों की कनेक्टिविटी	इण्टरनेशनल देशों की कनेक्टिविटी	डोमेस्टिक शहरों की कनेक्टिविटी	इण्टरनेशनल देशों की कनेक्टिविटी
लखनऊ	8	7	18	8
वाराणसी	7	1	14	4
गोरखपुर	1	--	5	--
आगरा	1	--	3	--
इलाहाबाद	--	--	9(जेट एयरवेज की 04 उड़ानें वर्तमान में निरस्त हैं।)	--
कानपुर	--	--	4	--

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की आर0सी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में निम्नलिखित हवाई अड्डा चयनित हुये हैं, जिनका विकास कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समन्वय से कराया जा रहा है।

विकास कार्यों के बाद निम्नलिखित हवाई अड्डों से उड़ानें आरम्भ होना सम्भावित हैं:-

1	बरेली (कार्य पूर्ण)	9	म्योरपुर (सोनभद्र)
2	हिण्डन (कार्य पूर्ण)	10	चित्रकूट
3	कानपुर नगर	11	झांसी
4	आगरा	12	कुशीनगर
5	अलीगढ़	13	अयोध्या
6	आजमगढ़	14	गाजीपुर
7	मुरादाबाद	15	मेरठ
8	श्रावस्ती	16	सरसावा (सहारनपुर)

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जौरा पट्टी चिन्ता (पहाड़पुर) के ब्लाक जैतीपुर में होम्योपैथिक औषधालय के संचालन के सम्बन्ध में

2-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2017-18 में जिला योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम जौरा पट्टी चिन्ता (पहाड़पुर), ब्लाक जैतीपुर में स्वीकृत होम्योपैथिक औषधालय के नवीन भवन का निर्माण अभी तक धन का आवंटन न किये जाने की वजह से शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में निर्माण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 धर्म सिंह सैनी)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जिला कारागार के चिकित्सालय के स्टाफ के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

3-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला कारागार के चिकित्सालय में कितने चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सीय स्टाफ कितने वर्षों से कार्यरत हैं? क्या सरकार दस वर्षों से अधिक से कार्यरत चिकित्सकों तथा चिकित्सीय स्टाफ का स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जिला कारागार चिकित्सालय, शाहजहांपुर में डॉ0 नरेन्द्र पाल, चिकित्साधिकारी, लेवल-2 दिनांक 19-02-2019 से तथा श्री राम बिहारी, फार्मासिस्ट दिनांक 02-08-2012 से कार्यरत हैं।

वर्तमान में जिला कारागार चिकित्सालय, शाहजहांपुर में कोई भी चिकित्सक/चिकित्सीय स्टाफ 10 वर्षों से अधिक से कार्यरत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के बड़ी ग्राम पंचायतों में दुग्ध समिति की स्थापना करने के सम्बन्ध में

4-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में कितनी दुग्ध समितियों को संचालित किया जा रहा है ? क्या सरकार जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र की बड़ी ग्राम पंचायतों में युवाओं के स्वरोजगार हेतु तथा संसाधनों के अनुरूप अतिरिक्त दुग्ध समिति खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

वर्तमान समय में जनपद गाजीपुर में 45 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं।

वर्तमान समय में जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र में तीन ग्रामों में दुग्ध समितियां संचालित हैं।

जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र में दुग्ध समितियों की संख्या में वृद्धि हेतु पांच समितियों का गठन/पुनर्गठन वर्ष 2019-20 में किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री नफीस अहमद-

[02 मंगलवार के अतां0 प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा वृन्दावन में मेगा टूरिस्ट सर्किट (फेज-2) के अन्तर्गत थीम पार्क के विकास के सम्बन्ध में

6-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रासाद स्कीम वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 के अन्तर्गत मथुरा-वृन्दावन में टूरिस्ट फैसिलिटी का निर्माण, मथुरा वृन्दावन मेगा टूरिस्ट सर्किट (फेज-2) के अन्तर्गत थीम पार्क अकबरपुर, जयकुण्ड जैत, चन्द्रसरोवर चौमुहा,

कृष्णा सरोवर बाद का पर्यटन विकास एवं गोवर्धन के पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कराये गये/कराये जा रहे कार्यों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-टूरिस्ट फैसिलिटेशन, सेन्टर, वृन्दावन के निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा माह दिसम्बर, 2018 में पूर्ण किया जा चुका है।

2-मथुरा-वृन्दावन मेगा टूरिस्ट सर्किट (फेज-2) के अन्तर्गत थीम पार्क अकबरपुर, जयकुण्ड जैत, चन्द्रसरोवर चौमुहा, कृष्ण सरोवर बांध का पर्यटन विकास का कार्य कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम की सूडा इकाई मथुरा द्वारा माह मार्च, 2019 में पूर्ण किया जा चुका है।

3-गोर्वधन के पर्यटन विकास की योजना हेत रु0 39.73 करोड़ की स्वीकृति पर्यटन मंत्रालय, भरत सरकार के आदेश संख्या-प्रासाद-02-02-2018, दिनांक 08-01-2019 द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को कार्यदायी संस्था चयनित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा। योजना की पूर्ण की लक्षित तिथि जनवरी, 2021 है।

जनपद मथुरा के बरसाना में रोप-वे के निर्माण हेतु जानकारी

7-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोप-वे परियोजना (2018-19) के अन्तर्गत जनपद मथुरा के बरसाना में रोप-वे के निर्माण हेतु विकासकर्ता के चयन के बाद भी निर्माण में विलम्ब के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त रोप-वे का निर्माण पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मथुरा के बरसाना में रोप-वे की प्रायोजना पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रोप-वे स्थापति करने हेतु आवश्यक भूमि का कब्जा वन विभाग से दिनांक 02-07-2019 को प्राप्त कर लिया गया। यह क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) के अन्तर्गत आने के कारण आवश्यक वृक्ष को काटने की अनुमति विशिष्ट कार्य

के अनतर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय से प्राप्त की गयी है। सम्बन्धित भूमि पर स्थित वृक्षों के पातरा की पाप्त अनुमति के क्रम में कब्जा लेने के उपरान्त प्रभागी निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा एवं जिला उद्यान अधिकारी, मथुरा को दिनांक 03-07-2019 को पत्र भेजे गये हैं तथा रोप-वे का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने हेतु सम्बन्धित फर्म राधा रानी रोप-वेज प्रा0 लि0 कम्पनी को भी दिनांक 03-07-2019 को सूचित कर दिया गया है। फर्म से हुये अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में रोजगारपरक् गतिविधियां शुरू करने के सम्बन्ध में जानकारी

8-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में कौन-कौन सी रोजगार परक गतिविधियां शुरू की गयी है तथा उक्त परियोजना की कुल लागत बजट रु0 371.43 करोड़ में से आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में किस-किस कार्य पर व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश को आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में कराये जा रहे कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष 2017-18

1-मथुरा में श्री बांके बिहारी जी मन्दिर क्षेत्र का सर्वांगीण पर्यटन विकास का कार्य।

2-आगरा में शाहजहां पार्क का रिर्वाटलाईजेशन एवं ताजमहल तथा आगरा किला के मध्य पर्यटक पर एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण का कार्य।

3-आगरा में ताजमहल के पीछे यमुना नदी के बायें तट पर कछपुरा एवं मेहताब बाग क्षेत्र का सर्वांगीण पर्यटन विकास का कार्य।

4-आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुये लोगों के रोजगार वृद्धि हेतु प्रशिक्षण के विभिन्न ट्रेनिंग मॉडयूल्स बनाने का कार्य।

5-आगरा एवं ब्रज क्षेत्र की क्रियेटिव इण्डस्ट्री क्षेत्र के कारीगरों का रोजगार बढ़ाने एवं उनकी आये में वृद्धि हेतु मैपिंग एवं असेसमेन्ट का कार्य।

6-मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के माध्यम से ताज ट्रेपेजियम जोन हेतु विज़न डाक्यूमेन्ट तैयार कराये जाने का कार्य।

7-आगरा में यमुना नदी के बॉयें तट पर (चीनी का रौजा, एतमाद-उद्दौला, ग्यारह सीढ़ी आदि) रिवरफ्रन्ट डेवलेपमेन्ट एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के सृजन हेतु डी0पी0आर0-डिजाईन प्रिपरेशन का कार्य।

8-आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में प्रस्तावित सिविल कार्यों के डिजाईन एवं सुपरवीजन का कार्य।

वित्तीय वर्ष 2018-19	
आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता एवं आजीविका संवर्धन का कार्य।	
वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अभी तक कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।	
उक्त परियोजना की कुल लागत बजट रु0 371.43 करोड़ में से आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में अब तक किये गये व्ययों का कार्यवार विवरण निम्नवत है :-	
कार्यों का नाम	**कुल व्यय (धनराशि रुपये में)**
ब्रज में श्री बांके बिहारी जी मन्दिर क्षेत्र का सर्वांगीण पर्यटन विकास।	9,70,59,058.00
ब्रज क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता एवं आजीविका संवर्धन का कार्य।	62,97,752.00
ब्रज क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुये लोगों के रोजगार वृद्धि हेतु प्रशिक्षण के विभिन्न ट्रेनिंग मॉडयूल्स बनाने का कार्य।	41,05,194.00
ब्रज क्षेत्र की क्रियेटिव इण्डस्ट्रीज क्षेत्र के कारीगरों का रोजगार बढ़ाने एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु मैपिंग एवं असेसमेन्ट का कार्य।	17,96,682.00
कुल योग	**10,92,58,686.00**

आगरा क्षेत्र में कार्यवार व्ययों का विवरण निम्नवत् है :-

कार्यों का नाम	**कुल व्यय (धनराशि रुपये में)**
शाहजहांपुर पार्क का रिवाईटलाईजेशन एवं ताजमहल तथा आगरा किला के मध्य पर्यटक पथ एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का निर्माण का कार्य।	13,12,98,304.00
ताजमहल के पीछे यमुना नदी के बायें तट पर कछपुरा एवं मेहताब बाग क्षेत्र का सर्वांगीण पर्यटन विकास का कार्य।	11,52,05,088.00

कार्यों का नाम	कुल व्यय (धनराशि रुपये में)
आगरा क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता एवं आजीविका संवर्धन का कार्य।	93,80,947.00
आगरा क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुये लोगों के रोजगार वृद्धि हेतु प्रशिक्षण के विभिन्न ट्रेनिंग मॉडयूल्स बनाने का कार्य।	41,05,194.00
आगरा क्षेत्र की क्रियेटिव इण्डस्ट्रीज क्षेत्र के कारीगरों का रोजगार बढ़ाने एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु मैपिंग एवं असेसमेन्ट का कार्य।	44,01,704.00
मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के माध्यम से ताज ट्रेपेजियम जोन हेतु विज़न डाक्यूमेन्ट तैयार कराये जाने का कार्य।	67,30,905.00
आगरा में यमुना नदी के बॉये तट पर (चीनी का रोजा, एत्माद, उद्दौला, ग्यारह सीढ़ी आदि) रिवरफ्रन्ट डेवलेपमेन्ट एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के सृजन हेतु डी0पी0आर0 डिजाईन प्रिपरेशन का कार्य।	49,77,480.00
कुल योग	**27,61,89,622.00**

जनपद सिद्धार्थनगर के नवनिर्मित प्रसव केन्द्र पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में

9-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के नवनिर्मित एवं सुसज्जित प्रसव केन्द्र पर स्त्री रोग विशेषज्ञ (सर्जन) की नियुक्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा और प्रा0 स्वा0 केन्द्र खुनियांव की टूटी चार दीवारी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

10-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुनियांव की टूटी चाहरदीवारी का पुनः निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र दिनांक 05-07-2019 द्वारा आगणन प्राप्त हो गया है। इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान कर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में

11-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा सिद्धार्थनगर के पुराने भवन को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। लोक निर्माण विभाग से भवन निष्प्रयोज्य घोषित होने पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में चल रहे अवैध मदरसों को बन्द कराने के सम्बन्ध में

12-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कितने मदरसे वर्तमान में संचालित हैं तथा उनमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के गैर मान्यता के संचालित मदरसों को चिन्हित कर उन्हें बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 600 मान्यता प्राप्त मदरसें हैं। इनमें से 492 मदरसों द्वारा उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। पोर्टल पर पंजीकृत मदरसों में से 452 मदरसों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक किया गया है तथा 40 मदरसें ऐसे हैं, जिन्हें अभी लॉक नहीं किया गया है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लागू नहीं है।

लागू नहीं है।

प्रदेश के अस्पतालों में दवाओं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

13-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त दवाएं एवं बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। कार्पोरेशन द्वारा माह मई, 2018 से प्रारम्भ होने के उपरान्त मांग पत्र के आधार पर आवश्यक दवाओं की चिकित्सालयों पर आपूर्ति हेतु माह जून, 2019 तक 11 निविदायें पूर्ण करते हुये 292 दवाओं के दर अनुबन्ध किये जा चुके हैं, जिसके क्रम में 279 दवाओं के क्रयादेश निर्गत कर दिये गये है। 229 दवाओं की आपूर्ति सप्लायर फर्मों द्वारा प्रदेश के जनपदीय चिकित्सालयों तथा मुख्य चिकित्साधिकारी (भण्डार) को की जा रही है। चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार बेड उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में जानकारी

14-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सालयों में आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं एवं रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

चिकित्सालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष उपलब्धता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के निजी अस्पतालों में मरीजों का अनावश्यक जांच आदि के नाम पर हो रहे शोषण की रोकथाम के सम्बन्ध में जानकारी

15-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी अस्पतालों में मरीजों का अनावश्यक जांचों, गैर जरूरी आपरेशनों तथा अपने मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों का बाजार दर से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो उक्त को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

इस तरह की घटना संज्ञान में आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2016 शासनादेश संख्या-191/2016/1625/ पांच-6-2016-डब्ल्यू-5/2002, दिनांक 11-07-2016 द्वारा प्रख्यापित करते हुये पत्र संख्या-1625(1)/ पांच-6-16-डब्ल्यू-5/2002, दिनांक 12-07-2016 द्वारा समस्त संबंधित को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रदेश में होने वाली कन्या शिशु हत्या, कन्या शिशु लावारिस फेंकने व बाल विवाह आदि की घटनाएं रोके जाने के सम्बन्ध में जानकारी

16-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जन्म उपरान्त कन्या शिशु हत्या, लावारिस जिन्दा नवजात फेंकने व बाल विवाह की 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य अलग-अलग जिलेवार कुल कितने मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

देश के समस्त जनपदों से लावारिस व नवजात शिशुओं के पाये जाने के कुल 424 प्रकरण संज्ञान में आये हैं। बाल विवाह के 1 अप्रैल, 2017 से 29 अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश में जनपद-आगरा से 02, फिरोजाबाद से 03, मैनपुरी से 01 एटा से 01, कासगंज से 01 महाराजगंज से 01, संतकबीरनगर से 01, गौतमबुद्धनगर से 01 तथा हरदोई से 01, इस प्रकार कुल 12 प्रकरण संज्ञान में आये हैं।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा के ग्राम इटवा बख्शी स्थित जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करने की मांग

17-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के ग्राम इटवा-बख्शी स्थित जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अन्तर्गत इण्टर कालेज का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

ग्राम इटवा-बख्शी स्थित जूनियर हाई स्कूल का इण्टर कालेज में उच्चीकरण, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) की गाइड लाइन्स के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को यथोचित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के कटेश्वरनाथ मन्दिर के सुन्दरीकरण कराये जाने की जानकारी

18-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक कटेश्वरनाथ मन्दिर का पर्यटन की दृष्टि से तालाब के सौन्दर्यीकरण और आस-पास के आवागमन मार्गों के चौड़ीकरण की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कटेश्वरनाथ मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य कराये जाने का प्रस्ताव जिला योजना वर्ष 2019-2020 के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है। जिला अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त पर्यटन विभाग के जिला योजना में बजट उपलब्ध होने पर पर्यटन विकास कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद मथुरा में नौहझील, मांट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में जानकारी

19-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के नौहझील, मांट में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को जनहित के आवश्यकताओं तथा जनसंख्या घनत्व को देखते हुये उच्चीकृत किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। जनपद मथुरा के नौहझील, मांट में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करते हुये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्थापित कर दिया गया है, जिसका लाभ क्षेत्रीय जनता ले रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कार्य योजना बनाने की जानकारी

20-श्री नफीस अहमद-

क्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। सरकारी एवं प्राइवेट चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट के निस्तारण हेतु चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 यथा संशोधित-2018 में विद्यमान प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन एक्शन प्लान बनाया गया है।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति (स्टेट एडवाइजरी कमेटी) का गठन किया गया है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति (डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है। उक्त समिति में सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी संयोजक के रूप में कार्य कर रहे है। उक्त समिति द्वारा जिला स्तर पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट को सही ढंग से निस्तारित किये जाने के विभिन्न मुद्दों को निस्तारित किया जायेगा।

समस्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले इकाई प्रमुखों एवं नोडल अधिकारियों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का तकनीकी रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञों के पदों को सृजित करने के सम्बन्ध में

21-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हृदय रोग के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये जिला अस्पतालों में भी हृदय रोग विशेषज्ञों की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की शैक्षिक योग्यता एम0बी0बी0एस0 है। प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में हृदय रोग विशेषज्ञ के 141 पद स्वीकृत हैं, जिसके साथ 27 फिजीशियन चिकित्सक, जो कार्डियोलाजिस्ट का कार्य कर रहे हैं। हृदय रोग के रोगियों की चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कराने हेतु के सम्बन्ध में

22-श्री कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में सूर्य मन्दिर, व्यास जन्म भूमि मन्दिर, पारासर मन्दिर, चौरासी गुम्मद, रानी लक्ष्मी बाई का मंत्रणा कक्ष, किला घाट, लकामीनार, वटाऊ मन्दिर, वनखण्डी देवी मन्दिर, बीरबल भवन, काली हवेली, भीम द्वारा बनाया गया भीमसेन मन्दिर, खान का शरीफ तथा सूर्यकुण्ड आदि धार्मिक तथा ऐतिहासिक व पौराणिक पर्यटन स्थल है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालपी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित स्थलों में से कालपी स्थित सूर्य मन्दिर, व्यास जन्मभूमि, किलाघाट आदि स्थलों को विकसित किये जाने की योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 की जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदनोपरान्त जिला योजना मद में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध होने पर पर्यटन विकास कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

2-पारासर मन्दिर, चौरासी गुम्बद रानी, लक्ष्मीबाई, गणेश मन्दिर, लंका मीनार, बराह मन्दिर, वनखण्डी देवी मन्दिर, वीरबल भवन, काली हवेली, भीमसेन द्वारा बनाया गया भीमसेन मन्दिर, खान का शरीफ तथा सूर्यकुण्ड आदि स्थलों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये इन स्थलों पर राज्य योजना के अन्तर्गत उचित/निःशुल्क भूमि की उपलब्धता तथा सम्बन्धित अनापत्ति एवं रख-रखाव आदि का प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने पर योजना मद में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध होने पर पर्यटन विकास कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश के ओपेक चिकित्सालय कैली के निदेशक द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

23-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओपेक चिकित्सालय, कैली के निदेशक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में दिनांक 23 फरवरी, 2019 को मण्डलायुक्त बस्ती मण्डल द्वारा जांच पूर्ण कर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को रिपोर्ट प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

उक्त जांच में डॉ0 मंजू वैश्य शर्मा, तत्कालीन निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती एवं डॉ0 सोमेश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई संस्थित करते हुये आरोपों की जांच हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों का पदोन्नति स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

24-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों का पदोन्नति स्थानान्तरण एवं तैनाती मानव सम्पदा पोर्टल/ई-डिजिटल सर्विस बुक का सन्दर्भ लेते हुये किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि पी0एम0एच0एस0 के कतिपय चिकित्सकों का स्थानान्तरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-3412/सेक-2-पांच-17-4(37)/2017, दिनांक 10-08-2017 द्वारा किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण आदेश संशोधित करते हुये कार्यालय ज्ञाप सं0-452/सेक/2-पांच- 2017-5(244)/2017, दिनांक 27 फरवरी, 2018 को सिविल अस्पताल लखनऊ में किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि का वेतन भुगतान चिकित्सकों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अवधि का बकाया वेतन एवं लम्बित देयकों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10-08-2017 के क्रमांक-24 पर उल्लिखित डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव (वरिष्ठता क्रमांक-6537), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बीर0आर0डी0 चिकित्सालय, महानगर, लखनऊ को स्थानान्तरित करते हुये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोण्डा के पद पर तैनात किया गया। पुनः कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11-10-2017 के क्रमांक-1 द्वारा डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोण्डा के पद पर किया गया स्थानान्तरण आदेश संशोधित करते हुये वरिष्ठ परामर्शदाता, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ के पद पर तैनात किया गया। डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11-10-2017 के अनुपालन में डॉ0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। तद्क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-02-2018 द्वारा डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव को निर्देशित किया गया कि शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11-10-2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दिनांक 05-03-2018 तक प्रत्येक दशा में डॉ0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें। शासन द्वारा दिये गये स्पष्ट आदेशों एवं निर्धारित की गयी समय सीमा के उपरान्त भी डॉ0 श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 05-03-2018 के बाद अर्थात् दिनांक 22-03-2018 को डॉ0 एस0पी0एम0 (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में योगदान, आख्या प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार अनिल कुमार श्रीवास्तव अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इस गम्भीर कदाचरण के आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई/सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत कार्रवाई प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में दुधारू पशुओं के पालकों को अच्छी नस्ल के पशु व ब्याज मुक्त ऋण जैसी सुविधायें देने सम्बन्धी योजना की जानकारी

25-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुधारू पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज देने, पुराना कर्ज माफ करने तथा दूध की मुनाफायुक्त कीमत दिलाने हेतु सरकार की कोई विशेष योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में दुधारू पशुपालकों की दशा में सुधार हेतु, उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज देने, पुराना कर्ज माफ करने हेतु सरकार की कोई विशेष योजना वर्तमान में शासनादेश संख्या-434/53-15-2(16)/15, दिनांक 13-04-2015 के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में दुग्ध विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही है।

दूध की मुनाफा युक्त उचित कीमत दिलाने हेतु सरकार द्वारा सहकारी दुग्ध समितियों में डी0पी0एम0सी0यू0/ए0एम0सी0यू0 एवं बी0एम0सी0 के माध्यम से दुग्ध संकलन कार्य कराते हुये दूध की कीमत हेतु पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का उचित मुनाफा युक्त मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

26-हाजी इरफान सोलंकी-

[01 मंगलवार के अतां0 प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के महिला रोगियों की सुविधा के लिये उक्त के सम्बन्ध में

27-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महिला चिकित्सालय के 100 शैय्या मेटरनिटी विंग के उद्घाटन दिनांक 06-05-2016 के लगभग 03 वर्ष के बाद भी अभी तक शासन/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और न ही इनके क्रय के लिये कोई दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं ? क्या सरकार जिला महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद के 100 शैय्या मेटरनिटी विंग के सफल संचालन के लिये आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय का महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या जि0म0चि0फि0/100 शैय्या मेटरनिटी विंग/2018-19/146 दिनांक 04-02-2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद की महिला रोगियों की सुविधा के लिये उक्त के सम्बन्ध में कार्रवाई करते हुये आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद को मेडिकल कालेज के रूप में परिवर्तित करते हुये चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन हस्तान्तरित कर दिया गया है।

जिला अस्पताल फिरोजाबाद की आई0सी0सी0यू0 में सेन्ट्रल आक्सीजन सप्लाई यूनिट एवं वेंटीलेटर के सम्बन्ध में

28-श्री मनीष असीजा-

या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0सी0सी0यू0 में एन0ए0बी0एच0 के मानकानुसार सेन्ट्रल आक्सीजन सप्लाई यूनिट एवं 05 वेंटीलेटर होने चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल, फिरोजाबाद की आई0सी0सी0यू0 में सेंट्रल आक्सीजन सप्लाई यूनिट एवं वेंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद को मेडिकल कालेज के रूप में परिवर्तित करते हुये चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन हस्तान्तरित किया जा चुका है। नवस्थापित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में चरणबद्ध क्रम में एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार मरीजों को सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जनपद फिरोजाबाद स्थित रामलीला महोत्सव आयोजन हेतु धनराशि के सम्बन्ध में

29-श्री मनीष असीजा-

क्या संस्कृति कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद स्थित रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव आयोजन हेतु धनराशि प्रदान कराने हेतु जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से प्रस्ताव मंगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद स्थित रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव के आयोजन हेतु धनराशि प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के कांच द्वारा निर्मित टेबल वेयर, किचन वेयर, आदि उत्पादों पर जी0एस0टी0 कम किये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के कांच द्वारा निर्मित तथा सिरेमिक्स पोर्सलिन बोन चायना आदि से निर्मित टेबलवेयर किचन वेयर, टायलेट आर्टीकल्स एवं घरेलू वस्तुओं की टैक्स दरें पूर्व में सदैव से एक समान रही हैं तथा जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात भी एक समान दर 18 प्रतिशत रखी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है कि जी0एस0टी0 काउंसिल की दिनांक 09-09-2017 की बैठक में पोर्सलिन/सिरोमिक्स/बोन चायना से निर्मित टेबल वेयर, किचन वेयर, टायलेट आर्टीकल्स एवं अन्य घरेलू वस्तुओं पर जी0एस0टी0 की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण पूरी तरह एक समान बनावट/प्रयोग वाले कांच से बने उत्पादों के निर्माताओं, विक्रेताओं एवं इस उद्योग से जुड़े श्रमिक से लेकर विभिन्न कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के समक्ष अपने अस्तित्व को बनाये रखने का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आलोक में फिरोजाबाद के कांच द्वारा निर्मित टेबल वेयर, किचन वेयर, टायलेट आर्टीकल्स एवं अन्य घरेलू वस्तुओं पर लगने वाले जी0एस0टी0 की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पोर्सलिन सिरेमिक्स/बोन चायना के उत्पादों के समान 12 प्रतिशत कराने हेतु जी0एस0टी0 काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव रखवाते हुये इसे कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी0एस0टी0 लागू होने के प्रारम्भिक चरण में कांच सहित पोर्सलिन, बोन चायना, पीतल आदि सभी हैण्डीक्राफ्ट के लघु एवं मध्यम व्यवसायियों, श्रमिकों आदि को आ रही समस्याओं का संज्ञान जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा लिया गया तथा सभी प्रकार के हैण्डीक्राफ्ट के सम्बन्ध में कर की दरों सहित अन्य प्राविधानों को युक्ति संगत बनाने हेतु जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा हैण्डीक्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। हैण्डीक्राफ्ट कमेटी द्वारा सभी बिन्दुओं पर व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् अपनी रिपोर्ट जी0एस0टी काउन्सिल के समक्ष रखी गयी। इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा कांच सहित अन्य हैण्डीक्राफ्ट के सम्बन्ध में कर की दरों एवं अन्य प्राविधानों को युक्ति संगत बनाने हेतु निर्णय लिया गया। यह जी0एस0टी0 काउंसिल का सुविचारित निर्णय है।

जिला-मुरादाबाद में विकास खण्ड बिलारी व बनियाखेड़ा के क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं की परिसीमन समस्या दूर करने के सम्बन्ध में

31-मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड-बनियाखेड़ा (आंशिक) जिला-मुरादाबाद में सम्मिलित 38 ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्य जिला-सम्भल के बजाय जिला-मुरादाबाद से और विकास खण्ड-बिलारी (आंशिक), जिला-सम्भल में सम्मिलित 28 ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धित कार्य जिला-मुरादाबाद के बजाय जिला-सम्भल से सम्पन्न कराने की व्यवस्था हेतु सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड बनियाखेड़ा (आंशिक) में 38 ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी कार्य जिला मुरादाबाद से एवं जनपद सम्भल में विकास खण्ड बिलारी (आंशिक) में सम्मिलित 28 ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धित कार्य जनपद सम्भल से सम्पन्न कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चिओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा व अपराधिक मामलों के सम्बन्ध में।

32-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति यौन व हिंसा जनित अपराध व शोषण में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप उनकी सुरक्षा, जागरूकता व अपराधियों को दंडित करने के दृष्टिगत सरकार कोई विशेष अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति होने वाले यौन व हिंसा जनित अपराध व शोषण के दृष्टिगत उनकी सुरक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से माह जुलाई, 2019 में बालिका सुरक्षा जागरूकता 'जुलाई अभियान' सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। ऐसे अपराधों एवं अपकृत्यों में दोषी पाये जाने पर अपराधियों को दण्डित करने की कार्यवाही नियमानुसार गृह/पुलिस विभाग द्वारा की जाती है।

जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियान की पूर्ण कार्य योजना बनाकर सम्पूर्ण प्रदेश में बालिका सुरक्षा

जागरूकता 'जुलाई अभियान' संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत स्कूल की छात्राओं/बालिकाओं को उनकी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सभी चिकित्सालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का छठे वेतन के सम्बन्ध में

33-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 श्यामा प्रसाद मुख्र्जी (सिविल) अस्पताल, लखनऊ सहित प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का छठे वेतन आयोग में देय ए0सी0पी0 का लाभ नियमानुसार न दिये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का परीक्षण वित्त वेतन आयोग से कराकर कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रदेश की 131 यूनिट से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके अधीन कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार ए0सी0पी0 का लाभ दिया जा चुका है। यदि किसी प्रकरण में विसंगति की स्थिति उत्पन्न होती है तो विभागाध्यक्ष (महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0) के वित्त नियंत्रक के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर उसका परीक्षण कराकर ही ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

34-श्री संजय गर्ग-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

लखनऊ स्थित टी0बी0 संयुक्त चिकित्सालय में प्रधान सहायक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

35-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित टी0बी0, संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ में लगभग 07 वर्षों से प्रधान सहायक स्थानान्तरण नीति के विपरीत एक ही जगह तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर भी स्थानान्तरण नीति का पालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

उक्त प्रधान सहायक को महानिदेशक के पत्र संख्या-4डी(1)/149/2019/5729-34, दिनांक 16-07-2019 द्वारा टी0बी0 संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ से हटाकर रानी लक्ष्मी बाई, संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में तैनात कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

36-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ स्थित टी0बी0, संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज में तैनात वरिष्ठ सहायक के पद पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

37-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित टी0बी0, संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ में लगभग 23 वर्षों से वरिष्ठ सहायक स्थानान्तरण नीति के विपरीत एक ही जगह (लखनऊ मण्डल) तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर भी स्थानान्तरण नीति का पालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

महानिदेशक के आदेश संख्या-4डी(1)/154/2019/5762-68, दिनांक 18-07-2019 द्वारा टी0बी0/संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, सिरौली गौसपुर, जनपद-बाराबंकी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के टी0बी0 संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज के स्टोर कीपर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

38-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित टी0बी0, संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ में लगभग 20 वर्षों से स्टोर कीपर स्थानान्तरण नीति के विपरीत एक ही जगह (लखनऊ मण्डल) तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर भी स्थानान्तरण नीति का पालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें के आदेश संख्या-4डी(1)/ 149/2019/5706-11, दिनांक 16-07-2019 के द्वारा स्टोर कीपर को जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर में राजकीय हाई स्कूल अल्पसंख्यक योजना के अन्तर्गत जो निर्माणाधीन हैं, उसे निर्माण कराने के सम्बन्ध में

39-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के महमूदाबाद के ग्राम बाबूपुर में अल्पसंख्यक योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय हाई स्कूल का भवन निर्माण कार्य सरकार समय-सीमा निश्चित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

विषयगत परियोजना का निर्माण चयनित भूमि के स्थान पर खलिहान की भूमि पर किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। प्रश्नगत राजकीय हाई स्कूल बाबूपुर का निर्माण प्रकरण में उत्पन्न विवाद के निस्तारण पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने के मद्देनजर विशेष अभियान और इलाज सम्बन्धी

40-श्री हाजी इरफान सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले बड़ी संख्या में प्रकाश में आने के मद्देनजर स्वाइन फ्लू से बचाव के एहतियाती उपाय बताने व चपेट में आये मरीजों का कारगर इलाज करने हेतु कोई विशेष अभियान सरकार चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

इन्फ्लुएन्जा-ए0-एच01एन01 (स्वाइन फ्लू) रोग की रोकथाम एवं बचाव की कार्य योजना-2019 निर्गत की गयी है। कार्य योजना के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा जनपदीय रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है जो इन्फ्लुएन्जा-ए0-एच01एन01 (स्वाइन

फ्लू) रोग के आउट ब्रेक होने की स्थिति में तत्काल रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्यवाही करती है। प्रदेश के समस्त जनपदों में औषधियों/सामग्रियों (मास्क-एन-95) के साथ ही स्वाइन फ्लू के वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। जनपदों में मरीजों के थ्रोट स्वाब प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिये वायरल ट्रान्सपोर्ट मीडिया उपलब्ध है साथ ही पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्यूबमेंट्स किट की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-मोहम्मद इब्राहिमपुर में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

41-मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के क्रम में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर, विकास खण्ड-बनिया खेड़ा (आंशिक), जिला-मुरादाबाद में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य किसी निश्चित अवधि में सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

मार्च, 2020 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0एच0सी0 बिलारी जिला मुरादाबाद में मरीजों की संख्या अनुसार डॉक्टर तैनात किये जाने सम्बन्धी

42-श्री मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2018 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-115 के उत्तर के क्रम में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0एच0सी0 बिलारी, जिला मुरादाबाद में मरीजों की संख्या के दृष्टिगत जिला अस्पताल, मुरादाबाद के समानुपातिक क्रम में डॉक्टरों की तैनाती कर चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद मुरादाबाद के बिलारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जिसमें मानक के अनुसार फिजिशियन, सर्जन, निशचेतक, रेडियोलॉजिस्ट एवं विशेषज्ञ महिला चिकित्सक के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष चिकित्सा अधीक्षक (बाल रोग विशेषज्ञ), फिजिशियन, सर्जन एवं सामान्य महिला चिकित्सक कार्यरत हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 19-12-2019 जो जिला कारागार शाहजहांपुर के चिकित्सालय में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यापक भ्रष्टाचारी के सम्बन्ध में

43-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-12-2018 जो जिला कारागार शाहजहांपुर के चिकित्सालय में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि विशेष सचिव मुख्य मंत्री, उ0प्र0 ने उपरोक्त पत्र को 20-12-2018 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ को नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जिला कारागार शाहजहांपुर के चिकित्सालय में तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ0 पी0पी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायतों की जांच डॉ0 संजय, अग्रवाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) एवं डॉ0 शैलेन्द्र कुमार, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) से करायी गयी। उनके द्वारा जिला कारागार के बन्दियों एवं जेलर, जिला कारागार, शाहजहांपुर के बयान लिये गये। जांच में स्पष्ट हुआ कि जिला कारागार के बन्दियों को प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला कारागार, शाहजहांपुर से कोई शिकायत नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिस एवं धन उगाही से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा डॉ0 पी0पी0 श्रीवास्तव का स्थानान्तरण जिला कारागार चिकित्सालय, शाहजहांपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुवांया, शाहजहांपुर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में आयोजित होने वाली सुप्रसिद्ध रामलीला महोत्सव को संस्कृति विभाग द्वारा पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में

44-श्री मनीष असीजा-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 100 वर्षों से अधिक पुरानी निरन्तर आयोजित होने वाली उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध रामलीला महोत्सव आयोजन को संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध/पंजीकृत सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद फिरोजाबाद में 100 वर्षों से अधिक पुरानी निरन्तर आयोजित होने वाली उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध रामलीला महोत्सव आयोजन को सूचीबद्ध/पंजीकृत करने की कोई योजना अद्यतन संस्कृति विभाग में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जिला अस्पताल मुरादाबाद व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में विभिन्न विशेषज्ञों एवं मशीनों की तैनाती किये जाने सम्बन्धी

45-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, मुरादाबाद एवं सी0एच0सी0, बिलारी में नेत्र, हड्डी रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, विभिन्न चिकित्सीय जांचों हेतु पैथोलॉजिस्ट तैनात करने तथा आंखों में लेंस प्रत्यारोपण हेतु नई तकनीक से लैस फैको मशीन आदि की सुविधा किसी निश्चित समयावधि तक सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद में नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट एवं विभिन्न जांचों हेतु पैथोलॉजिस्ट कार्यरत हैं तथा लेंस प्रत्यारोपण हेतु नई तकनीक से लैस को मशीन उपलब्ध है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलारी, मुरादाबाद पर नेत्र सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा पैथालॉजिस्ट का कोई पद स्वीकृत नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट का एक पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष कोई रेडियोलॉजिस्ट तैनात नहीं है। इस केन्द्र पर एक एल0टी0 तैनात है, जिसके द्वारा पैथोलॉजी की जांचे की जाती हैं।

चिकित्सकों की उपलब्धता एवं उपयोगिता के अनुसार तैनाती की जाती है।

प्रदेश में सेक्स वर्करों का पुनर्वास करने एवं वेश्यावृत्ति रोके जाने सम्बन्धी योजना

46-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेक्स वर्कर के रूप में वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रदेश में सेक्स वर्कर के रूप में वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिये 01 राजकीय महिला संरक्षण गृह, आगरा संचालित है, जिसमें अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आच्छादित महिलाओं एवं बालिकाओं को आवासित किया जाता है। उक्त संस्था में महिलाओं के भोजन/आवास की निःशुल्क व्यवस्था है तथा महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के दो जनपदों कानपुर नगर एवं अयोध्या में उज्जवला गृह संचालित हैं, जिनमें महिलाओं के भोजन/आवास की निःशुल्क व्यवस्था है तथा महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा बाबा की तरह मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजाघर से जुड़े लोगों को भी मानदेय दिये जाने सम्बन्धी

47-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्जिदों के इमामों/मुअज्जिनों, मंदिरों के पुजारियों, गिरजाघरों के पादरियों तथा गुरूद्वारों के ग्रंथियों को मासिक मानदेय देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद विभाग और अस्पतालों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने सम्बन्धी

48-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेद विभाग व अस्पतालों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर किसी निश्चित समय अवधि तक सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत कुल 2104 आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हैं, जिसमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
चिकित्साधिकारी	2218	983	1235
चीफ फार्मासिस्ट	156	128	28
फार्मासिस्ट	2094	1590	504
सिस्टर	94	18	76
स्टाफ नर्स	479	319	160
चतुर्थ श्रेणी	5277	3815	1462

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 1119 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित है, जिसके सापेक्ष 325 पदों का परिणाम घोषित हो चुका है। लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुति के आधार पर 212 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है। नर्सेज संवर्ग की नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति वर्ष 2010 से प्रतिबन्धित है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होते ही प्रदेश में आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत संचालित अस्पतालों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर स्टाफ की नियुक्ति कर तैनात किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-मुरादाबाद व सम्भल में विभक्त ब्लाक-बनियाखेड़ा व बिलारी का स्वास्थ्य विकास सम्बन्धी कार्य अपने-अपने जिले से कराने सम्बन्धी

49-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड-बनियाखेड़ा (आंशिक), जिला मुरादाबाद में सम्मिलित 38 ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्य जिला-सम्भल के बजाय जिला-मुरादाबाद से और विकास खण्ड-बिलारी (आंशिक), जिला-सम्भल में सम्मिलित 28 ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी कार्य जिला-मुरादाबाद के बजाय जिला-सम्भल से सम्पन्न कराने की व्यवस्था पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। विकास खण्ड-बनियाखेड़ा (आंशिक) जिला-मुरादाबाद में सम्मिलित 38 ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य जिला-मुरादाबाद से एवं विकास खण्ड-बिलारी (आंशिक) जिला-सम्भल में सम्मिलित 28 ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी कार्य जनपद-सम्भल से सम्पन्न करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के जिला अस्पताल के रेडियोलोजिस्ट के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

50-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट का स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त होने के फलस्वरूप सी0टी0 स्केन तथा सोनोग्राफी के मरीजों को बलिया तथा वाराणसी रेफर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल, आजमगढ़ में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में श्री बाल चन्द्र प्रसाद रेडियोलॉजिस्ट के पद पर दिनांक 03-01-2019 से तैनात हैं, जिनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में रैबीज के इंजेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

51-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में रैबीज के इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को बाहर से अधिक मूल्य पर इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रैबीज के इंजेक्शन की उपलब्धता जिला अस्पताल, आजमगढ़ में सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा 13 दिसम्बर, 2018 से अभी तक विभिन्न क्रयादेश के माध्यम से जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ हेतु 6080 एन्टी रैबीज इंजेक्शन (1.0 एम0एल0) वॉयल हेतु क्रयादेश जारी किये गये हैं। उक्त के सापेक्ष 4800 वॉयल की आपूर्ति जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ को की जा चुकी है।

डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध दिनांक 06-07-2019 के डाटा अनुसार एन्टी रैबीज इंजेक्शन (1.0 एम0एल0) के 1835 वॉयल उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज स्थित प्रा0 स्वा0 केन्द्र तथा सा0 स्वा0 केन्द्र पर एन्टी-स्नेक का इंजेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

52-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एण्टी-स्नेक वेनम का इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण जन सामान्य को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार एण्टी-स्नेक वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। जनपद आजमगढ़ के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन्टी स्नेक वेनम का इंजेक्शन उपलब्ध है तथा सी0एम0एस0डी0 स्टोर में भी उक्त इंजेक्शन उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार उपलब्धता सुनिश्चित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

महालेखाकार डी0ए0सी0सी0 कार्यालय इलाहाबाद के पत्रांक 02-03-781 दिनांक 18-06-18 के क्रम में खण्डीय लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारियों को स्टेट हेल्थ कार्ड/कैश लेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

53-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्टेट हेल्थ कार्ड निर्गत करने एवं कैशलैश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0 कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक नि0वि0 02/03/781 दिनांक 18-06-18 जो अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, उ0प्र0 को प्रेषित है, पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्टेट हेल्थ ऐजन्सी फार कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज), लखनऊ से प्राप्त आख्यानुसार क्या खण्डीय लेखाधिकारी/लेखा अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेश सुविधा हेतु स्टेट हेल्थ कार्ड निर्गत कर दिये गये है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 में परिभाषित सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके आश्रितों को पं0 दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत कैशलेस चिकित्सा का प्राविधान किया गया है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16-10-2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु अपर मुख्य, वित्त की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय समिति का गठन दिनांक 24-06-2019 को कर दिया गया है। उक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सोरावं में गारा पुरतकियां चौराहें में सामुदायिक स्वा0 केन्द्र स्थापित कराने के सम्बन्ध में

54-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में गारा पुरतकियां चौराहे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण न होने से मरीजों को उपचार कराने में काफी दिक्कत होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गारापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नि:शुल्क उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने एवं जिला अनुश्रवण समिति से परिव्यय एवं नाम का अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधन पर निर्भर करता है।

जनपद मुरादाबाद की सी0एच0सी0 ठाकुरद्वारा का मूंढा पांडे में होने वाले घोटाले की जांच की प्रगति सम्बन्धी

55-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद की सी0एच0सी0 ठाकुरद्वारा व मूंढा पांडे में प्रसूता और नवजात बच्चों के पौष्टिक आहार व दवाओं के मद में उजागर हुये रुपया 9.50 लाख के घोटाले की जांच के उपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर सी0एच0सी0 ठाकुरद्वारा व मूंढा पांडे में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। सभी कार्य गाइड लाइन के अनुसार कराये जा रहें हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित हो रहे आयुष्मान भारत के सम्बन्ध में जानकारी

56-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुष्मान भारत के तहत कितने लोगों का पंजीकरण हो चुका है तथा इसके तहत कितने लोग और कितने रुपयों का इलाज करा चुके हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में आर्थिक सामाजिक एवं जाति के आधार पर की गयी जनगणना के आधार पर आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 1.18 करोंड़ पात्र लाभार्थी परिवारों को चिन्हित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों का पंजीकरण नहीं कराया जाता है, अपितु पात्र लाभार्थी परिवार के सभी

सदस्यों को इलाज हेतु ई-हेल्थ कार्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापन हेतु निर्गत किये जाते हैं। जिसके अनुसार अब तक 35,91,735 लाभार्थी अपना ई-हेल्थ कार्ड बनवा चुके हैं। तथा इसके अन्तर्गत अब तक 1,330,915 लोग रु0 160.54 करोड़ का इलाज करा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में वायुयान की हवाई सेवा हेतु एयरपोर्ट के लिये भूमि अधिग्रहण विषयक

57-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वायुयान सेवा हेतु एयरपोर्ट के लिये भूमि अधिग्रहण की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त हवाई पट्टी का निर्माण कार्य सरकार समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद झांसी में वायु सेवा हेतु एयरपोर्ट के लिये वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

नागर विमानन मन्त्रालय, भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी सकीम की द्वितीय चरण की विडिंग में झांसी स्थित हवाई पट्टी अनसर्व्ड एयरपोर्ट के रूप में चयनित हुई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में चयनित होने के बाद झांसी अनसर्व्ड एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

झांसी हवाई पट्टी वर्मंमान में सेना द्वारा उपयोग की जा रही है। आर0सी0एस0 उड़ानों के लिये इस हवाई पट्टी का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय से किया जाना है।

आर0सी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कराया जाना है।

उपर्युक्तानुसार-

58-श्री हाजी इरफान सोलंकी-

[01 गरुवार के अता0 प्र0सं0-142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के वृन्दावन, गोकुल, बरसाना आदि क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित करने विषयक

59-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृष्ण सर्किट योजना में 2018-19, 2019-20 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, बरसाना, नन्दगांव और गोवर्द्धन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से विशेष बजट की व्यवस्था से विकास सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की कृष्ण सर्किट योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित किसी स्थल के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा का संचालन कराने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

60-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

कृपया मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा को प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों से जोड़ते हुये पर्यटकों के आवागमन हेतु हेलीकाप्टर सेवा का संचालन सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मथुरा में हेलीपैड के निर्माण की योजना हेतु पर्यटन विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-87/2018/ 1230/41-2018-16 (बजट)/2017, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा रु0 494.65 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था चयनित किया गया है। योजना का कार्य प्रगति पर है तथा इस योजना को पूर्ण करने की लक्षित तिथि दिसम्बर, 2019 है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाई जाने वाली 11 योजनाओं के सम्बन्ध में प्रथम सत्र 2019 के द्वितीय सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में।

61-मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2019 के द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के क्रम में क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्षों 2017-18 व 2018-19 में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु उक्त 11 योजनाओं का संक्षिप्त प्रगति विवरण क्या है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त 11 योजनाओं/कार्यक्रमों में किस मद पर कितनी धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां, (विवरण संलग्न है)*

प्रदेश में जिला स्तर पर क्लीनिक इस्टैब्लिशमेन्ट एक्ट लागू करने हेतु

62-मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2019 के द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के क्रम में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्लीनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट कब तक लागू करके राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों व प्राधिकरण का गठन कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* नत्थी (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ 172 पर।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी क्लीनिकों, चिकित्सालयों, निर्सिंग होम, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सेन्टर व अन्य सभी प्रकार के निदान केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनके द्वारा जनता को सुलभ एवं सुगम चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने एवं जनता को शोषण से बचाये जाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2016 शासनादेश संख्या-191/2016/1625/पांच-6-2016 डब्लू-5/2002, दिनांक 11.07.2016 द्वारा प्रख्यापित करते हुये पत्र संख्या-1625(1)/ पांच-6-16-डब्लू-5/2002, दिनांक 12-07-2016 द्वारा समस्त सम्बन्धित को प्रेषित किया जा चुका है। एक्ट में कतिपय संशोधन किया जाना विचाराधीन है, जिसके पश्चात् राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों व प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के थाना पुरवा के ग्राम सैदपुर में फर्जी गवाही एवं अधिकारियों के सांठ-गांठ से आवासीय भूमि को हड़पने के सम्बन्ध में

63-जवाहर लाल राजपूत-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के थाना-पुरवा के ग्राम-सैदपुर में फर्जी गवाहों एवं उप निबन्धक, पुरवा की सांठ-गांठ से बैनामा करवाकर दूसरे की आवासीय भूमि को हड़पने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 फरवरी 2019 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां। उक्त पत्र दिनांक 13-02-2019 को जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत पत्र पर कार्यवाही किये जाने हेतु सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उन्नाव को अन्तरित किया गया। जिसके क्रम में उप निबन्धक, पुरवा द्वारा वांछित आख्या दिनांक 15-07-2019 को उपलब्ध करायी गयी है।

उप निबन्धक, पुरवा की उक्त आख्या दिनांक 15-07-2019 पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उन्नाव द्वारा अपनी संस्तुति सहित आख्या पत्रांक संख्या-219 स0म0नि0-19/जांच दिनांक 18-07-2019 द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी अस्पतालों में मरीजों का आर्थिक शोषण रोकने के सम्बन्ध में

64-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी अस्पतालों में मरीजों की अनावश्यक जांचों, गैर जरूरी ऑपरेशनों तथा अपने मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों का

बाजार दर से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो उक्त को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

इस तरह की घटना संज्ञान में आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के दुधारू पशु पालकों की आर्थिक हालत सुधारने सम्बन्धि जानकारी।

65-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दुधारू पशु पालकों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज़ देने, पुराना कर्ज़ माफ करने तथा दूध की मुनाफा युक्त कीमत दिलाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में दुधारू पशु पालकों की दशा में सुधार हेतु, उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज देने, पुराना कर्ज माफ करने हेतु सरकार की कोई विशेष योजना वर्तमान में शासनादेश संख्या-434/53-15-2(16)/15, दिनांक 13-04-2015 के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में दुग्ध विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही हैं।

दूध की मुनाफा युक्त उचित कीमत दिलाने हेतु सरकार द्वारा सहकारी दुग्ध समितियों में डीपीएमसीयू/एएमसीयू एवं बीएमसी के माध्यम से दुग्ध संकलन कार्य कराते हुये दूध की कीमत हेतु पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उनके दुध का उचित मुनाफा युक्त मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मां विंध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह जनपद देवारिया के प्रकरण में की गयी कार्यवाही से सम्बन्ध में जानकारी

66-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मां विन्ध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह जनपद देवरिया में माह अगस्त, 2018 में बच्चों के यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के प्रकरण में

सरकार ने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो उक्त जांच का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

माह अगस्त, 2018 में स्वैच्छिक संगठन माँ विन्ध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह जनपद देवरिया के नियम विरुद्ध संचालन तथा उक्त से संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु दो सदस्यीय समिति गठित करते हुये सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायी गयी है।

जी नहीं, क्योंकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच में विचाराधीन है और मा0 न्यायालय द्वारा प्रकरण में निरन्तर सुनवाई/अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

तदैव।

प्रदेश में कुल बजट में शिक्षा पर व्यय धनराशि का प्रतिशत बढ़ाने की जानकारी सम्बन्धी

67-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के कुल बजट की कितने प्रतिशत धनराशि शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने का प्राविधान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये बजट में प्रावधानित कुल धनराशि रुपये 479701.10 करोड़ के सापेक्ष प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा एव प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर व्यय हेतु धनराशि रुपये 70662.70 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो कुल बजट का 14.73: है।

उक्त का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

विभाग	बजट प्रावधान
प्राथमिक शिक्षा	47799.36
माध्यमिक शिक्षा	11656.16
उच्च शिक्षा	2935.91
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	318.21
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	6212.92
प्राविधिक शिक्षा	709.68
व्यावसायिक शिक्षा	1030.46
योग	**70662.70**

विवरण ऊपर अंकित है।

प्रदेश में निजी डॉक्टरों के ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण में आ रही दिक्कतें दूर करने हेतु ऑफ लाइन सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी

68-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी डॉक्टरों के ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण में वर्तमान में आ रही दिक्कतों से सरकार अवगत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जहां पर ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण में दिक्कत हो रही है, वहां पर ऑफलाइन की भी सुविधा दी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के धसान नदी पर एवं बेतवा नदी पर प्रहलाद ढिकौली में पर्यटन स्थल विकसित करने के सम्बन्ध में

69-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के धसान नदी पर विश्वामित्र तपोस्थली/झारखण्ड (गुढ़ा) तथा बेतवा नदी पर प्रहलाद छौं, ढिकौली को पर्यटन स्थल के रूप में सरकार विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत स्थलों का पर्यटन विकास कार्य कराये जाने का प्रस्ताव जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है। जिला अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त पर्यटन विभाग के जिला योजना में बजट उपलब्ध होने पर पर्यटन विकास कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद सहारनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जापुर पोल पर वर्तमान में चिकित्सक की तैनाती के सम्बन्ध में

70-श्री नरेश सैनी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जापुर पोल पर चिकित्सकों की तैनाती नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र पर चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जापुर पोल में आयुष के संविदा चिकित्सक तैनात है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन धनराशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में

71-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को दिल्ली में रुपये 2000 प्रोत्साहन धनराशि देने की तरह प्रदेश सरकार भी ऐसा किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के गैर ब्रांडेड की तरह ब्रांडेड जैविक खाद व बीज एवं ट्रेक्टर सहित समस्त कृषि यंत्र जी0एस0टी0 से मुक्त करने के सम्बन्ध में

72-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रैक्टरों सहित अन्य कृषि यंत्रों पर वसूली जा रही जी0एस0टी0 दर करों से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार गैर ब्रांडेड की तरह ब्रांडेड जैविक खाद व बीज एवं ट्रैक्टर सहित समस्त कृषि यंत्र जी0एस0टी0 से मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में ट्रैक्टरों सहित अन्य कृषि यंत्रों पर वसूली जा रही जी0एस0टी0 दर वही है जो जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा निर्णीत है।

जी नहीं।

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को कर मुक्त करने की संस्तुति का अधिकार जी0एस0टी0 काउन्सिल को प्राप्त है तथा उसके द्वारा की गयी संस्तुतियां पूरे देश में एक समान लागू होती है। ब्रांडेड जैविक खाद एवं ट्रैक्टर को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कर योग्य तथा हस्त चालित एवं पशु चालित कृषि यंत्रों, अनब्राण्डेड जैविक खाद, बीज को करमुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा लिया गया निर्णय सुविचारित है।

प्रदेश में महिलाओं हेतु प्रसूति गृह निर्माण विषयक

73-श्री नाहिद हसन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं को सुरक्षित प्रसूति हेतु तथा नवजात शिशुओं को उचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मैटरनिटी हॉस्पिटल बनवा रही है ? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैराना, जनपद शामली में मैटरनिटी हास्पिटल सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

चालू वित्तीय वर्ष में सामु0 स्वास्थ्य केन्द्रों पर मैटरनिटी विंग बनाये जाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के 100 बेड से अधिक सा0 स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन और अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के उपलब्धता के सम्बन्ध में

74-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के 100 बेड से अधिक कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन और अल्ट्रासाउण्ड मशीनें उपलब्ध हैं ? क्या सरकार उसकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद बिजनौर में 100 बेड से अधिक कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के जिला चिकित्सालय में हुई बच्चा चोरी की घटना की जांच कराने विषयक

75-श्री नाहिद हसन-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-86 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टाफ नर्सों द्वारा दुर्व्यवहार आदि की जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा कराई गयी जांच तथा दिनांक 20-09-2017 को जिला चिकित्सालय, सहारनपुर में हुई बच्चा चोरी की दर्ज एफ0आई0आर0 में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर एवं जिला कुष्ठ अधिकारी, सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण की जांच करायी गई। जांच में पाया गया कि बच्चे को प्रसूता श्रीमती नजमा के सुपर्द कर दिया गया था। इसके बाद बच्चे की पूर्ण जिम्मेदारी मां की बनती है। जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट को शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस घटना की विस्तृत जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 07-03-2018 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परविार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

प्रसूता श्रीमती नजमा पत्नी श्री अलिशेर, निवासी ग्राम भलस्वा ईशापुर, ब्लाक बलियाखेड़ी, सहारनपुर द्वारा नवजात शिशु के चोरी होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जनकपुरी, सहारनपुर में दर्ज करायी गयी। जिसकी जांच, जांच अधिकारी थाना जनकपुरी, सहारनपुर द्वारा की गई। प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 10-07-2019 के द्वारा अवगत कराया गया कि तमाम विवेचना कार्रवाई एवं प्रयास के उपरान्त भी बच्ची एवं अपहरण करने वाली महिला का पता नहीं लग सका। विवेचना के उक्त मामले की पतारसी सुरागरसी जारी रखते हुये दिनांक 08-03-2018 में अन्तिम रिपोर्ट संख्या-14/2018 द्वारा विवेचना समाप्त की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बाल संरक्षण केन्दों में संरक्षित बच्चों तथा केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये धन एवं व्यय ब्यौरे सम्बन्धी

76-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश के किस बाल संरक्षण केन्द्र में कितने बच्चे हैं तथा विगत 2 वर्षों में किस-किस केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत धनराशि बच्चों के हितार्थ व्यय की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान समय में प्रदेश के 56 राजकीय बाल संरक्षण गृहों में 2903 बच्चे एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित 48 गृहों में 1433 बच्चे, इस प्रकार कुल 104 गृहों में 4336 बच्चे आवासित हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा चाईल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज (सी0पी0एस0) योजनान्तर्गत जारी गाईडलाइन में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में समस्त बाल संरक्षण केन्द्रों द्वारा शत प्रतिशत धनराशि का उपभोग का लिया गया है।

जी हां, विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] नत्थी (ग) का उत्तर पीछे पृष्ठ 174 पर।

प्रदेश में लावारिस रूप में फेंके गये बच्चों की घटनाओं के सम्बन्ध में

77-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या महिला मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 2 वर्षों में नवजात बच्चे और बच्चियों को लावारिस रूप से फेंकने की कितनी घटनायें प्रकाश में आई हैं ? क्या सरकार उक्त घटनाओं में कमी लाने तथा ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के समस्त जनपदों से लावारिस व नवजात शिशुओं के पाये जाने के कुल 424 प्रकरण संज्ञान में आये हैं।

ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु वर्तमान में विभाग के अधीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के अन्तर्गत प्रदेश में 05 राजकीय व 13 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से दत्तक ग्रहण इकाइयां संचालित हैं, जिनमें एडॉप्शन रेगुलेशन-2017 के अन्तर्गत गोद दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी।

78-श्री नाहिद हसन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सहारनपुर व मेरठ मण्डल सहित प्रदेश के कुल कितने निजी अस्पताल नागरिकों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा रहे है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सहारनपुर व मेरठ मण्डल के क्रमशः 34 एवं 106 निजी चिकित्सालयों सहित प्रदेश के कुल 1388 निजी अस्पतालों द्वारा योजना के पात्र लाभार्थियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जी हां। सूची संलग्न[†] हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापी नहीं गई।

जनपद बिजनौर के जिला अस्पताल एवं सी0एस0सी0 एवं पी0एस0सी0 में चिकित्सकों के स्टाफ पूर्ण कराने की मांग

79-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के जिला अस्पताल एवं सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 में चिकित्सीय स्टाफ पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त चिकित्सकों/स्टाफ को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद बिजनौर के जिला चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सीय स्टाफ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

चिकित्सकों/स्टाफ के रिक्त पदों पर उनकी उपलब्धता एवं योग्यता के आधार पर तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विभिन्न जिला अस्पतालों में थैलीसीमिया के पंजीकृत मरीजों की संख्या व उनके इलाज के सम्बन्ध में

80-मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में दिनांक 30 अप्रैल, 2019 तक थैलीसीमिया से पीड़ित कहां कितने मरीज पंजीकृत हैं ? क्या सरकार उक्त पीड़ितों के इलाज हेतु प्रत्येक जिला अस्पताल को विगत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में जारी बजट का ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

थैलीसीमिया प्रोग्राम कुल 13 केन्द्रों पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें से 11 केन्द्र चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न मेडिकल कालेजों में संचालित हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन जिला चिकित्सालय बरेली एवं बुलन्दशहर में थैलीसीमिया प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, जिसमें थैलीसीमिया प्रबन्धन हेतु डे-केयर सेन्टर की सुविधा के साथ-साथ जांच, आयरन चिलेशन एवं फिल्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जिला चिकित्सालय, बरेली एवं बुलन्दशहर में वर्ष 2019 में दिनांक 30-04-2019 तक क्रमाशः कुल 384 एवं 27 मरीजों का पंजीकरण कर उन्हें उपचारित किया गया है।

थैलीसीमिया हेतु बजट प्राविधान का विवरण निम्नानुसार है :-

(धनराशि रु0 में)

क्रम	चिकित्सालय का नाम	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1	जिला चिकित्सालय बेरली	6726089.00	8748000.00
2	जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर	1600000.00	1497050.00

प्रशन नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सम्बन्ध में

81-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में किसी निश्चित समय-सीमा में निःशुल्क डायलिसिस केन्द्र स्थापित करने की सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु एन0एच0एम0 योजनान्तर्गत हीमोडायलिसिस केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 36 जनपदों में क्रियाशील किया जा चुका है तथा शेष जनपदों में हीमोडायलिसिस यूनिट स्थापित करने हेतु एन0एच0एम0 योजनान्तर्गत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मच्छर जनित रोगों के बढ़ते प्रकोप को रोकने एवं पीड़ित मरीजों के इलाज के सम्बन्ध में जानकारी

82-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया आदि के रोगियों की लगातार हो रही वृद्धि के दृष्टिगत इन रोगों से पीड़ितों के इलाज ओर बचाव हेतु कार्य पर विगत दो वर्षों में व्यय धनराशि का ब्यौरा एवं प्रगति सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश में मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया आदि रोगों से पीडितों के इलाज और बचाव हेतु कार्य पर वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राज्य

बजट के अन्तर्गत अनुदान संख्या-36 लेखा शीर्षक 2210, 06-लोक स्वास्थ्य सेवा, 101-रोगों का निवारण, 04-वेक्टर जनित डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में एवं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जनपदों को आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष जनपदों द्वारा व्यय की गयी कुल धनरिाश का विवरण निम्नवत् उल्लिखित है :-

वित्तीय वर्ष	राज्य बजट के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण (रु0-लाख में)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण (रु0-लाख में)
2017-18	1419.32666	2328.94
2018-19	1634.49124	2335.12

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की प्रगति का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के स्वास्थ्य और उनमें फैलने वाली कई विशेष बीमारियों से सम्बन्धित कोई विशेष योजना के सम्बन्ध में

83-मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के स्वास्थ्य और उनमें फैलने वाली कई विशेष बीमारियों के प्रति उन्हें जागरूक करने के दृष्टिगत सरकार कोई विशेष अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के स्वास्थ्य एवं उनमें फैलने वाली सभी बीमारियों को रोकने तथा उन्हें जागरूक करने के लिये जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एवं प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चियों को बीमारियों से बचाव हेतु जागरूक भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बच्चियों में होने वाले विशेष बीमारियों के लिये विभिन्न प्रकार के टीके समय-समय पर लगाये जाते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी महिलाओं को सीमित परिवार रखने हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

[†] नत्थी (घ) का उत्तर पीछे पृष्ठ 182-183 पर।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी संचालन किया जाता है, जिसके द्वारा स्कूल जाने वाली 19 वर्ष तक की बच्चियों का पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण कर उन्हें उपचारित किया जाता है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चियों में होने वाले यौन जनित रोगों के प्रति जागरूक किया जाता है व उनका उपचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में स्टाफ के स्थानानतरण के सम्बन्ध में

84-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जिला क्षय रोग, जिला मलेरिया अधिकारी तथा पल्स पोलियो कार्यालय में कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थानान्तरण नीति के विपरीत दस वर्षों से जनपद में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण जनपद के बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

376 अधिकारी/कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं।

कार्यहित को ध्यान में रखते हुये स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के समथर महिला चिकित्सालय के चिकित्सक के जीर्ण-शीर्ण आवास पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में

85-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के समथर महिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के जीर्ण-शीर्ण आवास पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटवाकर उसे नगरपालिका परिषद् समथर को हस्तांतरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

जिला महिला चिकित्सालय का कोई आवास न तो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और न ही किसी भू-माफिया का अवैध कब्जा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

86-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त चिकित्सालय शाहजहांपुर में नियुक्ति कर्मचारियों के सम्बन्ध में

87-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त चिकित्सालय, शाहजहांपुर में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर के नाम, पद, नियुक्ति तिथि सहित पूरा विवरण सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त चिकित्सालय, शाहजहांपुर में वर्तमान में कार्यरत कुल 123 चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं नियुक्ति तिथि सहित सूची संलग्न[†] है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल संयुक्त चिकित्सालय शाहजहांपुर में मोटर साईकल के स्टैण्ड ठेका के सम्बन्ध में जानकारी

88-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं0 राम प्रसाद बिस्मिल संयुक्त जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में वाहन पार्किंग का ठेका दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2018, 01-04-2018 से 31-03-2019 तक तथा वर्ष 2019-20 में कितनी धनराशि पर किनको दिया गया तथा ठेका देने में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में वाहन पार्किंग का ठेका हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी थीं, जो दिनांक 14-06-2017 को खोली गयी थीं, जिनमें अधिकतम निविदा धनराशि रु0 6,02,000/- की हुई, जोकि दिनांक 15-06-2017 को समाप्त

[†] नत्थी (ङ) का उत्तर पीछे पृष्ठ 184-187 पर।

हो गयी थी। इसके पश्चात् पुनः एक वर्ष अवधि के लिये निविदायें आमंत्रित की गयीं, जोकि दिनांक 26-06-2018 को गठित निविदा समिति के समक्ष खोली गयी, जिनमें अधिकतम बोली धनराशि रु0 8,49,949/- हुई है, जो दिनांक 25-06-2019 को समाप्त हो चुकी है। जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर के मेडिकल कालेज में परिवर्तित होने के फलस्वरूप इस वर्ष नगर निगम, शाहजहांपुर द्वारा न्यूनतम धनराशि रु0 9,00,000/-बोली हेतु निविदायें आमंत्रित की हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारण संयुक्त जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर के डॉक्टर एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

89-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में कितने डॉक्टर, अधिकारी तथा कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के विपरीत दस वर्षों से एक स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारी का स्थानान्तरण जनपद के बाहर के चिकित्सालयों में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में कुल 90 चिकित्साधिकारी/कर्मचारी दस वर्षों से कार्यरत हैं।

प्रदेश में काफी समय से तैनात चिकित्सकों को मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर के आधार पर स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया 2017 से आरम्भ की गयी है। इसे क्रमिक रूप से आगे भी गतिमान रखा जायेगा। वर्तमान स्थानान्तरण सत्र समाप्त हो चुका है। आगामी सत्र में विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बीते 2 वर्षों में चिट फण्ड कम्पनियों के भागने की घटनाओं के ब्योरे सम्बन्धी जानकारी

90-मो0 फईम इरफान-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 2 वर्षों व चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 14-05-2019 तक कितनी चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा निवेशकों से ठगी करके भागने के मामले प्रकाश में आये हैं तथा उक्त मामलों में दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई एवं निवेशकों को दी गई सहायता का ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

प्रदेश में विगत् दो वर्षों व चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 14-05-2019 तक चिट फण्ड अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत पंजीकृत चिट फण्ड कम्पनी द्वारा निवेशकों से ठगी करके भागने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। अतः किसी कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सचिवालय स्थित बापू भवन डिस्पेंसरी में डिजिटल एक्स-रे मशीन लगवाने के सम्बन्ध में

91-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित बापू भवन सचिवालय डिस्पेसरी में डिजिटल एक्स-रे मशीन क्रय की गयी है ? यदि हां, तो उक्त एक्स-रे मशीन से रोगियों के एक्स-रे किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस तिथि से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

वर्तमान में डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन (एक्स-रे मशीन) की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उक्त मशीन स्थापित होते ही एक्स-रे की सुविधा प्रदान की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध होने वाली हिंसा व यौन अपराधों में कमी लाने हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी

92-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा व यौन उत्पीड़न रोकने में प्रचलित कानून को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उनमें संशोधन करने तथा विभिन्न कार्य स्थलों पर महिलाओं के अनुकूल हालात वातावरण हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

महिला कल्याण विभाग के एक कल्याणकारी विभाग होने के दृष्टिगत प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा व यौन उत्पीड़न से तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 181-महिला हेल्पलाइन एवं वन स्टाप सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। कार्य-स्थल पर महिलाओं के अनुकूल वातावरण प्रदान किये जाने हेतु ''कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013'' का प्रभावी क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

वन स्टाप सेन्टर योजना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे हिंसा पीड़ित बालिकाओं/महिलाओं को चिकित्सा/कानूनी सहायता एवं पुनर्वासन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

181-महिला हेल्पलाइन योजना के अन्तर्गत किसी भी हिंसा पीड़ित महिला द्वारा 181 नम्बर कॉल करने पर उसके सहायतार्थ आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करायी जाती है।

कार्य स्थल पर महिलाओं के अनुकूल वातावरण प्रदान किये जाने हेतु उक्त अधिनियम में जिला स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति एवं विभाग/कार्यालय स्तर पर आन्तरिक परिवाद समिति गठित किये जाने का प्राविधान है। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महिला कल्याण निदेशालय अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है तथा इस सम्बन्ध में समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

93-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती उपलब्धता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में रक्त कोष के सम्बन्ध में जानकारी

94-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर से पैथोलॉजी रक्त कोष से दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2019 तक कितने भर्ती मरीजों तथा प्राइवेट चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को कब-कब कितना रक्त उपलब्ध कराया गया तथा उक्त हेतु रक्त कोष द्वारा ली गई धनराशि का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर से पैथोलॉजी रक्त कोष से दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2019 तक भर्ती मरीजों तथा प्राइवेट चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को रक्त उपलब्ध कराये जाने तथा उक्त हेतु रक्त कोष द्वारा ली गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

समयावधि	जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराये गये रक्त यूनिट की संख्या	प्राइवेट चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराये गये रक्त यूनिट की संख्या	जमा की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2018 तक	3808	2078	3401750/	
दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक	5212	2063	2897210/	दिनांक 19-10-2018 से चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

95-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रो तथा न्यूरोलॉजी विभाग स्थापित न होने से रोगियों को चिकित्सा में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रो तथा न्यूरोलॉजी के विभाग स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में नेफ्रोलाजी का एक पद एवं न्यूरोलॉजी का एक पद स्वीकृत है, परन्तु नेफ्रोलाजी, गैस्ट्रो तथा न्यूरोलॉजी विशेषज्ञता का कोई भी चिकित्सक चिकित्सालय में तैनात नहीं है। नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रो तथा न्यूरोलॉजी से संबंधित

मरीज चिकित्सालय में उपचार हेतु आते हैं, जिन्हें एम0डी0 मेडिसिन विशेषज्ञता के चिकित्सकों द्वारा उपचारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कार्यरत हृदय रोग विशेषज्ञ के सम्बन्ध में

96-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय लखनऊ में रोगियों को एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी आदि की सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी/ एंजियोप्लास्टी की सुविधा सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

वर्तमान में डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में उपलब्ध एंजियोग्राफी मशीन (कैथलैब) के खराब हो जाने के कारण रोगियों को एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

जी हां।

हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक, तकनीकी स्टाफ एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ब्लाक/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद् स्तर पर संचालित अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड/डिजिटल एक्स-रे मशीनों के लगवाने के सम्बन्ध में

97-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ब्लाक/नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद् स्तर पर संचालित सभी अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड, डिजिटल एक्स-रे आदि मशीनों की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित मानव एवं वित्तीय संसाधनों के कारण।

प्रदेश में नवनिर्मित उच्च स्तरीय अस्पतालों में महिला तथा पुरुष डाक्टरों की तैनाती उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

98-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ब्लाक/नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद् स्तर पर नवनिर्मित उच्चस्तरीय अस्पतालों में महिला तथा पुरुष डाक्टरों की तैनाती सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

डाक्टरों की उपलब्धता एवं विशेषज्ञता के आधार पर तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश सचिवालय बापू भवन में रक्त परीक्षण एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

99-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित बापू भवन सचिवालय डिस्पेंसरी में रक्त परीक्षण एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त डिस्पेंसरी में रक्त परीक्षण एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है। रक्त परीक्षण हेतु डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ एवं वीरांगना झलकारी बाई चिकित्सालय, हजरतगंज, लखनऊ को सन्दर्भित किया जाता है, जो लगभग 500 मीटर की परिधि में है।

आधारभूत संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उक्त सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों हेतु स्कालरशिप दिये जाने की जानकारी

100-श्री नाहिद हसन-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों हेतु कुल कितने प्रकार की स्कालरशिप तथा शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा दी जा रही है व वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त हेतु कुल कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ दो प्रकार की छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है-

1-पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना- (कक्षा-9 एवं 10)

योजनान्तर्गत कक्षा-9 एवं 10 के ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय वर्तमान में रु0 2.50 लाख से कम हो, को रु0 3000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

2-दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति योजना-(कक्षा-11 एवं उसके ऊपर की कक्षाओं हेतु) 2.00 लाख से कम है, को निर्धारित दरों एवं मानकों के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति मद में कुल रु0 148.67 करोड़ की धनराशि तथा शुल्क प्रतिपूर्ति मद में रु0 150.00 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान है।

जी हां, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा में एम0आर0आई0 तथा सी0टी0 स्कैन मशीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

101-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में एम0आर0आई0 तथा सी0टी0 स्कैन मशीन की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में निःशुल्क सी0टी0 स्कैन मशीन एन0एच0एम0 योजनान्तर्गत पी0पी0पी0 मोड पर मेसर्स-कृष्णा डायग्नोस्टिक सेन्टर के द्वारा दिनांक 15-11-2018 को स्थापित किया जा चुका है, जो दिनांक 16-05-2019 से सी0टी0 मशीन संचालित है। एम0आर0आई0 मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के उमरी नगर पंचायत में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में

102-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की ऊमरी नगर पंचायत में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 11-02-2014 के अनुसार जनपद जालौन की ऊमरी नगर पंचायत में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का मानक पूर्ण नहीं है। इसलिये प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में लेखा परीक्षा संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में

103-श्री लाल जी वर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में कितने लेखा परीक्षा संवर्ग के कर्मचारी/अधिकारी 10 वर्षों से अधिक अवधि से (प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि सहित) लखनऊ में कार्यरत हैं ? क्या सरकार लेखा परीक्षा कर्मियों की कमी से जूझ रहे जनपदों में इनकी तैनाती/स्थानान्तरण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षा संवर्ग के कुल 28 अधिकारी/कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक अवधि से (प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि सहित) लखनऊ में कार्यरत थे।

जी हां।

सभी 28 अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

104-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के मदरसों शिक्षकों को उनके मानदेय के बकाया भुगतान कराने के सम्बन्ध में

105-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त आधुनिकीकरण युक्त मदरसों में तैनात शिक्षकों की कितनी अवधि की कितनी मानदेय धनराशि वर्तमान में भुगतान हेतु बकाया है ? क्या सरकार किसी निश्चित समय में उनके बकाया मानदेय का भुगतान करने एवं आगामी समय में मानदेय का नियमित भुगतान की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु रु0 414.23 लाख वर्ष 2015-16 में रु0 1404.72 लाख वर्ष 2016-17 हेतु रु0 26668.80 लाख एवं 2017-18 हेतु रु0 26668.80 लाख कुल रु0 55156.55 लाख की मांग लम्बित है जिसके सापेक्ष भारत सरकार के पत्र दिनांक 29-03-2019 द्वारा वर्ष 2016-17 के मानदेय भुगतान हेतु रु0 466.44 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। शेष रु0 54690.11 लाख की मांग भारत सरकार स्तर पर लम्बित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक उक्त योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित थी। वर्ष 2018-19 से 60.40 का वित्तीय पैटर्न (60 प्रतिशत केन्द्रांश 40 प्रतिशत राज्यांश) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018-19 व वर्ष 2019-20 की धनराशि भी अभी तक भारत सरकार द्वारा निर्गत नहीं की गयी है। भारत सरकार के स्तर से धनराशि अवमुक्त होते ही तत्काल भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कोंच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे टेक्नीशियन व पैथोलॉजिस्ट पद सृजित कराने के सम्बन्ध में

106-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कोंच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे टेक्नीशियन व पैथोलॉजिस्ट न होने के कारण से क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोंच में

एक्स-रे टेक्नीशियन एवं पैथालॉजिस्ट की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं, जिला क्षय रोग केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय, उरई में कार्यरत एक्स-रे टेक्नीशियन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच में एक्स-रे टेक्नीशियन का कार्य सप्ताह में चार दिन किया जा रहा है। जनपद-जालौन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंच में पैथोलॉजिस्ट का पद सृजित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार। पूर्णकालिक एक्स-रे टेक्नीशियन की तैनाती हेतु उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में

107-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय में वर्षवार विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों/कार्यों में ही किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों के अतिरिक्त मदों पर धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के योजना के सम्बन्ध में जानकारी

108-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय में वर्षवार किन-किन योजनाओं के सापेक्ष किन प्रयोजनों हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत

करने का प्रस्ताव भारत सरकार को विभाग की ओर से भेजा गया तथा विषयगत प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय में कितनी धनराशि की स्वीकृति जारी की गयी है ? क्या भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत समय-समय पर जारी विषयगत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों/कार्यों में किया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्षवार तथा मदवार विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां, (विवरण संलग्न है)†

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशालय में कार्यरत संयुक्त निदेशकों के सम्बन्ध में

109-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशालय में कार्यरत 02 संयुक्त निदेशकों की नियम विरुद्ध पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 24-04-2019 शासन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण योजना के सम्बन्ध में

110-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण योजना में गम्भीर

---

† नत्थी-(च) का उत्तर पीछे पृष्ठ 188-190 पर।

अनियमितताओं की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 24-04-2019 शासन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अभिलेखानुसार, शिकायती-पत्र दिनांक 24-04-2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी विषय से संबंधित पत्र सं0-6/367950, दिनांक 15-04-2019, पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215, दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशालयों में आउटसोर्सिंग द्वारा भरे गये कम्प्यूटर आपरेटर के पदों के सम्बन्ध में

111-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर आउटसोर्सिंग से कम्प्यूटर आपरेटरों की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दि0 24-04-2019 शासन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अभिलेखानुसार, शिकायती पत्र दिनांक 24-04-2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी विषय से संबंधित पत्र सं0-6/367945, दिनांक 15-04-2019, पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215, दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कार्ड जारी के मानक के सम्बन्ध में जानकारी

112-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर, रामाअमरापुर, अबूसा व मिर्रीकला में

किन-किन लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि आयुष्मान कार्ड जारी करने में घोर अनियमितताएं करते हुए अपात्रों को कार्ड जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव की ग्राम मिर्रीकला में 39, अबूसा में 17, रामाअमरापुर में 17 व त्रिपुरारपुर में 0 लाभार्थियों द्वारा गोल्डेन कार्ड बनाये गये है।

जी नहीं।

गोल्डेन कार्ड उन्हीं का बनाया जाता है, जिनका विवरण एस0आई0सी0सी0 डाटा बेस में उपलब्ध है। राज्य स्तर पर डाटा बेस में कोई परिवार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के यूनानी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी के सम्बन्ध में जानकारी

113-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में यूनानी अस्पतालों में डाक्टर की कमी को पूरा करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरनपुर के ग्राम भनेडा में चल रहे यूनानी अस्पताल में डाक्टर की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद बिजनौर में 09 चिकित्सालयों में कुल 10 चिकित्साधिकारी के पद सृजित हैं। जिसमें 05 पद भरे एवं 05 पद रिक्त हैं। विभाग में 101 रिक्त पदों का अधियाचन मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित है। चयन की कार्रवाई मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज में प्रक्रियाधीन है। चयन की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई की जायेगी।

जी हां। निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश दिनांक 27-06-2019 द्वारा राजकीय यूनानी चिकित्सालय, भनेडा में चिकित्साधिकारी की तैनाती कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तहसील स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर यूनानी अस्पताल बनवाने के सम्बन्ध में

114-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के तहसील स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर यूनानी अस्पताल बनवाने की सरकार की कोई योजना है यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र नगीना में तहसील नगीना में यूनानी अस्पताल एक किराये के जर्जर भवन (इमारत) में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के लिए नयी बिल्डिंग (इमारत) बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत चिकित्सालय के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण नये भवन का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

अल्पसंख्यक एवं वक्फ अनु0-3 के शासनादेश संख्या-1217/52-3-2015-सा0-(8)/2012 दिनांक 23 जुलाई, 2015, संख्या 1917/52-3-2015-सा(8)/2012 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

115-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक एवं वक्फ अनु0-3 के शासनादेश संख्या-1217/52-3-2015-सा0-(8)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2015, संख्या-1917/52-3-2015 सा(8)/2012 दिनांक 13 अगस्त 2015 तथा संख्या 2634/52-3-2015 (रिट)12/10 टी0सी0, दि0 19 नवम्बर, 2015 द्वारा अनुदान सूची पर लिए गए मदरसों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मदरसा प्रबन्धतन्त्र द्वारा की गयी नियुक्तियों पर अनुचित अनुमोदन/सहमति दिए जाने तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के संयुक्त निदेशक/रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद् के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने एवं उनकी चल अचल सम्पत्ति की सतर्कता जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दि0 09-05-2019 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अभिलेखानुसार, शिकायती पत्र दिनांक 24-04-2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी विषय से संबंधित पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215 दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-1514752-3-2018 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

116-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 35 अरबी फारसी मदरसों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-15147/52-3-2018, दिनांक 28 अगस्त, 2018 में उल्लिखित निर्देशों के विपरीत कार्यवाही करने तथा अन्य अनियमितताओं हेतु अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के संयुक्त निदेशक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने एवं उनकी चल अचल सम्पत्ति की सतर्कता जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 17-05-2019 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अभिलेखानुसार, शिकायती-पत्र दिनांक 17-05-2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी विषय से संबंधित पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215 दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 13 अगस्त, 2015 तथा शासनादेशक 19 नवम्बर, 2015 में अनुदान सूची पर लिये गये मदरसों में चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्सिंग पदों के सम्बन्ध में

117-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-3 से जारी शासनादेश दि0 23 जुलाई, 2015 शासनादेश दि0 13 अगस्त, 2015 तथा शासनादेश 19 नवम्बर, 2015 में अनुदान सूची पर लिये गये मदरसों में चतुर्थ श्रेणी के पदों को केवल आउटसोर्सिंग से भरे जाने के निर्देश हैं ? यदि हां, तो उक्त शासनादेशों में अनुदान सूची पर लिये गये कितने मदरसे ऐसे हैं जिनमें आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति न कर मदरसा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियमित नियुक्ति कर उनकी नियुक्ति पर

रजिस्ट्रार, मदरसा शिक्षा परिषद उ0प्र0 की सहमति/अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? क्या उक्त प्रकरण में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दि0 24-04-2019 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

उक्त शासनादेशों में निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश मदरसा मान्यता, प्रशासन एवं सेवा विनियमावली में प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1711/52-3-2017-सा(5)/2014, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 द्वारा किया गया। वर्ष 2014-15 में अनुदान सूची पर लिये गये मदरसों में कुल 15 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव मांगे गये थे जिसमें अनुचर का भी पद सम्मिलित था। मांगे गये प्रस्ताव के क्रम में मदरसों के प्रबन्धन द्वारा अनुचर पद पर की गयी नियुक्तियों का कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 13-03-2012 एवं सन्दर्भगत शासनादेश 23 जुलाई, 2015, 13 अगस्त, 2015 एवं 19 नवम्बर, 2015 के प्राविधानों के आलोक में निरस्त किये जाने पर विभिन्न आवेदकगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में विभिन्न याचिकायें योजित की गयीं जिनमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के समादर में प्राप्त प्रत्यावेदनों को निरस्त कर दिया गया।

उक्त निरस्तीकरण के विरुद्ध याचीगण द्वारा पुनः याचिकायें योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् के निस्तारण आदेश को निरस्त करते हुये उत्तर प्रदेश मदरसा मान्यता, सेवा विनियमावली में किये गये प्रथम संशोधन दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के पूर्ववर्ती होने के कारण उनकी नियुक्तियां वैध मानते हुये आदेश पारित किये गये, जिसके क्रम में नियमानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

आउटसोर्सिंग से भरे जाने की नियमावली दिनांक 22 सितम्बर, 2017 से प्रख्यापित हुई है। उक्त के उपरान्त आउटसोर्सिंग से भरे जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अभिलेखानुसार शिकायती पत्र दिनांक 24-04-2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। इसी विषय से संबंधित पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215, दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सातवें वेतनमान के सम्बन्ध में

118-श्री सूर्यभान सिंह-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सातवें वेतनमान लागू होने पर प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के साथ उनके भत्तों में बढ़ोत्तरी की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के

सचिवालय भत्ता में अब तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार सचिवालय भत्ता बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान एवं महंगाई भत्ता राज्य सरकार के भी कर्मचारियों को अनुमन्य कराये जाने की राज्य सरकार की नीति है। राज्य सरकार द्वारा सभी राज्य कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना एवं महंगाई भत्ता दिनांक 01-01-2016 से अनुमन्य कर दिया गया है।

अन्य भत्तों के बारे में राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों एवं विकास की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन भत्ता, एलोपैथिक चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस भत्ता, यात्रा भत्ता एवं पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल/समतुल्य पद एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता का पुनरीक्षण किया जा चुका है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में वेंटीलेटर स्थापित के सम्बन्ध में जानकारी

119-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में वेंटीलेटर स्थापित किये जाने के क्या मानक हैं व प्रदेश के कितने जिला चिकित्सालयों में कुल कितने-कितने वेंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के चिकित्सालयों में वेंटीलेटर स्थापित किये जाने का कोई मानक नहीं है। प्रदेश के ए0ई0एस0 एवं जे0 ई0 प्रभावित जनपदों के चिकित्सालयों में पी0आई0सी0यू0 एवं मिनी पी0आई0सी0यू0 में 172 पीडियॉट्रिक वेंटीलेटर क्रियाशील हैं तथा 07 जिला स्तरीय एस0एन0सी0यू0 में प्रति एस0एन0सी0यू0 02 की दर से कुल 14 नियोनेटल वेंटीलेट क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न चिकित्सालयों में 30 एडल्ड वेंटीलेटर्स क्रियाशील हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं के यौन व हिंसाजनित उत्पीड़न में शीघ्र न्याय दिलाने के सम्बन्ध में

120-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं के यौन व हिंसाजनित उत्पीड़न में शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से कोई स्थाई विशेष पोर्टल या सेल स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में महिलाओं के यौन व हिंसाजनित उत्पीड़न में शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग में सम्प्रति कोई विशेष पोर्टल या सेल की स्थापना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में महिलाओं के यौन व हिंसाजनित उत्पीड़न के दृष्टिगत तात्कालिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित 181-महिला हेल्पलाइन एवं वन स्टाप सेन्टर योजना का संचालन किया जा रहा है। वन स्टाप सेन्टर योजना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे हिंसा पीड़ित बालिकाओं/महिलाओं को चिकित्सा/कानूनी सहायता एवं पुनवार्सन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

तदैव।

प्रदेश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को निजी चिकित्सा पर कार्य करने के सम्बन्ध में

121-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों जोकि निजी चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं, को प्रतिबन्धित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-713-सेक-9/पांच-91-29/99, दिनांक 11 मार्च, 1991 द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों तथा शासनादेश 5801-सेक-15/5-90-26(रिट)/90, दिनांक 16 फरवरी, 1991 द्वारा होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को निजी चिकित्सा अभ्यास करने की छूट प्रदान की गयी है।

प्रान्तीय होम्योपैथिक संवर्ग के ए0डी0 एवं सी0एम0एस0 के समस्त पदों के पदोन्नति के सम्बन्ध में

122-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय होम्योपैथिक संवर्ग के ए0डी0 एवं सी0एम0एस0 तथा वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर रोकी गयी पदोन्नति डी0पी0सी0 के माध्यम से सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

डी0पी0सी0 की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र ही सम्पन्न करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित महाभारत कालीन नगरी दनकौर को पर्यटन स्थल बनाने सम्बन्ध में

123-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में स्थित महाभारतकालीन नगरी दनकौर जिसे गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर द्रोणनगरी भी कहा जाता है, को पर्यटन नगरी के रूप में सरकार विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद गौतमबुद्धनगर के दनकौर स्थित महाभारतकालीन गुरु द्रोणाचार्य मंदिर के पर्यटन विकास हेतु रु0 09.96 लाख के अन्तर्गत कार्य कराये गये हैं। उपर्युक्त स्थल का पर्यटन साहित्य में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के नियमित चैकिंग व गलत आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में

124-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के नियमित चेकिंग और चेकिंग में फेल दवा आपूर्तिकर्ता फर्मों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की कोई नीति सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की नियमित गुणवत्ता जांच निर्धारित है, जिसमें फेल दवा आपूर्तिकर्ता फर्मों के विरुद्ध निम्न दण्डात्मक कार्रवाई का प्राविधान है :-

आपूर्तिकर्ता फर्म की 02 औषधियों के नमूने फेल पाये जाने की दशा में फर्म को 03 वर्ष के लिये ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।

आपूर्तिकर्ता फर्म की 02 से अधिक औषधियों के नमूने फेल पाये जाने की दशा में सम्बन्धित फर्म को 03 वर्ष के लिये पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के पुवायां मुख्यालय में निर्माणाधीन राजकीय महिला चिकित्सालय के सम्बन्ध में

125-श्री चेतराम-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 134, पुवायां मुख्यालय पर निर्माणाधीन राजकीय महिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य मानकों के अनुसार ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में शासन स्तर से जांच कराकर निर्धारित मानकों के अनुसार महिला चिकित्सालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

प्रशन नहीं उठता।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशालयों में आउट सोर्सिंग से कम्प्यूटर आपरेटरों का अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में

126-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर आउटसोर्सिंग से कम्प्यूटर आपरेटरों की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 24-04-2019 शासन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री लक्ष्मी नारायण-

अभिलेखानुसार, शिकायती-पत्र दिनांक 24-04-2019, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी विषय से सम्बन्धित पत्र सं0-6/367945, दिनांक 15-4-2019, पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215, दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-3 के शासनादेश संख्या 121/52-3-2015-सा(8)/2012 दिनांक 23 जुलाई, 2015 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

127-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-3 के शासनादेश संख्या-1217/52-3-2015-सा(8)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2015 संख्या-1917/52-3-2015-सा(8)/2012, दिनांक 13 अगस्त, 2015 संख्या-2634/52-3-2015-रिट(12)/10 टी0सी0, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 द्वारा अनुदान सूची पर लिए गये मदरसों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मदरसा प्रबन्धतंत्र द्वारा की गयी नियुक्तियों पर अनुचित अनुमोदन/सहमति दिये जाने तथा अन्य अतियमितताओं के सम्बन्ध में निदेशक/रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद् के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने एवं उनकी चल-अचल सम्पत्ति की सतर्कता जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 09-05-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अभिलेखानुसार, शिकायती-पत्र दिनांक 09-05-2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी विषय से सम्बन्धित पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215, दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-3 से जारी शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2015 के सम्बन्ध में

128-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-3 से जारी शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2015, शासनादेश दिनांक 13 अगस्त, 2015 तथा शासनादेश दिनांक 19 नवम्बर, 2015 में अनुदान सूची पर लिये गये मदरसों में चतुर्थ श्रेणी के पदों को केवल आउटसोर्सिंग से भरे जाने के निर्देश के विपरीत मदरसा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियमित नियुक्ति कर उनकी नियुक्ति पर रजिस्ट्रार, मदरसा शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 24-04-2019 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अभिलेखानुसार, शिकायती-पत्र दिनांक 24-04-2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी विषय से संबंधित पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215, दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-1514/52-3-2018, दि0 28 अगस्त, 2018 कार्रवाई के सम्बन्ध में

129-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 35 अरबी फारसी मदरसों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1514/52-3-2018, दिनांक 28 अगस्त, 2018 में उल्लिखित निर्देशों के विपरीत कार्रवाई करने तथा अन्य अनियमितताओं हेतु अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के संयुक्त निदेशक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने एवं उनकी चल-अचल सम्पत्ति की सतर्कता जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 17-05-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अभिलेखानुसार, शिकायती-पत्र दिनांक 17-05-2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी विषय से संबंधित पत्र सं0-6/156214, दिनांक 09-05-2019 व पत्र सं0-6/156215, दिनांक 09-05-2019 विभाग में प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक मुरसान के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पैंठगांव पर चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट की तैनाती के सम्बन्ध में

130-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक मुरसान के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पैंठगांव पर पिछले 2 वर्ष से किसी चिकित्सक एवं

फार्मासिस्ट की तैनाती न होने के कारण असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट की तैनाती करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद हाथरस में ब्लॉक मुरसान के अन्तर्गत पैंठगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, बल्कि उपकेन्द्र है। उक्त उपकेन्द्र पर स्वास्थ्य कार्यकत्री के स्वीकृत एक पद के सापेक्ष स्वास्थ्य कार्यकत्री तैनात है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर कस्बा वण्डा एवं सम्पूर्ण पुवायां में प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य परोपकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के सम्बन्ध में

131-श्री चेतराम-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य परोपकारी योजना के अन्तर्गत कस्बा वण्डा एवं विधान सभा क्षेत्र पुवायां (शाहजहांपुर) के ग्रामीण अंचलों के ग्रामों के पात्र व्यक्तियों के चयन को छोड़ दिया गया है जिस कारण गांव के गरीब पात्र लोग योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे कराकर छूटे पात्र व्यक्तियों को उपरोक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

एस0ई0सी0सी0 डाटा बेस में विकास खण्डवार पात्र लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

ब्लाक का नाम	लाभार्थियों की संख्या
वण्डा	15,136
खुटार	9,543
पुवायॉ	10,611

एस0ई0सी0सी0 2011 के अनुसार छूटे हुये पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारम्भ किया गया है जिसमें ब्लाक वण्डा के 76 परिवार व ब्लाक पुवायां के 221 परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ अनुमन्य कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिनांक 18-11-2012 को पत्र संख्या-1फ/291/85/6883/2012 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

132-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 18-11-2012 को पत्र संख्या-1फ/291/85/6883/2012 व पत्रांक सं0-833/पांच-7-2012 दिनांक 13-04-2012 में की गयी शिकायतों की बिन्दुवार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1फ/291/85/6883/2012, दिनाक 18-11-2012 द्वारा जनपद हरदोई में स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय कार्यक्रम (पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम) व अन्य कार्यक्रमों में डा0 ए0के0 अवस्थी, डी0टी0ओ0, हरदोई व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु निदेशक (पैरामेडिकल), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया गया। निदेशक (पैरामेडिकल), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ की जांच आख्या दिनांक 21-06-2013 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 08-07-2013 के माध्यम से प्राप्त हुई।

जांच आख्या में दिये गये निष्कर्ष के आधार पर प्रकरण की विशेष सम्प्रेक्षा कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 31-03-2014 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ तथा वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया गया।

वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 29-05-2014 द्वारा प्रकरण की सम्प्रेक्षा कर सम्प्रेक्षा रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी, जिसमें डा0 ए0के अवस्थी, डी0टी0ओ0, हरदोई को पुनरीक्षित वेतनमान एवं प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के रूप में भुगतान हेतु तथा श्री उमेश कुमार बी0सी0जी0 टेक्नीशियन को बी0एड0 करने के दौरान उन्हें वेतन आदि का भुगतान एवं उपस्थिति प्रमाणित किये जाने हेतु तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, हरदोई को उत्तरदायी बताया गया।

फलस्वरूप प्रकरण में उत्तरदायी तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, हरदोई के नाम/पदनाम के साथ संगत साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र गठित कराकर तीन प्रतियों में शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 10-06-2014 एवं अनुस्मारक-पत्रों क्रमशः दिनांक 09-04-2015, 28-12-2018 एवं 08-03-2019 द्वारा

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ तथा वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद हेतु क्रय की गयी औषधि के सम्बन्ध में जानकारी

133-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय के लिए कितनी औषधि क्रय की गयी/उपलब्ध करायी गयी है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा माह सितम्बर, 2018 से जून, 2019 के मध्य कुल 196 दवाओं की आपूर्ति हेतु 394 क्रयादेश जारी करते हुये 161 दवाओं की आपूर्ति की गयी है।

जी हां। विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत सी0एच0सी0 बिलारी सहित अन्य स्थानों पर बने समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

134-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत सी0एच0सी0 बिलारी सहित अन्य स्थानों पर बने समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा निश्चित अवधि में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद मुरादाबाद के सी0एच0सी0 बिलारी व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्योडारा, रीठ, कुडफतेहगढ़ व बेरनी में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

केन्द्र का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
सी0एच0सी0 बिलारी	05	03	02
अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्योडारा	02	02	-
अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र रीठ	02	02	-

† नत्थी-(छ) का उत्तर पीछे पृष्ठ 191-193 दर।

अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र कुडफतेहगढ़	02	01	01
अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र बेरनी	02	02	-

लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत बिलारी में बने आयुर्वेदिक अस्पतालों को भवन व स्वीकृत संख्या में स्टाफ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

135-मो0 फईम इरफान-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत किस-किस स्थान पर आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित हैं ? क्या उक्त आयुर्वेदिक अस्पतालों के पास अपना भवन एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसी निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत उक्त अस्पतालों को भवन एवं स्टाफ उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

विधान सभा क्षेत्र बिलारी, जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिलारी (25 शैय्या युक्त) तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, स्योडारा (04 शैय्या युक्त) कुल 02 आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिलारी एवं स्योडारा के पास अपना भवन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसरों में संचालित है।

1-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 25 शैय्या बिलारी में तैनात स्टाफ का विवरण निम्नवत् है-

उपरोक्त दोनों आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलारी एवं स्योडारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में संचालित हैं।

आयुष विभाग में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त 1119 पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित है, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा 325 पदों का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है। नर्सेज संवर्ग की नियमावली बनाये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति वर्ष 2010 से प्रतिबन्धित है।

लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुति के आधार पर 212 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर डाक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में

136-श्री फतेह बहादुर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर मानकानुसार डाक्टरों की तैनाती सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। प्रदेश के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर उपलब्धता/विशेषज्ञता के आधार पर डाक्टरों की तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर दन्त चिकित्सकों की तैनाती करने के सम्बन्ध में

137-श्री फतेह बहादुर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर दन्त चिकित्सकों की कमी से उक्त के रोगियों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर मानकानुसार दन्त चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दन्त सर्जन की तैनाती की व्यवस्था नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दन्त सर्जन की तैनाती की जाती है। दन्त सर्जन के रिक्त पदों को भरने के लिये उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है, जिस पर चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही में नया जिला अस्पताल निर्माण पूर्ण कराकर चालू कराये जाने की के सम्बन्ध में

138-श्री विजय मिश्र-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में नया जिला अस्पताल जो निर्माण निगम द्वारा बनवाया जा रहा था, को निर्माण कार्य पूर्ण कराकर कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय संतरविदास नगर के भवन निर्माण में निर्माण एजेन्सी द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है। चिकित्सालय का अवशेष निर्माण कार्य लाभांश से पूर्ण कराये जाने हेतु राजकीय निर्माण निगम लि0 को निर्देशित किया गया है। भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त चिकित्सालय चालू कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की जनता को सर्व सुलभ गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

139-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जनता को सर्व सुलभ सुगम, गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रदेश में 102, 108 एम्बुलेन्स सेवाओं के साथ ही ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स सेवा संचालित है। आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत गरीबों को गम्भीर रोगों के उपचार हेतु इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है।

जन आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) योजनान्तर्गत चिन्हित चिकित्सालयों में गरीबों को गम्भीर रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

चिकित्सा केन्द्रों एवं अस्पतालों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे-टीकाकरण, पल्स-पोलियो, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (डाट्स), फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम एवं कुष्ठ रोग आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

एन0एच0एम0 के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 28 जनपदों के 250 चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टेलीमेडिसिन परियोजना एवं प्रदेश के 323 चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व जिला चिकित्सालयों में टेली रेडियोलॉजी सेवायें आरम्भ की गयी है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा सचल चिकित्सालय के रूप में सम्बन्धित जनपदों के दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों की चिकित्सीय समस्याओं का निदान यथा-प्राथमिक उपचार तथा पैथालॉजी जांचों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

हेल्थ वेलनेस सेन्टर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित पुरातात्विक महत्व की इमारतों के संरक्षण और उनसे जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना की जानकारी

140-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित पुरातात्विक महत्व की इमारतों का संरक्षण कर उनसे जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत संरक्षित महत्वपूर्ण स्मारकों के अनुरक्षण के उपरान्त लाइट एण्ड साउण्ड कार्यक्रम, सिटी साइनस म्यूजियम, विरासत शोध केन्द्र/जनपुस्तकालय के रूप में विकसित किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:15] प्रश्नों की महत्वा एवं उस पर अनुपूरक, लखनऊ में सारगर्भित उत्तर हेतु पीठ द्वारा बता दिया जाना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज हमने यह प्रयास किया कि ज्यादा प्रश्न लिये जायें तो आप सबने सहयोग दिया इससे किसी को कष्ट भी हुआ होगा। आज 09 सवाल हो गये नहीं तो 03 एवं 04 सवाल ही हो पाते थे। जो पद्धति आज अपनाई गई है यही पद्धति चलती रहनी चाहिये।

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

मान्यवर, प्रश्नों के सन्दर्भ में कहना है कि प्रश्न-08 पर हाजी इरफान सोलंकी जी ने प्रश्न किया था। अंत में मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम कानपुर में दीवार नहीं गिराये हैं, अगर दीवार गिरानी होगी तो रामपुर में गिरायेंगे।

***दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-**

मान्यवर, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है, आप कार्यवाही निकलवाकर दिखवा लीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने ऐसा नहीं कहा है वह मजाक कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हम देख लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी पुराने मंत्री है, अनुभवी मंत्री हैं और कई सरकारों में काम किया है। लेकिन यह सरकार जो हमेशा सत्य एवं गुरूर की बात करती है उसका असर पीठ पर भी पड़ता है और विधान सभा, सचिवालय पर भी पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

आपके लिये रामपुर और कानपुर एक रहना चाहिये उसमें कठिनाई क्या है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इन्हीं के असत्य प्रलाप से, विरोधियों को दबाने के परिणाम से आपके सचिवालय पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आज की कार्य-सूची देख लीजिये। सोमवार 31 आषाढ़, शक संवत् 1941 (22 जुलाई) 17 जुलाई को ही सावन शुरू हो गया था और आज भी इनका आषाढ़ चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जो चल रहा है वह दूसरी तरह का संवत् है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

महिमा घटी समुद्र की, अमुक बसे पड़ोस।

श्री अध्यक्ष-

वह दूसरा संवत् है जो उसमें छपता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय मंत्री जी की मंशा से सरकार की मंशा जाहिर हो गयी। हमारी पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य आजम खां को, जो इस सदन के कई बार सदस्य रहे है, मंत्री रहे, सरकार जान-बूझकर प्रताड़ित कर रही है।

[12:22] गोवा के मुख्य मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित तथा लोक जन शक्ति पार्टी के सांसद श्री राम चन्द्र पासवान व उ0प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

हमने निधन के निदेश कहा था आप मा0 आजम खां की बात ले आये, आपको निधन वाले में नहीं बोलना चाहिये था, नहीं टोकना चाहिये था।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, गोवा के मुख्य मंत्री के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर जी का जो कार्यकाल रहा है वह अत्यन्त ही अनुकरणीय रहा है। 17 मार्च, 2019 को लगभग 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। श्री मनोहर पर्रिकर का जन्म 13 दिसम्बर, 1955 को मापुसा, गोवा में हुआ था। उन्होंने आई0आई0टी0, मुम्बई से इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मनोहर पर्रिकर 14 मार्च, 2017 से गोवा के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन थे। इससे पहले वे वर्ष 2000 से 2005 तथा 2012 से 2014 तक गोवा के मुख्य मंत्री रहे थे। वे वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सांसद निर्वाचित हुये थे तथा 2014 से 2017 तक देश के रक्षा मंत्री भी रहे। गोवा के मुख्य मंत्री एवं भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। उनके रक्षा मंत्री रहते हुये भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने पराक्रम एवं शौर्य का परिचय दिया था। असाधारण व्यक्तित्व वाले श्री पर्रिकर बेहद लोकप्रिय और जनता से जुड़े रहने वाले नेता थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत एवं कार्यों से सार्वजनिक जीवन में सादगी और दृढ़ता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके निधन से गोवा और देश के सार्वजनिक जीवन में अपूर्णनीय क्षति हुई है। देश के प्रति उनकी सेवाओं को सदैव याद किया जायेगा। मैं उनके प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुये उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना इस अवसर पर शोक-संतप्त परिजनों तक पहुंचाने का कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में विकास की राजनीति को एक नई गति देने वाली दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी का दिनांक 20 जुलाई, 2019 को लगभग 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्रीमती शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च, 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। वे वर्ष 1998 से 2013 तक लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्य मंत्री रही। वे वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हुई तथा केन्द्र में कैबिनेट मंत्री भी रही थी। वे केरल की राज्यपाल तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थीं। श्रीमती शीली दीक्षित ने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था, उनके इस योगदान को हमेशा याद किया जायेगा। सौम्य एवं

मृदुभाषी श्रीमती शीला दीक्षित ने सत्ता के साथ-साथ, कांग्रेस संगठन के साथ भी बेहतर तालमेल के साथ ही दिल्ली के विकास की यात्रा को भी एक गति दी। मैं उनके प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुये उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारी संवेदना इस अवसर पर शोक-संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें साथ ही सदन के हमारे कुछ पूर्व माननीय सदस्यों के प्रति भी, जिनके नाम का उल्लेख अध्यक्ष पीठ के द्वारा किया जायेगा, उन सब के प्रति और लोक जन शक्ति पार्टी के माननीय सांसद श्री राम चन्द्र पासवान जो बिहार से कई बार चयनित हुये थे, लोकसभा के वर्तमान में सांसद थे उनके भी निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनके प्रति और उनकी सार्वजनिक सेवाओं को कोटि-कोटि नमन करते हुये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपील करता हूं कि हम सबकी संवेदना शोक-संतप्त परिजनों तक भिजवाने की कृपा करें।

*** नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोक-संवेदना व्यक्त की है, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। गोवा के मुख्य मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का 17 मार्च, 2019 को निधन हो गया, वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री मनोहर पर्रिकर का जन्म 13 दिसम्बर, 1955 को मापुसा, गोवा में हुआ था। उन्होंने आई0आई0टी0, मुम्बई से बी0टेक0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन आरम्भ किया था। वर्ष 1994 में वे पहली बार गोवा विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री पर्रिकर 14 मई, 2017 से गोवा के मुख्य मंत्री पद पर आसीन थे। इससे पहले वे वर्ष 2000 से 2005 तक, 2012 से 2014 तक गोवा के मुख्य मंत्री रहे थे। वे 2014 में उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सांसद निर्वाचित हुये थे, यह इस सदन का सौभाग्य है तथा उन्होंने 2014 से 2017 तक देश के रक्षा मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वे एक अद्वितीय नेता, सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे। भारतीय राजनीति में सरलता, शुचिता, धवलता के साथ कर्मयोगी की भांति राष्ट्र-सेवा में सतत् तत्पर रहे श्री मनोहर पर्रिकर ने समाज-जीवन में जो दायित्व मिला, उसे निष्ठापूर्वक पूरा किया। देश के प्रति की गयी उनकी सेवाओं के लिये उनको हमेशा याद रखा जायेगा।

मान्यवर, दूसरे एक महान नेता, जिनके परिवार का सम्बन्ध देश की आजादी से रहा है। श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक बार सांसद भी रहीं। दिल्ली की 03 बार वह मुख्य मंत्री रहीं। इनके ससुर जो उमाशंकर दीक्षित जी थे, देश के जाने-माने कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे और वे गृह मंत्री भी रहीं थे। शीला दीक्षित जी ने नई दिल्ली ओर पुरानी दिल्ली को एक विकास की ऐसी गति दी जो पूरी दुनिया का वहां पर खेल हुआ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था, दुनिया उस विकास के कामों को सराह करके गयी। उनका जन्म 31 मार्च, 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती शीला दीक्षित वर्ष 1998 से 2013 तक लगातार 03 बार दिल्ली की मुख्य मंत्री रहीं। वे वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं तथा केन्द्र में कैबिनेट मंत्री भी रहीं। उन्होंने अपने शासन के दौरान दिल्ली में कई बड़ी योजनायें चलायीं तथा दिल्ली शहर के आधुनिकीकरण में अभूतपूर्व योगदान दिया। वे केरल की राज्यपाल तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। श्रीमती शीला दीक्षित एक कर्मठ, योग्य प्रशासक तथा कांग्रेस की समर्पित नेता थी। श्रीमती शीला दीक्षित के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक नाम और इसमें जोड़ा है श्री राम चन्द्र पासवान, वह हमारे जिले के बगल से चुन करके जाते थे। एक ऐसे अच्छे राजनीतिज्ञ और समाजसेवी के निधन से भी देश को दुःख है। श्री राम चन्द्र पासवान जी कई बार बहलया में आये, हम लोगों के क्षेत्र में भी आये। वह केन्द्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान के छोटे भाई थे। वह मिलनसार थे, जनता के लिये 24 घण्टे तैयार रहते थे, ऐसा नेता जो हमने खोया है, वह देश के लिये अपूर्णनीय क्षति है।

इस विधान सभा के लगभग 15 पूर्व विधायकों का जो पूर्व में निधन हुआ है उनके प्रति भी और हमारी तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मनोहर पर्रिकर जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी, पासवान जी तथा सदन के पूर्व 15 सदस्यों का जो निधन हुआ है और जो दुःख हुआ है लोगों को उनके शोकाकुल परिवार को हमारी अपनी संवेदनायें हमारी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री उमाशंकर सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, जो शोक संवेदना नेता सदन एवं नेता विरोधी दल ने सदन के सामने रखी हैं मैं उसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, श्री मनोहर पर्रिकर जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं उनका निधन 17 मार्च, 2019 को हो गया था। उस समय उनकी आयु लगभग 64 साल थी। श्री मनोहर पर्रिकर जी का जन्म 13 दिसम्बर 1955 को मापुसा, गोवा में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा आई0आई0टी0, मुम्बई से बी0टेक0 की डिग्री के रूप में प्राप्त की थी। श्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन आरम्भ किया था। वर्ष 1994 में वह पहली बार गोवा विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री पार्रिकर जी 14 मार्च, 2017 से गोवा के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन थे। इससे पहले वह 2000 से 2005 तक तथा 2012 से 2014 तक गोवा के मुख्य मंत्री भी रहे। वह वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सांसद भी निर्वाचित हुये थे तथा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2014 से 2017 तक देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन किया। वह एक अद्वितीय नेता, सच्चे देश भक्त और असाधारण शासक थे। भारतीय राजनीति में सरलता, शुचिता के साथ कर्म योगी की भांति राष्ट्र सेवा में सदा तत्पर रहें। श्री मनोहर पर्रिकर जी को समाजिक जीवन में जो दायित्व मिला उसे निष्ठा से पूरा कर एक अनूठी मिसाल कायम की। देश के प्रति की गयी उनकी सेवाओं के लिये उनको हमेशा याद रखा जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, जो दूसरी हमारी नेता जो आज हम सब के बीच में नहीं रही हैं श्रीमती शीला दीक्षित जी जिनका निधन 20 जुलाई, 2019 को दिल्ली में हुआ था जिनकी उम्र लगभग 81 साल थी। श्रीमती शीला दीक्षित जी का जन्म 31 मार्च, 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती शीला दीक्षित वर्ष 1998 से 2013 तक लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्य मंत्री रहीं। दिल्ली में उनके द्वारा कराये गये विकास कार्यों की चर्चा आज पूरे देश में है। वह वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोक सभा की सदस्य भी निर्वाचित हुई थीं तथा केन्द्र में कैबिनेट मंत्री भी रहीं। उनके निधन से उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि दिल्ली ने उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधित्व खो दिया है। उन्होंने अपने शासन के दौरान दिल्ली में कई बड़ी योजनायें चलाईं तथा दिल्ली शहर के आधुनिकीकरण में अपना अभूतपूर्व योगदान भी दिया। वह केरल की राज्पपाल भी रहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। श्रीमती शीला दिक्षित एक कर्मठ योग्य प्रशसक तथा कांग्रेस की एक समर्पित नेता थीं। श्रीमती शीला दीक्षित के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता सदन जी ने जो हमारे पड़ोसी प्रदेश के लोक सभा सदस्य के प्रति जो शोक संवेदनायें व्यक्त की उससे भी मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। नेता सदन और हमारे विरोधी दल ने जो हमारे पूर्व विधायकगणों जिनकी संख्या लगभग 15 हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके प्रति भी मैं और मेरा दल अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता है और मा0 अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे दल की तरफ से जो हमारी शोक संवेदना है उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मा0 अध्यक्ष जी, बड़े दु:ख का विषय है कि गोवा के पूर्व मुख्य मंत्री और देश के रक्षा मंत्री के पद की शोभा को बढ़ाने वाले आदरणीय श्री मनोहर पर्रिकर जी का 64 बरस की उम्र में दिनांक 17 मार्च, 2019 को निधन हो गया। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, समाज के सच्चे प्रहरी थे। उन्होंने देश को नये आयाम देने का प्रयास किया। सामान्य व्यक्तित्व, सामान्य ढंग से चलने वाले, सरल जीवन जीने वाले और राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित भाव से काम करने का उनका एक अपना इतिहास रहा है। वे उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सांसद भी रहें और देश में उनके द्वारा किये गये कार्यों को सदैव याद किया जायेगा। ऐसे ही दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी का निधन दिनांक 20 जुलाई, 2019 को लगभग 81 वर्ष की आयु में एक बीमारी के दौरान हो गया। वे वर्ष 1998 से 2013 तक लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्य मंत्री रहीं और वर्ष 1984 में पहली बार कन्नौज से लोक सभा की सदस्य भी निर्वाचित हुईं। केन्द्र में कैबिनेट मंत्री रहकर देश की सेवा करने का उनका एक बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वे केरल की माननीय राज्यपाल भी रहीं। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से विकास का एक नया आयाम और मॉडल देश, दुनिया और दिल्ली और दिल्ली जैसी जगह को देने का कार्य किया। एक विकास महिला, एक नयी कीर्तिमानधारी, राजनीति की एक सशक्त प्रहरी के रूप में उनकी पहचान रही है। उनको वर्ष 2010 में भारत-ईरान सोसाइटी द्वारा दारा शिकोह पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 2013 में उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा के लिये ऑल लेडीज़ लीग द्वारा उनको दिल्ली वुमेन ऑफ द डिकेड अचीवर्स अवार्ड द्वारा भी सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय, वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं और उनके नेतृत्व में संगठन में बहुत सारे नये फैसले लिये गये और संगठन को ठीक ढंग से चलाने का काम भी उनके द्वारा निरन्तर किया जाता रहा। अभी बिहार के सांसद श्री राम विलास पासवान जी का भी निधन हो गया। निश्चित रूप से न तमाम लोगों के दिवंगत होने से समाज ने सच्चे प्रहरी खोये हैं और इनके न रहने से हम सब लोगों ने कुशल राजनीतिज्ञ भी खोये हैं। साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 15 पूर्व विधायक जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इन सभी के प्रति हम अपनी तथा कांग्रेस पार्टी की तरफ से शोक-संवेदना व्यकत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शान्ति मिले। हमारा आपसे आग्रह है कि आप हम और हमारे दल की शोक-संवेदनायें इनके परिजनों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री नील रतन सिंह पटेल ''नीलू''-

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस दुख की घड़ी में इस शोक सभा में मैं अपने आपको नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी और नेता कांग्रेस से सम्बद्ध करते हुये यह कहना चाहूंगा कि दिवंगत परम् सम्मानित मनोहर पर्रिकर जी ऐसे एक राजनेता थे, जिनके निधन से भारत की राजरीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। मनोहर पर्रिकर जी गोवा में पैदा हुये थे और गोवा के मुख्य मंत्री भी रहे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे। मुझे दिल्ली में दो बार उनसे मिलने का अवसर भी मिला था। वे बेहद सरल स्वभाव के थे और आम जनमानस से वह खुलकर संवाद करने का काम करते थे। इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री परम् सम्माननीया शीला दीक्षित जी भी हम लोगों के बीच में नहीं रहीं। कांग्रेस को आगे बढ़ाने में और साथ ही साथ दिल्ली की मुख्य मंत्री रहते हुये दिल्ली का उन्होंने जो सर्वांगीण विकास किया, वह निश्चित तौर पर दलगत भावना से ऊपर उठ करके उन्होंने विकास को पूर्णरूप से आत्मसात करके विकास की कड़ी से अपने आपको जोड़ने का काम किया था साथ ही साथ बिहार प्रदेश से राम विलास पासवान जी जो सांसद के रूप में चुनकर देश की सबसे बड़ी

पंचायत में गये आज वह भी हम लोगों के बीच में नहीं है। हमारे इस सदन के तमाम पूर्व विधायक 15 की कुल संख्या में जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। इन तमाम लोगों को मैं अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और बाबा भोलेनाथ से यह कामना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी अपना दल की तरफ से आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में दुःखी परिवारों तक हमारी संवेदना पहुंचाने का आप कार्य करें। ओम शांति।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता अपना दल के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी, श्री राम विलास पासवान जी और हमारे 15 विधान सभा सदस्य जो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे उनके प्रति हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये अनुरोध करते हैं कि आपके माध्यम से शोक संवदेना शोक संतप्त परिवारों को भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन और मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान् राम गोविन्द जी, बहुजन समाज पार्टी के उपनेता उमाशंकर जी, कांग्रेस के नेता माननीय लल्लू जी, अपना दल के माननीय पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने इस आदरणीय सदन में गोवा के मुख्य मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर जी, दिल्ली की मुख्य मंत्री रहीं शीला जी और बिहार के नेता श्री पासवा जी के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार अभिव्यक्त किये हैं मैं उन शोकोद्गार से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। बहुधा ऐसे अवसर सबके जीवन में आते हैं जब हम अपने प्रियजनों को खोकर बहुत दुःखी और हताश हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस आदरणीय सदन द्वारा श्री मनोहर पर्रिकर जी राज्य सभा के लिये चुने गये थे। वह हम लोगों के निकट थे। हमसे अधिकांश इस आदरणीय सदन के सदस्य उनसे मिलते रहे हैं। ऐसा नहीं लगता था कि हम बहुत बड़े नेता से मिल रहे हैं, स्वाभाविक बातचीत, स्वाभाविक हंसी-मजाक, स्वाभाविक गपशप, हाथ में हाथ लेकर टहलना, घूमना ऐसा हम लोगों को याद आता है। उनका गोवा में होकर बहुत दूर भारत के सुदूर कोने में पूरे देश की राजनीति को, समाजसेवा को एक विशिष्ट स्थान देना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिये निरन्तर काम करना और जब मृत्यु सामने खड़ी हो कैंसर के रूप में तो उससे भी दो-दो हाथ करते हुये लगातार कर्मरत्-तत्पर रहना यह बार-बार याद आयेगा और हम सबके लिये मार्ग-दर्शक भी होगा। आदरणीय शीला जी का भी उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध रहा है। मैं उन्नाव जिले का हूं और उन्नाव से उनका भी सम्बन्ध था। उनके ससुर उमाशंकर दीक्षित जी भारत सरकार में गृह मंत्री थे। उन्हीं के परिवार के एक सदस्य गोपीनाथ दीक्षित जी यहां इस आदरणीय सदन के सदस्य और गृह मंत्री थे। हम लोगों की भेंट शीला जी से होती थी। एक भिन्न प्रकार की राजनीति, भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण, भिन्न प्रकार

की कार्य शैली और 80-81 वर्ष की उम्र में भी लगातार आम जनता का काम करते रहना यह एक प्रशंसकीय और सदा स्मरणीय क्षण होगा। अपने इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे श्री रूपराम वर्ष 1969 व 1974 में कांग्रेस व वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर जिला शाहजहांपुर से सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनका निधन हो गया है और हम सब इस आदरणीय सदन के सदस्य उनके निधन को लेकर स्वाभाविक शोकाकुल हैं। श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय वर्ष 1969 में कांग्रेस व 1980 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर जिला बांदा से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनके भी निधन की सूचना है और हम इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य शोकाकुल हैं। श्री गेंदा लाल गुप्त जी वर्ष 1977 में अलीगंज जिला एटा से जनता पार्टी के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुये थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण गोपाल पटेल वर्ष 2007 में जिला लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनके निधन की भी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है और हम लोग शोकाकुल हैं। श्री अरुण प्रताप सिंह वर्ष 1991 व 1996 में निर्वाचन क्षेत्र चांदा, जिला सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री महेन्द्र सिंह यादव वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र भरथना जिला इटावा से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे और उनके निधन की सूचना मिली है, यह सदन शोकाकुल है।

श्री छेदीराम वर्ष 1984 में लोकदल व वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जखनियां, जिला-गाजीपुर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे, इस आदरणीय सदन में उनके निधन की सूचना से शोक है।

श्री शखावत हुसैन, ठाकुर द्वारा, जिला-मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य हुये थे, उनके भी निधन की सूचना से सदन में शोक है।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी, जिला-खीरी से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे, वे वर्ष 1969, 1974, 1980 तथा 1991 में भी विधान सभा के सदस्य रहे, उनके भी निधन की सूचना से हम सब दुःखी हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी वर्ष 1974, 1977 में कांग्रेस व वर्ष 1980, 1985 में कांग्रेस-आई के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र, जिला-लखनऊ से इस आदरणीय सदन की सदस्य निर्वाचित हुयी थीं।

श्री अनवर अहमद वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य और लोक सभा के भी सदस्य थे। उनके निधन से हम सब स्वाभाविक ही शोकाकुल हैं।

श्री रामकुमार तिवारी जी वर्ष 2007 में जिला-ललितपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुये थे उनके भी निधन की सूचना इस आदरणीय सदन को मिली है और हम लोग स्वाभाविक ही शोकाकुल हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, वर्ष 1985 में लोकदल व वर्ष 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सीतापुर से चुने गये थे, उनके निधन से हम लोग शोकाकुल है।

श्री चमन लाल, सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य थे, उनके निधन पर हम लोग स्वाभाविक ही दुःखी हैं।

इसी प्रकार श्री सियाराम सागर, जिला-बरेली से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे और उनके भी निधन की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। हम सभी लोग दुःखी हैं। सदन के सदस्य रहे हमारे पूर्व आदरणीय सदस्यों की सूचना इक्ट्ठे हम लोगों को प्राप्त हुई है। हम सभी सदस्य व पूरा समवेत् विधान सभा इस अवसर पर शोकग्रस्त है। विधान सभा के इन माननीय पूर्व सदस्यों और गोवा के मुख्य मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता, जिनकी चर्चा हो चुकी है, श्री मान्यवर, पर्रिकर, आदरणी शीला जी और श्री पासवान इन सबके निधन पर यह सदन शोकाकुल है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को मुक्ति, शान्ति मिले और उनके शोक-संतप्त परिवार को ईश्वर यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति भी दे। मैं इस सदन में सभी माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त शोक संवेदनायें, अपनी ओर से, इस आदरणीय सदन की ओर से, आप सबकी ओर से, मृतक के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचाऊंगा। आइये अब हम दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुये)

[01:05] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22-07-2019 को कुल 49 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें 21 सूचनायें माननीय सदस्यों की स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विद्युत तारों व पोलों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद-फिरोजाबाद में राजकीय मेडिकल कालेज में कैथलैब, इको-कार्डियोग्राफी एवं संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवी सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम जिसौरी से सफियाबाद लौटी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना (डॉ0) श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम पंचायत भुता में आई0टी0आई0 खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की प्रदेश में पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत चार शक्तियों प्राथमिकी, विवेचना, निष्पादन एवं सुरक्षा का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित कराये जाने के

सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के नवसृजित ब्लाक ककोड़ को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव, ब्लाक राया, ब्लाक फरह में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड-32 से जुड़े मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री नईम उल हसन की जनपद बिजनौर में एच0एम0सी0-49 मुरादाबाद-देहरादून मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय बिजनौर इण्टर कालेज की भूमि पर माननीय नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामित्व का संज्ञान लिये बिना पार्क के रूप में विकसित करने का मौखिक आदेश कैसे और क्यों दिये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत नहरों पर कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में पन्द्रहवीं सूचना श्री सुभाष पासी की फिल्म आर्टिकल-15 में पासी समाज के लिये आपत्तिजनक शब्दों को फिल्म से निकलवाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश में कतिपय हाई-वे पर विभिन्न स्थानों पर दुर्घटनाओं को देखते हुये ट्रामा सेन्टरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई-स्कूल विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक, एक लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नितान्त आवश्यकता को देखते हुये पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की लखनऊ में दौलतगंज स्थित गोमती तटबंध से गुलाला घाट जाने वाली सड़क का मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम नाहरपुर-दुगौली में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत एन0एच0-28 के किनारे ग्राम पंचायत कुशहरी में अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के अन्तर्गत विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर दी गयी हैं। श्री दयाराम चौधरी, श्री धनन्जय कन्नौजिया, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले, डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री ओमकार सिंह, श्री अमिताभ बाजपेई, डॉ0 अरूण कुमार, श्री बम्बा लाल, श्री संजय प्रताप जायसवाल,

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्री अविनाश द्विवेदी, श्री कृष्णपाल मलिक, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, डा0 नरेन्द्र पाल सिंह, श्री उमाशंकर सिंह, श्री लाल जी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री पं0 राधा कृष्ण शर्मा, श्री असलम अली, श्रीमती जय देवी, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री बृजभूषण राजपूत गुड्डू भइया, श्री कपिल देख अग्रवाल।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मांगी गयी)

जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विद्युत तारों व पोलों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत तार लगे हुये, वह अत्यन्त पुराने एवं जर्जर अवस्था में हैं। यह तार कभी भी टूटकर गिर जाते है, जिससे हर समय जान-माल का खतरा बना रहता है। यदि अप्रिय घटना होने की प्रबल सम्भावना है। अतः जनहित में उक्त जर्जर तारों व पोल को बदलवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-फिरोजाबाद में राजकीय मेडिकल कालेज में कैथ लैब, इको-कार्डियोग्राफी एवं संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, वर्तमान में लगभग 27 लाख आबादी वाला जनपद फिरोजाबाद अपने कांच चूड़ी/उत्पादों के लिये पूरे भारत वर्ष में एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में मेहनतकश किसान, श्रमिक, निम्न मध्यम वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय नागरिक निवास करते है। लाखों की संख्या में फिरोजाबाद के यह नागरिक अपनी स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं उपचार सुविधा हेतु स्वाशासी राजकीय मेडिकल कालेज (पूर्व में जिला अस्पताल), फिरोजाबाद के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। वर्तमान में स्वाशासी राजकीय मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद में **ईको-कार्डियोग्राफी** की कोई सुविधा नहीं है। संस्थान में **''कैथ लैब''** भी स्थापित नहीं है। इन परिस्थितियों में फिरोजाबाद एवं समीपस्थ क्षेत्रों के बहुत बड़ी संख्या में हृदय रोग से पीड़ित रोगियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में **''कैथ लेब''** की सुविधा वाले अस्पताल खुल गये हैं, जहां पर उपचार की फीस बहुत अधिक है। इतना महंगा उपचार कराना साधारण श्रेणी के नागरिकों के लिये सम्भव नहीं हो पाता है। जिसके चलते बढ़ी संख्या में ऐसे रोगी एवं उनके परिवार के लोग असहनीय परिस्थितियों का सामना करने को बाध्य हो जा रहे है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये व्यापक जनहित में स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज फिरोजाबाद में **''कैथ लैब''** एवं **ईको-कार्डियोग्राफी** एवं संचालन हेतु उपर्युक्त मानव संसाधन की मांग करता हूं।]

जनपद-बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड बनीकोडर के ग्राम पंचायत सिल्हौर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। इस स्थान पर लगभग 20 किमी0 की दूरी में गोमती नदी पर कोई पुल न होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से इस स्थान पर पुल बनाये जाने की मांग की जा रही है। क्षेत्रवासियों द्वारा जिला स्तर पर काफी प्रयास करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से निराश एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये विकास खण्ड बनीकोडर के ग्राम पंचायत सिल्हौर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।

जनपद-शहाजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहाजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 133-तिलहर के अन्तर्गत जनहित में कच्चे एवं गड्ढा युक्त मार्गों का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में मार्ग निम्नवत् हैं :-

ग्राम अजमाबाद की पुलिया से नहर पटरी पर मोहनपुर परसेला तक डामरीकरण ल0 लगभग 01 कि0मी0, विकास खण्ड-तिलहर, ग्राम सन्तोषपुर प्रा0वि0 से ईश्वर तक डामरीकरण ल0 लगभग 02 कि0मी0, विकास खण्ड-तिलहर, ग्राम रामपुर नवदिया से वख्तियापुरा गौटिया तक डामरीकरण ल0 लगभग 02.50 कि0मी0, विकास खण्ड-तिलहर ग्राम बाजपुर कुमिरखा से हुसैनपुर काबरा तक डामरीकरण ल0 लगभग 02 कि0मी0, विकास खण्ड-तिलहर, ग्राम सैजना से बाजपुर कुमिरखा तक डामरीकरण ल0 लगभग 02 कि0मी0, विकास खण्ड-खुदागंज। ग्राम कुआडांडा डामररोड से देशराज के मकान तक अवशेष कार्य का डामरीकरण ल0 लगभग 700 मी0, विकास खण्ड-तिलहर। ग्राम तिलहर खैरपुर सम्पर्क मार्ग से मिर्गापुर तक अवशेष कार्य का डामरीकरण ल0 लगभग 500 मी0, विकास खण्ड-तिलहर।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम पराझरसा बरैचा मार्ग से नवीपुर होते हुये हटादलेलपुर मार्ग तक डामरीकरण ल0 लगभग 02 कि0मी0, विकास खण्ड-निगोही।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व विषयक इस प्रश्न पर आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-मेरठ के अन्तर्गत ग्राम जिसौरी से सफियाबाद लौटी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के समबन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जिला मेरठ के अन्तर्गत ग्राम जिसौरी, ब्लाक-खरखौदा, ग्राम जिसौरी से सफियाबाद लौटी तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जहां से ग्रामवासियों का निकलना दूभर हो चुका है। कई बार पत्र दिये जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपका ध्यान अविलम्बनीय, लोक कहत्व के उपरोक्त विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम पंचायत भुता में आई0टी0आई0 खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली के अनतर्गत विकास खण्ड-भुता में एक आई0टी0आई0 खोले जाने की जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है। आई0टी0आई0 आने से लोगों को रोजगार मिलने प्रारम्भ हो जायेंगे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व विषयक इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये विकास खण्ड-भुता में एक आई0टी0आई0 खोले जाने हेतु कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत चार शक्तियों प्राथमिकी, विवेचना, निष्पादन एवं सुरक्षा का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[मान्यवर, ज्ञातव्य हो कि पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत चार शक्तियों प्राथमिकी, विवेचना निष्पादन एवं केन्द्रीयकृत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्थाओं का केन्द्रीयकरण होना संवैधानिक दृष्टि से नितान्त अपरिहार्य है। जिससे किसी भी अधिकारिता का एकाधिकार न रह सके तथा जन सामान्य को न्याय सुलभ एवं सस्ता उपलब्ध होना सम्भावित हो सके। उक्त

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चारो शक्तियां केन्द्रीय होने के कारण आज परिवेश में पुलिस प्रशासन की साख उदण्डनीय उपर्युक्त नहीं है तथा पुलिस प्रशासन की इस प्रकार एकाधिकार पूर्ण मानसिकता होने के कारण जनसामान्य एवं पुलिस प्रशासन के मध्य सम्बन्ध सौहाद्रपूर्ण नहीं है तथा बगैर मध्यस्थों के पुलिस प्रशासन से जन सामान्य का सम्पर्क नहीं होता है। जिससे शोषण, उत्पीड़न एवं दमन होना स्वभाविक है। नितान्त आवश्यक एवं अपेक्षित है कि उक्त उल्लिखित चारो शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये, ताकि जन सामान्य को संरक्षण प्राप्त हो।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराकर अपेक्षित कार्रवाई कराने की कृपा की जाये।]

जनपद-बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के नवसृजित ब्लाक ककोड को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद को विभाजित करके नये विकास खण्ड ककोड का पूर्ववर्ती सरकार में सृजन किया गया था, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। लेकिन क्रियाशील नहीं हो पाया था। उक्त नव प्रस्तावित विकास खण्ड से न्याय पंचायत महेपा जागीर के गांव भौखेडा व मसौता को हटाकर तथा न्याय पंचायत बड़ौदा के गांव रसूलपुर रिठौर तथा जाहिदपुर को जोड़कर फिर से अधिसूचना जारी करने हेतु मेरे द्वारा शासन को अनेक पत्र लिखे गये हैं। लेकिन अभी तक उक्त संशोधन के उपरान्त न तो अधिसूचना जारी की गयी है और न नवसृजित विकास खण्ड को क्रियाशील बनाने हेतु शासन से कोई निर्देश जारी किये गये हैं। जनहित में नवसूर्चित विकास खण्ड ककोड का क्रियाशील होना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

जनपद-मथुरा के ब्लाक बल्देव, ब्लाक राया, ब्लाक फरह में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्देव मथुरा के अन्तर्गत किसानों की सिंचाई का एक मात्र साधन मांट ब्रांच लोअर खण्ड जिसके अन्तर्गत ब्लाक बल्देव व ब्लाक राया के पूरा ग्रामीण किसानों की जमीन आती है तथा हमारे क्षेत्र का फरह ब्लाक के ग्रामीण किसानों की सिंचाई अपर आगरा कैनाल लोअर खण्ड के माध्यम से सिंचाई होती है। हमारे बल्देव क्षेत्र जनपद मथुरा मांट ब्रांच गंगा ओवर खण्ड में बल्देव राजवाह, राया राजवाह, कुरसण्डा राजवाह एवं

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इनसे अन्य निकली माइनर व राजवाहे निकलते हैं। क्षेत्र में जमीन के नीचे खारा पानी है। सिंचाई का एक मात्र साधन सिर्फ और सिर्फ मांट ब्रांच गंगा नहर ही है। इसमें वर्षा से समुचित धरातल पर सफाई, खुदाई न होने से पूरा क्षेत्र अपने धान की खेती, आलू की खेती व अन्य फसल को पर्याप्त सिंचाई का पानी न मिलने के कारण किसान अत्याधिक दुःखी हैं। इस सम्बन्ध में पिछले माह जिलाधिकारी के कार्यालय में स्वयं व सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के मध्य किसानों की उपस्थिति में समस्या के समाधान के लिये बैठक का भी आयोजन किया गया। अत्यन्त खेद का विषय है कि जिलाधिकारी, मथुरा के द्वारा किसानों को पर्याप्त सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के विषय पर सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यहां कह दिया कि किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाये परन्तु सिंचाई विभाग के इंजीनियरों व अधिकारियों द्वारा मीटिंग में ही किसानों को पानी उपलब्ध कराने की असफलता व्यक्त की। कारण जो भी कुछ हो हम यहां भी नहीं बता सकते। इसी परिस्थिति में हमारी एवं सरकार की असहाय स्थिति हो रही है। इसी प्रकार की स्थिति हमारे क्षेत्र के फरह ब्लाक के ग्रामीण अपर आगरा कैनाल, लोअर खण्ड मथुरा के ब्लाक फरह के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण किसानों की भी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड-32 से जुड़े मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड-32 से जुड़े 10-12 गांव नहर की उत्तरी पटरी पर स्माइलपुर पुल से मसीरपुर तक मार्ग पर पिच रोड न होने के कारण वहां के आम जनमानस के आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों व अन्य लोगों को आने-जाने में बड़ी असुविधा हो रही है। बरसात के दिनों में सड़क खराब होने के कारण उक्त मार्ग पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस सड़क को बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ को मेरे द्वारा पत्र भी लिखा गया है। लेकिन उक्त मार्ग पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे स्थिति में क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बिजनौर में एच0एम0सी0-49 मुरादाबाद-देहरादून मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नईम उल हसन-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बिजनौर में एच0एम0सी0-49 मुरादाबाद, हरिद्वार, देहरादून हाई-वे मार्ग का निर्माण हो रहा था, जिसका निर्माण कार्य/बाण्ड 01-02-2018 से समाप्ति अवधि दिनांक 31-01-2019 तक थी, परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक उक्त मार्ग को पूर्ण नहीं कराया जा सका है। सड़क की पटरियां इस कदर गड्ढे में तब्दील हो गयी हैं कि आये दिन दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं। जिससे आम जन मानस में काफी रोष व्याप्त है।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-बिजनौर के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय बिजनौर इण्टर कालेज की भूमि पर माननीय नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व का संज्ञान लिये बिना पार्क के रूप में विकसित करने का मौखिक आदेश कैसे और क्यों दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद-बिजनौर की नगर पालिका परिषद् बिजनौर ने अपनी भूमि को बोर्ड की संस्तुति व जिलाधिकारी की अनुमति के पश्चात् दिनांक 18-09-1934 को बिजनौर इण्टर कालेज बिजनौर (मुस्लिम इंग्लिश स्कूल) को पूर्व में बैनामा कर दिया था। उसी दिन से उक्त आराजी कालेज के कब्जे में है तथा उसमें आराजी की बाउण्ड्री व लड़कियों की पढ़ाई के लिये कमरे बना दिये थे। पिछले माह मा0 नगर विकास मंत्री जी के बिजनौर दौरे के दौरान उक्त आराजी पर मा0 मंत्री जी ने पार्क विकसित करने के मौखिक आदेश दिये थे तथा उनके द्वारा भूमि के स्वामित्व का संज्ञान भी नहीं लिया गया। क्योंकि उक्त आराजी का बैनामा कालेज के नाम है तथा नगर पालिका परिषद्/ मा0 सिविल न्यायालय में वाद सं0-50/1993 दिनांक 20-04-1996 को हार चुकी है तथा मा0 न्यायालय ने अपने आदेश में भूमि का पूर्ण स्वामित्व बिजनौर इण्टर कालेज बिजनौर को माना है तथा यह भी आदेश दिया था कि भविष्य में नगर पालिका परिषद् बिजनौर व उसका को भी कर्मचारी आराजी से हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस स्थिति में मा0 मंत्री जी ने किस आधार पर आराजी को पार्क में विकसित करने का आदेश दिया।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत नहरों पर कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद-आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र-151, लालगंज में नहरों पर पुलिया का निर्माण जनहित में आवश्यक है जो निम्नवत् है :-1-ब्लाक-ठेकमा ग्राम-बहादुरपुर (चक नोनारी) डीहबाबा के स्थान पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहर पर पुलिया का नवनिर्माण, 2-ब्लाक-ठेकमा ग्राम-हदिसा में रमेश यादव की पोखरी पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण, 3-ब्लाक-पल्हना में ग्राम लहुआ खुर्द में बेचू यादव के घर के पास भीटी रमला सम्पर्क मार्ग पर नहर पर पुलिया का नव निर्माण, 4-ब्लाक-लालगंज ग्राम-उमरी श्री (महगूपुर) में नहर पर बने जर्जर पुलिया का चौड़ीकरण एवं नव निर्माण कार्य, 5-ब्लाक-लालगंज ग्राम-चौकी देव गांव में नहर पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण, 6-ब्लाक-लालगंज ग्राम-उपेन्द्रा में बुद्धराम के घर के पास नहर पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण, 7-ब्लाक-लालगंज में ग्राम-रसूलपुर दुधरा (आसपुर) के पास नहर पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त पुलिया को लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है क्योंकि इन समस्याओं को लेकर शासन एवं प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं]

जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, जनपद-आजमगढ़ में ग्राम महुजा नेवदा, विकास खण्ड-मार्टिनगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जबकि जनहित में इस अस्पताल का शीघ्र निर्माण होना अति आवश्यक है। क्षेत्रीय जनता की बराबर मांग हो रही है कि अस्पताल का अधूरा कार्य पूर्ण कराया जाए, मगर अब तक अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी असंतोष व्याप्त हो गया है, जनता आन्दोजित है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फिल्म आर्टिकल-15 में पासी समाज के लिये आपत्तिजनक शब्दों को फिल्म से निकलवाये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। इस समय जो फिल्में दिखाई जा रही है, इन फिल्मों के डायरेक्टर या जिम्मेदार व्यक्ति समाज को ध्यान में रखते हुये नहीं बना रहे हैं और यही कारण है कि जब फिल्में लोगों के बीच में आती हैं तो कहीं न कहीं दंगा-फंसाद होता है। भारत एक सामाजिक भाई-चारे वाला देश जहां हर जाति एवं धर्म के लोग मिल-जुलकर निवास करते हैं और फिल्मों में ऐसे शब्दों के प्रयोग से आपसी भाई-चारे में मतभेद उत्पन्न हो सकती है। अभी जो ''आर्टिकल''-15 फिल्म आयी है, इसमें पासी समाज को आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे एक जाति विशेष के लोगों को सामाजिक स्तर पर गिराने का कार्य किया जा रहा है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये फिल्म ''आर्टिकल''-15 में पासी समाज को लेकर जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है उसे फिल्म से निकलवाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में कतिपय हाई-वे पर विभिन्न स्थानों पर दुर्घटनाओं को देखते हुये ट्रामा सेन्टरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुये हादसे से सड़क सुरक्षा इन्तजामों पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। पूरे प्रदेश में नेशनल व राज्य हाई-वे, जिलों को जोड़ने वाली सड़कों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। सूबे में 1270 ब्लैक स्पाट चिन्हित हैं। एक साल के अन्दर इन स्थानों पर 4 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गयी है। हर साल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग निदेशालय के निर्देश पर ब्लैक स्पाट चिन्हित तो कर लिये जाते हैं मगर लोगों की जान बचाने के लिये कोई इन्तजाम की कोशिश नहीं होती है। ज्यादातर सड़क हादसे से अथवा अन्य वाहन दुर्घटनाओं में शरीर से ज्यादा खून निकल जाने से लोगों की मौत हो जाती है। चिकित्सकों का कहना है कि यदि हादसों में घायल लोगों को एक घण्टे के अन्दर रक्त देने और अन्य चिकित्सायें उपलब्ध करा दी जाये तो उनकी जान बच सकती है। आवश्यकता है कि मुख्य-मुख्य चिन्हित स्थानों पर अत्यधिक सड़क हादसे होते हैं मिनी ट्रामा सेन्टर बनवा दिये जायें तो लोगों की जान बच सकती है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मुख्य-मुख्य स्थानों पर मिनी ट्रामा सेन्टर बनाये जाने हेतु कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक, एक लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नितान्त आवश्यकता को देखते हुये पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में पूर्व में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक, एक लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर प्राविधान था, अब वर्तमान समय में दिनांक 15 जनवरी, 2019 को जारी शासनादेश के अन्तर्गत अब उक्त सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में न्यूनतम 3 सहायक अध्यापक व 100 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक का पद मान्य किया गया है तथा लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी का पद समाप्त कर दिया गया है। जो पूर्णतया अव्यवहारिक एवं नियमों के विपरत है। ऐसी स्थिति में जब विद्यालय अनुदान सूची पर लिया जाता है उस समय के भुगतानित समस्त पदों को पद मान लिया जाता है, उसके बाद छात्र संख्या के आधार पर जो भी पद बनते हैं उनके अनुसार पद सृजन की कार्रवाई होती है। किन्तु वर्तमान में जारी शासनादेश की वजह से जो पद समाप्ति की प्रक्रिया हुई है, वह नियमों के प्रतिकूल है और उक्त विद्यालयों में तीन कक्षायें एवं प्रत्येक कक्षा में 8 विषय पढ़ाये जाते हैं, ऐसी स्थिति में तीन अध्यापकों में किसी एक सहायक अध्यापक के द्वारा आकस्मिक अवकाश लिये जाने या बीमार होने की दशा में अवकाश लिया जाता है, तो पठन-पाठन का कार्यक्रम तीनों कक्षाओं में कराना असम्भव हो जायेगा। ऐसी दशा में विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित होगी, साथ ही साथ विद्यालय के वेतन बिल पास कराने की प्रक्रिया व विद्यालय के समस्त कार्यालय अभिलेखों के कार्य बिना लिपिक के कराना सम्भव नहीं है तथा साथ ही यह भी है कि 10-10-15 कमरों की सफाई, विद्यालय परिसर की सफाई, घण्टी बजाना आदि कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न रहने से विद्यालय के समस्त ऐसे बहुत से कार्य कराना सम्भव नहीं है। इससे उक्त विद्यालय की पठन-पाठन, सफाई व्यवस्था व वेतन बिल व अभिलेखीय व्यवस्था पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मुख्य रूप से उक्त विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक का पद व न्यूनतम सहायक अध्यापक एक लिपिक व एक चपरासी होना नितान्त आवश्यक है, साथ ही साथ मृतक आश्रित की नियुक्ति जो लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर पूर्व में होता रहा है व वर्तमान समय में होना चाहिये। इसलिये उक्त विद्यालय में पूर्व में लागू रखा जाना छात्र/छात्राओं के हित

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में होगा। पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने से छात्रों/प्रधानाचार्यों एवं सहायक अध्यापकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति अत्यन्त गम्भीर है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय, तात्कालिक, सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्रवाई को रोक कर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में पुरानी व्यवस्था (पूर्व में जारी शासनादेश) लागू किये जाने हेतु चर्चा कराये जाने की मांग करें।]

जनपद लखनऊ में दौलतगंज स्थित गोमती तटबन्ध से गुलाला घाट जाने वाली सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, लखनऊ के गुलाला घाट पर हिन्दू जनमानस शवदाह करते हैं। दौलतगंज स्थित गोमती तटबन्ध से गुलाला घाट अन्त्येष्टि स्थल तक जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर है तथा संकरा होने के कारण लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण अविलम्ब कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये लखनऊ में दौलतगंज स्थित गोमती तटबन्ध से गुलाला घाट जाने वाली सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण करवाने की मांग करता हूं।]

जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम नाहरपुर-दुगौली में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के जनपद-जौनपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है। जिससे छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिये बाहर जाना पड़ रहा है। जिससे धन व समय का भी अपव्यय होता है। विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड महाराजगंज के ग्राम नाहरपुर-दुगौली महिलाओं को सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिये राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत एन0एच0-28 के किनारे ग्राम पंचायत कुशहरी में अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत एन0एच0-28 के किनार ग्राम पंचायत कुशहरी में 100 शैय्या अस्पताल/ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने हेतु

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विगत वर्षों में भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानान्तरति हो चुकी है। परन्तु अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी। उपरोक्त प्रस्तावित स्थल पर 100 शैय्या अस्पताल/ट्रामा सेन्टर की मांग दशकों से क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रहीं है। एन0एच0-28 पर होने वाली दुर्घटनाओं से मौतों को रोकने एवं तात्कारित उपचार हेतु उक्त अस्पताल/ट्रामा सेन्टर की स्थापना अविलम्ब किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण भूमि हस्तान्तरित होने के बावजूद धन न आवंटित किये जाने के कारण अभी तक इसकी स्थापना नहीं हो सकी है। जनहित में अविलम्ब धन आवंटित करके उक्त अस्पताल/ट्रामा सेन्टर के निर्माण किया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये धन आवंटित करके अस्पताल/ट्रामा सेन्टर के निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्द्रा के अन्तर्गत विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने की सभी शर्तें पूरी करता है और इसे टाउन बनाये जाने की काफी समय से मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में शासन ने सर्वे कराया और निरीक्षण कराकर नक्शा बनावाया। यह कस्बा 15 हजार से अधिक आबादी एवं जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भौगोलिक एवं जनसंख्या तथा क्षेत्रफल सभी दृष्टि से बृजमनगंज का कस्बा टाउन एरिया की अर्हता रखता है, विकास की दृष्टि से बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने से विकास के अभाव में क्षेत्र के निवासियों में असन्तोष है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

[01:08] संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1881/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(140)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018†

श्री राजेश अग्रवाल (वित्त मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1881/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(140) -2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापी नहीं गई।

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1882/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(141)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1882/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(141)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बीसवां संशोधन) नियमवली, 2018 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1962/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (147)-2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बाइसवां संशोधन) नियमवली, 2018 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग7/ की अधिसचूा संख्या-क0नि0-2-2023/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (149)-2018, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रक्ष्यापति उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1822/ग्यारह-9(42)-17- उ0प्र0 अधि0-1-2017-ओदश(156)-2018, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1822/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(156)-

---

† छापी नहीं गई।

2018, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2285/ ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (157)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2285/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(159)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2286/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(160)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2286/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-ओदश(160)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2287/ ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(161)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2287/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-ओदश(161)-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2018

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2347/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (162)-2018, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर

---

† छापी नहीं गई।

(पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(इसी मध्य 01 बजकर 06 मिनट पर अधिष्ठाता भी मनीष असीजा पीठासीन हुये)

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-188/ग्यारह-9 (47)17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(06)-2019, दिनांक 24 जनवरी, 2019†

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-188/ग्यारह-9 (47)17-निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-188/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0- 1-2017-आदेश(06)-2019, दिनांक 24 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-226/ ग्यारह-9(121) -17-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(08)-2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एसं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-226/ग्यारह-9(121)-67-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(08)-2019, दिनांक 31 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार विलम्ब को कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-236/ग्यारह-9(121)- 17-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(09)-2019, दिनांक 01 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-236/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(09)-2019, दिनांक 01 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-243/ग्यारह-9(47)- 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(10)-2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-243/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (10)-2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-17/ग्यारह-(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(11)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-17-उ0प्र0अधि0- 1-2107-आदेश(11)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-19/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(12)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-19/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(12)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-23/ग्यारह-9 (47)- 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(13)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-23/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(13)-2019,

---

† छापी नहीं गई।

दिनांक 12 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-24/ ग्यारह-9(47)- 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(14)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-24/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(14)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-227/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(15)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-227/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(15)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-231/ग्यारह-9(47)- 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(16)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-231/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(16)-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-299/ग्यारह-9(47)- 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(17)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-299/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(17)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-300/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(18)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-300/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (18)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-301/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(19)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-301/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(19)-2019, दिनांक 13 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 †

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-21/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (20)-2019, दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर

---

† छापी नहीं गई।

(छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-231/ग्यारह-9 (15)- 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(21)-2019, दिनांक 18 फरवरी, 2019†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-231/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0अधि0-1- 2017-आदेश(21)-2019, दिनांक 18 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0 27 कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का षष्ठम प्रतिवेदन †

श्री ज्ञानेन्द्र-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का सप्तम् प्रतिवेदन †

श्री ज्ञानेन्द्र-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो समाज कल्याण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

[01:20] डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 6 याचिकाएं †

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवजी तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छायी नहीं गयी।

(2) जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत ग्राम तरहर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के विकास खण्ड खुनियांव के अन्तर्गत ग्राम पचमोहनी में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक पाठक व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत कटेश्वरनाथ मन्दिर परिसर और तालाब का सौन्दर्यीकरण, रैनबसेरा का निर्माण, पेयजल, प्रकाश तथा आस-पास के मार्गों के चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के विकास खण्ड इटवा के अन्तर्गत ग्राम इन्द्रीग्रान्ट में आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनन्द मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(6) जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के अन्तर्गत मुख्यालय इटवा बाजार में नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री वीरेन्द्र, सदस्य विधान सभा की जनपद एटा से सम्बन्धित 9 याचिकाएं †

श्री वीरेन्द्र-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद एटा के ब्लाक शीतलपुर के अन्तर्गत ग्राम-नगला पवल से मिलावली तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री करन व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद एटा के ब्लाक शीतलपुर के अन्तर्गत ग्राम-वाहनपुर करतला मार्ग से कुतकपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद एटा के ब्लाक शीतलपुर के अन्तर्गत ग्राम-काली नदी बेबर बैराज पुल से खारजा नहर की पटरी एटा गंजडुण्डवारा रोड तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेमसिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद एटा के ब्लाक शीतलपुर के अन्तर्गत ग्राम-बड़ी खेरिया बम्बा की पटरी से मिलावली वाया नगना बधु तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छायी नहीं गयी।

(5) जनपद एटा के ब्लाक निधौली कलां के अन्तर्गत एटा-अलीगढ़ मार्ग से भूपालपुर सिहोरी पुलिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) जनपद एटा के ब्लाक निधौली कलां के अन्तर्गत निधौली कलां मार्ग से प्रजा नगर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) जनपद एटा के ब्लाक निधौली कलां के अन्तर्गत एटा-अलीगढ़ मार्ग से गम्भीरपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मंजू देवी व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) जनपद एटा के ब्लाक निधौली कलां के अन्तर्गत एटा-अलीगढ़ मार्ग से बरा तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेदव व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(9) जनपद एटा के ब्लाक शीतलपुर के अन्तर्गत ग्राम-जिरसमी नहर पुल बम्बा की पटरी से भगवानपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 9 याचिकाएं †

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से-

(1) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रानीजोत में बाईपास मार्ग से गौरा चौकी मार्ग तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधांशू गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत रेनुवा से दौलतपुर ग्रन्ट मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोमती प्रसाद यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत माड़ा से मवई मार्ग तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छायी नहीं गयी।

(5) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मन्नीजोत के सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगला श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट के जगदीश नगर से अल्लीपुर मार्ग तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफेर गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शीतलगंज ग्रन्ट फुटही बाजार से राम उजागर वर्मा के घर से चौधरी चौराहा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम उजागर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत सादुल्लानगर से चन्द्र घाट मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(9) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत केशनगर ग्रन्ट में वन विभाग का गेस्ट हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य कुंवर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर की चार व बाराबंकी, लखनऊ तथा जालौन की एक-एक अर्थात् कुल 7 याचिकाएं †

श्री अमिताभ बाजपेई-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद बाराबंकी के ग्राम मुजफ्फमऊ, पोस्ट-सरसौदी, वि0स0 देवा तहसील नवाबगंज प्रार्थी के घर से लेकर पास के खड़न्जा मार्ग तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द्र विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद कानपुर नगर के डफरिन अस्पताल में एन0आई0सी0यू0 बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद कानपुर नगर के वार्ड अनवरगंज के विभिन्न पार्कों के सुधार के सम्बन्ध में श्री हाजी जियाउल हक व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छायी नहीं गयी।

(4) जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की अधूरी परियोजनाओं के सम्बन्ध में श्री सुशील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) जनपद लखनऊ, परगना मोहनलालगंज में विधायक निधि के अन्तर्गत इण्टरलॉकिंग बनाये गये सड़क मार्ग को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) जनपद जालौन में अधीक्षण अभियन्ता मण्डल उरई के आदेश के बावजूद अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड-द्वितीय द्वारा बिना अनुमति व बिना सूचना के किसानों के खेत में बिजली के गाड़े गये खम्भों को हटाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(7) जनपद कानपुर नगर के उर्सला अस्पताल कानपुर की डायलिसिस यूनिट में 1-1 मशीन हेपेटाइटिस-बी व एच0आई0वी0-पॉजिटिव रोगियों के लिए आरक्षित करने के सम्बन्ध में श्री दीपक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह उर्फ चुन्नू, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 01 याचिका †

श्री राजेश कुमार सिंह उर्फ (चुन्नू)-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद मुरादाबाद तहसील कांठ के ग्राम राजीपुर से दरियापुर रफायतपुर जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली लगभग 1.500 किमी0 भूमि पर रास्ता बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय विश्नोई व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

[01:28] सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 †

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापति करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† छायी नहीं गयी।

† दिनांक 16-08-2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

(इसी मध्य 01 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठसीन हुये)

कार्य-स्थगन की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22-7-2019 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना श्री लाल जी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर, श्री राम अचल राजभर, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री अरिमर्दन और श्री उमाशंकर सिंह की प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अतिवृष्टि से मुख्य रूप से जनपद बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलिया आदि में बाढ़ की उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषयक को जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ का स्वरूप ले लिया है, उसके बारे में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे बलिया जनपद में जिला मुख्यालय में जो बारिश का प्रकोप रहा उसका सीधा उदाहरण यह है कि प्रशासन ने रिपोर्ट भी दी होगी। कई दिनों तक पुलिस अधीक्षक महोदय अपने कार्यालय में नहीं गये। इतना पानी भरा पड़ा था। पुलिस अधीक्षक कई दिनों तक अपने आवास पर नहीं जा पाये होंगे ऐसा पानी का प्रकोप था। माननीय अध्यक्ष जी, 1970 के बाद हमारे रसड़ा विधान सभा के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पहली बार इस तरह से बारिश और बाढ़ की आपदा देखने को मिली है। हमारे तमाम गांव इतने प्रभावित हैं। जैसे हजौली है, लोहटा है, नानापार है, पचहउवा है, नत्थोपुर है, रत्तोपुर है, अवधी है, कैथी है, प्रधानपुर, मिर्जापुर इन तमाम गांवों में माननीय अध्यक्ष जी ऐसी स्थिति थी कि लगभग 10 दिनों तक कोई भी आवागमन नहीं था और वहां के लोगों के जीवन-यापन के लिये सरकारी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि वहां कभी बाढ़ नहीं आई थी जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाती। 1970 के बाद पहली बार बाढ़ आई थी। लोगों ने अपनी तरफ से प्राइवेट नाव को किराये पर लाकर अपना जीवन यापन संचालित करवाया। कहीं न कहीं पर उदासीनता वहां पर प्रशासन की जरूर देखने को मिली। हम लोग जिस समय मौके पर गये जितना हो सकता था उतनी सामग्री अपनी तरफ से वितरित करवाई। उस दिन तक लोगों की स्थिति इतनी खराब थी कि उन लोगों के पास न तो उनके खाने के लिये कोई व्यवस्था बची थी न उनके जानवरों को कहीं शिफ्ट करने

तक के लिये कोई व्यवस्था थी। माननीय अध्यक्ष जी, उन लोगों के काफी परिश्रम के बाद जब नाव वहां पर सुचारु रूप से पहुंचना प्रारम्भ हुआ तो लोगा अपने जानवरों के साथ सड़कों पर शिफ्ट हुये। अध्यक्ष जी, जो नुकसान हुआ है उस पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अब पानी कम होता जा रहा है, उनके घर गिरते जा रहे हैं। जानवर भी उनके बाढ़ में बहे हैं, मौते हुई है। आपसे आग्रह है कि जब बाढ़ का पानी वहां समाप्त हो रहा है तो जो उनकी क्षति हुई है उसका सरकार आंकलन कराकर उनको उचित मुआवजा दे।

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो उनकी क्षति हुई है, उसका सरकार आंकलन करा करके उनको उचित मुआवजा दे और इन बाढ़ प्रभावित गोंवों में जैसाकि जिले से रिपोर्ट भी आयी होगी अगर लगता है कि जो लोग आवास विहीन हैं, जिनके आवास क्षतिग्रस्त हुये हैं या जिनके आवास बरसात में गिरे हैं, उनको नया आवास देने के लिये कोई स्पेशल फण्ड बनाकर करके सरकार को घोषणा करनी चाहिये। अगर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात की घोषणा सदन में करते हैं तो निश्चित रूप से मैं स्वगत करूंगा। मा0 अध्यक्ष जी जनहित एवं लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय रखा है, इसमें हमारे कुछ और भी जनपद जैसे बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा हैं। इन तमाम जनपदों के गांवों में बाढ़ से क्षति हुई है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को आपका निर्देश होना चाहिये और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को भी इस बात से सदन को जरूर अवगत कराना चाहिये कि बाढ़ से जो भी क्षति हुई है, उनकी फसल ककी जो नुकसान हुआ है, जिस तरह की भी क्षति हुई है, उसका सरकारी आकलन करा लें और समयबद्ध तरीके से उनके आकलन की तथा उनकी देनदारियों की भरपाई करें। मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही भयावह विषय है। मैं इस लोक महत्व, अविलम्बनीय, तत्कालिक प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, पूर्वांचल में बहुत ही प्रलयकारी वर्षा हुई है। गांव डूब गये, नगर डूब गये, शहर डूब गये एक हफ्ते तक जनपद बलिया में कैद की स्थिति रही। बलिया, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर पूरा पूर्वांचल इस अतिवृष्टि के कारण डूब गया, मकान गिर गये। अभी मा0 सदस्य श्री उमाशंकर जी कह रहे थे कि अगर बाढ़ में, वर्षा में गरीब के मकान गिर जाते हैं तो सरकार के पास इसे बनाने की पहले से ही व्यवस्था रहती है, यह प्राविधान हैं जिनके मकान गिरे हैं तत्काल उनके मकान बनाये जायें और जिन्होंने धान की रोपाई कर ली थी, उनकी धान की फसल सड़ गयी है। किसान के पास कुछ नहीं बचा है। किसान कंगाल हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि तत्काल सर्वे करा करके किसानों का जो सुकसान हुआ है, मकानों का जो नुकसान हुआ है उनको तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था करें। यह पूर्व से भी परम्परा रही है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी,

इतनी वर्षा क्यों आ गयी। बंगाल से मानसून चलता है, ज्यों ही यू0पी0 में पहुंचा तो पहले बलिया में मानसून आया। वहां बादल के दो टुकड़े थे, उन्होंने तीसरे से पूछा कहां आ गये। जवाब मिला, बलिया उत्तर प्रदेश का पहला जिला है। यहीं भाजपा की सरकार है, जो सत्य बोलती है तो बस बादल का कलेजा फट गया और सारा पानी वहीं गिर गया, बचा ही नहीं कि अब किधर बरसे। किसान तबाह हो गये है, किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाये। जो मकान गिर गये है, उसका मुआवजा दिया जाये। अभी गांवों में जो जल जमाव है, जल जमाव से मुक्त कराया जाये। चूंकि महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय, निश्चित मामला है। इससे महत्वपूर्ण कोई लोक महत्च का प्रश्न हो ही नहीं सकता है, इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन की शेष कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

[सदस्य, श्री मो0 असलम ''राईनी'' (एडवोकेट) के खड़े होने पर]

श्री अध्यक्ष-

अब नेता प्रतिपक्ष ने बोल लिया है तो आप क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री मो0 असलम ''राईनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 में बाढ़ के सम्बन्ध में मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

बाढ़ पर तो नेता प्रतिपक्ष ने बोल लिया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, यह विषय हो सकता है कि फिर एक बार बाढ़ न आये, लेकिन उसकी ग्राह्यता पर तो हम लोग जितना बल देना चाहें दे सकते हैं। दो दिन की बरसात हुई है और पूरा पूर्वांचल उथल-पुथल हो गया है। तमाम राजमार्ग काटे गये, सम्पर्क मार्ग काटे गये, चकमार्ग काटे गये, तटबन्ध काटे गये दो दिन की बरसात में। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ धान रोपने की जो बेहन या नर्सरी जिसको कहते हैं वह सब बर्बाद हो गई, 70 प्रतिशत खत्म हो गई सबके खेल परती हो गये लोग खरीद रहे हैं मिल नहीं रहा है। हमारा कहना है कि इसको गम्भीरता से लें देखने में तो लगता है कि बाढ़ तो है नहीं कहां बाढ़ की चर्चा हो रही है लेकिन आप प्रिकाशन अभी से लीजिये अगर माननीय सिंचाई मंत्री जी हों तो ध्यान दें। एक उदाहरण ले लें जब घाघरा से लेकर राप्ती तक पूरा जलप्लावन होता है तो लोग कहते हैं कि नेपाल का पानी आ गया है मैं इतने दिनों से हाउस में हूं जब भी बाढ़ की चर्चा होती है तो नेपाल के पानी की चर्चा होगी आज तक कोई भी सल्यूशन नहीं निकला। हमारा क्या समझौता हो रहा है लोग इन्तजार करते हैं कि नेपाल का पानी आयेगा तो हम लोग घर बार छोड़कर चले जायेंगे। आज बाढ़ रोकने के लिये तटबन्धों की बंधी की मरम्मत अलग है आज सबसे बड़ा संकट जो बारिस से हुआ है वह पानी निकासी का है। शहरों में अब बाढ़

आना शुरू हो गई है। दो घण्टे की बरसात हो जाए तो लखनऊ में बाढ़ आ जायेगी। इसका पानी निकाल कर गांवों में भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

श्री सुखदेव राजभर-

इस पर चर्चा है कि कोई एक सुझाव आये कि कब तक बाढ़ की चर्चा करते रहेंगे बाढ़ आयोग बना, सिंचाई आयोग बना राज्य स्तर पर केन्द्र स्तर पर तमाम वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, चीफ इंजीनियर बंगाल का एक लेख है बाढ़ पर उसने क्यू दिया है कि बाढ़ में बंधा मजबूत करने का सवाल नहीं है। आज सबसे बड़ी प्राब्लम जो खड़ी हो गई है वह पानी निकासी की है एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा हो गया है जब बाढ़ आयेगी सड़कें काटी जायेंगी तटबन्ध टूटेंगे इस पर एक चर्चा करानी चाहिये। एक गम्भीर विषय उठाया गया है इस पर 26 तारीख से पहले एक चर्चा करायें एक विचार आये।

श्री अध्यक्ष-

आप अब बैठ जायें। माननीय सदस्य एक मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

आज दो दिन की बरसात में पूर्वांचल में यह हालत हुई है। पानी की निकासी और बाढ़ की समस्या पर जो उमाशंकर जी ने विषय उठाया है आप उस पर चर्चा करा लें। मैं प्रदेश के हित के लिये निवेदन कर रहा हूं एक सल्यूशन निकाल लिया जाए क्योंकि हो सकता है कि बाढ़ की स्थिति आ गई अभी पूरी बरसात पड़ी है मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो क्षति हुई उसका किसानों को मुआवजा दिया जाए और इस पर चर्चा स्वीकार की जाए जिससे इस पर सिंचाई मंत्री का इस पर प्लान आयेगा और सभी के विचार आयेंगे।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा से ज्यादा हो गया।

श्री सुखदेव राजभर-

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूं और जो क्षति हुई है उसका मुआवजा दिला दें।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमको नियम-56 में बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं जिस जनपद से आता हूं उस जनपद श्रावस्ती को चेरापूंजी भी कहा जाता है। मेरा जनपद घने जंगलों से घिरा हुआ है और नेपाल बार्डर के बहुत करीब है। इसलिये हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बारिश होती है। नेपाल से पानी छोड़ा जाता है। हमारे

पांचों विकास खण्ड में 24 जून को बारिश से पूरा जनपद पानी-पानी हो गया था। इधर जब से सावन लगा है माननीय अध्यक्ष जी मेरे सिरसिया विकास खण्ड और हरिहरपुररानी व जमुनहा विकास खण्ड में बाढ़ आ गयी है। भिनगा से लक्ष्मणपुर को जाने वाली सड़क पर पुल न होने के कारण हमेशा कट जाता है सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसी प्रकार सिरसिया विकास खण्ड में ही जोखवा बाजार से बलनपुर जाने वाली सड़क पर बाढ़ के कारण सड़क बह गयी है। इसी प्रकार खैरीतराई, पूरेबाले, शाहपुर, पूरेशिवदीन, भुजंगा, ग्राम व लखाही बेनीनगर नौवा बांसकुड़ी गजोबरी आदि गांव में .....

श्री अध्यक्ष-

आप नोटिस पढ़ रहे हैं। अब हो गया।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो गयी है। सड़क, पुल, पुलिया सब टूट चुके हैं। भिनगा से राजपुर मोड़ जाने वाली सड़क अति जर्जर व खस्ताहाल है। इसी प्रकार हरिहरपुररानी विकास खण्ड में तिलकपुर मजगवां की सड़क पर पानी चल रहा हैं सड़कें सब टूट चुकी हैं। मोहम्मदपुर कलां मुजेहना में बाढ़ के कारण कई गांव का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

आप मान नहीं रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। मांग बताइये।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मैं कहना चाहता हूं कि इन फटे लिवासों की क्यों हंसी उड़ाते हो कोई तो ऐहले दिन होगा इन खराब हालातों में। आपसे मेरा केवल यह अनुरोध है कि मा0 मुख्य मंत्री जी और पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के हमारे मा0 उप मुख्य मंत्री जी हैं इनको हमारे देवीपाटन मण्डल के जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती में भेजने की कृपा करें और मा0 अध्यक्ष जी, केवल दो लाइन की एक कविता से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि **''हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिये, इस हिमालय से गंगा निकलगी चाहिये। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिये। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिये''।**

(इस मध्य सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी, आपका नोटिस नहीं है। इनका लिखित नोटिस है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

(इस मध्य मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 लल्लू जी, आप बैठे जाएं, मा0 मंत्री जी खड़ी हैं।

एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्रीमती स्वाती सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, विगत सप्ताह पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जनपद-बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा और बलिया के अधिकांश क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जो अब सामान्य होने की तरफ है। दिनांक 08 से 13 जुलाई के मध्य 500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है, जैसे गायघाट में 564 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से लगातार नीचे रहा है तथा नदियों में बाढ़ आने से कोई भी तटबंध क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। राहत का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी यहां पर बलिया की चर्चा हो रही थी तो मैं उस विषय में भी बताना चाहूंगी कि विगत दिनों हुई वर्षा से प्रदेश के कई शहरों एवं गांवों के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जो अब सामान्य है। बलिया की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। नदियों में बाढ़ आने एवं तटबंध क्षतिग्रस्त होने से किसी भी क्षेत्र के जलमग्न होने की स्थिति नहीं है। रसड़ा में एक जगह पर अतिक्रमण है जिसके सम्बन्ध में अतिक्रमणकर्ता द्वारा दण्डाधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। अतिक्रमण से बहाव अवरुद्ध नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगी कि अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा दो बादलों की कहानी बताई जा रही थी। यहां पर नियम-56 में पांच जनपदों के विषय में सवाल रखा गया है।

श्री अध्यक्ष-

वह बादल केवल इनके क्षेत्र में गये थे आप वाले में नहीं गये थे।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दो बादलों में बात हुई और बादल का कलेजा वहीं फट गया और पूरी बारिश बलिया में हो गयी। पूरी बारिश अगर बलिया में हो गयी तो मुझे लगता है कि और चार जनपदों का नाम नहीं आना चाहिये था। जहां तक बाढ़ की स्थिति का प्रश्न है तो मा0 असलम जी ने भी अभी श्रावस्ती को लेकर बताया कि पूरे श्रावस्ती जिले में बाढ़ आ गयी तो मैं बताना चाहूंगी कि पिछले एक हफ्ते का अगर मैं आपको बाढ़ के बुलेटिन के बारे में बताऊं तो किसी भी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर नहीं है इसलिये कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं है। हमारी सरकार में मा0 मुख्य मंत्री

जी और हम लोगों ने जून के पहले ही मई तक अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। सभी अधिकारियों को यह इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये गये थे कि 15 जून के पहले-पहले सभी बांधों की मरम्मत करा दी जाये और जो नयी परियोजनायें हैं उन पर कार्य चल रहा है। जहां तक आप राहत सामग्री की बात कर रहे हैं और मकान के क्षतिग्रस्त होने व खेतों की आप बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगी कि कई सारे पत्राचार राहत आयुक्त के द्वारा जिलाधिकारियों को गये हैं और हम उसके लिये पूरी तरीके से तैयार है। जो मकान क्षतिग्रस्त हुये है उसमें मैं आज के बारे में बताऊं तो बलिया में जनहानि की कोई ऐसी संख्या नहीं है, घायल लोग नहीं हैं, पशु हानि नहीं है, 04 कच्चे मकान जरूर गिरे है। यह एक बुकलेट 'राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की सहायता हेतु मदों की सूची एवं मानक दर' है और आपके माध्यम से मैं इसे पटल पर रखना चाहूंगी। अगर मकान पक्का है तो उसमें कितना मुआवजा दिया जायेगा, मकान अगर कच्चा है तो उसमें कितना मुआवजा दिया जायेगा। पक्का मकान झोपड़ी के अतिरिक्त जहां पर नुकसान कम से कम 15 प्रतिशत हुआ है तो कितना पैसा दिया जायेगा, कच्चा मकान झोपड़ी के अतिरिक्त जहां पर नुकसान कम से 15 प्रतिशत हुआ है तो वहां पर कितना पैसा दिया जायेगा।

जिन मकानों को दोबारा बनाने की बात हो रही थी या उनको मुआवजा देने की बात हो रही थी तो इसमें एक कंडीशन और है वह यह है कि जो क्षतिग्रस्त मकान हैं उनका राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत निर्माण होना चाहिये। 'द डमेज हाउस शुड बी एण्ड ऑथोरिट कान्सट्रक्सन ड्यूटी सर्टीफाइड बाई द प्रोपोनेन्ट ऑफ आथॉरिटी आफ द स्टेट गवर्नमेन्ट' अगर कोई भी इल्लीगत कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ है तो उस स्थिति में सरकार कोई भी मुआवजा नहीं देगी। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये भी लिखा है कि मुआवजे के रूप में मात्र 24 घण्टे के अन्दर सरकार उन लोगों तक मुआवजा पहुंचा देगी। हां मैं मकान की बात जरूर करूंगी क्योंकि कुछ जांचे करनी पड़ती हैं कि कितने प्रतिशत मकान मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं, कितने मकान कच्चे थे या कितने मकान पक्के थे इत्यादि-इत्यादि इस कार्य में कुछ समय जरूर लग जाता है लेकिन हम 24 घण्टे में समाधान करा देते हैं और जांचोपरान्त जिस भी व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिये उसको सरकार पहुंचा रही है। माननीय सदस्य अगर कहेंगे तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो राहत आयुक्त ने जिलाधिकारयिों को पत्र लिखा है वह भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद एक बात इन्होंने कही है कि मानक के अनुसार जब नक्शा पास हो तभी घर बनाइये। जो गांव पांच सौ साल, तीन सौ साल, हजार

सालों से बसे हुये हैं। उनका तो कोई नक्शा नहीं है और न ही किसी सक्षम अधिकारी की उनमें अनुमति है। जो मकान गिरे हैं वह गांव में गिरे हैं वह शब्द हटवा दीजिये, जो भी गांव में मकान गिरे हों उसका मुआवजा मिलता रहा है लेकिन जैसा कहा गया कि सक्षम अधिकारी से आर्डर लेकर घर बनवायें तो सौ साल, दो सौ साल, पचास साल पहले सक्षम अधिकारी के आर्डर के घर नहीं बनवाया जाता था। मान्यवर, यह जनहित का मामला है, किसानों के कल्याण का मामला है इसलिये जो नियम है और अगर सक्षम अधिकारी से परमीशन लेकर ही मुआवजा दिया जायेगा तो फिर गांव में किसी को भी मुआवजा नहीं मिल पायेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पूर्वांचल के श्रावस्ती, बलरामपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ इत्यादि जिलों में वर्षा अधिक हुई है। लेकिन किसी भी जिले में कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं गई है। जिस उद्देश्य से, जिस मंशा से आप लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, माननीय राजभर जी ने उसकी प्रिवेंशन के ऊपर खासतौर से बल दिया है इस बात के लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सचेत है जहां जैसी क्षति हुई है उसके मुआवजे के लिये भी हर तरह से जो नियमों में व्यवस्था है उसके तहत हम पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कोताही करने की सरकार की मंशा नहीं है और हम उन लोगों के प्रति पूरी हमदर्दी रखते हैं जो किसी न किसी रूप में अतिवृष्टि से या बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। मेरे पास सूचना भी है खासतौर से बलरामपुर में जहां-जहां क्षति हुई है हमने वहां पर मुआवजा भी दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे पास जो अभी सूचना आई है उसमें 24 लाख 65 हजार रुपये की सहायता उन लोगों को वितरित की गयी है जो लोग प्रभावित हुये हैं, और आगे भी जहां जैसी सूचना मिलेगी उसके हिसाब से हम परीक्षण कराकर, नियमावली में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से मदद करेंगे। इसमें बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिये और आगे भी इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किसी प्रकार से हमारे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले जहां पर जल भराव की स्थिति होती है उन लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, जितनी हम सावधानी बरत सकते हैं, जितने प्रिवेंशन के मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वह सारे के सारे मेजर्स इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन हम माननीय नेता विरोधी दल को इस बात के लिये धन्यवाद देंगे कि यदि किसी गम्भीर मसले को बहुत हल्का करना हो तो आपकी सेवायें हमेशा उपलब्ध रहती हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर मामले को हंसकर टाल देते हैं यह भी बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की यह सूचना अग्राह्य की जाती है। अब हम श्री अम्ब्रीष सिंह पुष्कर जी की अगली सूचना लेते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान सोनभद्र नरसंहार मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठिये। मैंने कार्य-स्थगन की अगली सूचना ले ली है।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां जो जरई डूब गई है उससे धान की फसल नहीं हो पायेगी। हमारे यहां इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो माननीय मंत्री जी के बगल में बैठे हैं, आप लिखकर दे दीजिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां की स्थिति बहुत खराब है। अतिवृष्टि की स्थिति बाढ़ से ज्यादा खतरनाक होती है। मुझे माननीया मंत्री जी का उत्तर सुनकर बड़ा दुःख हुआ है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों घर धंस गये हैं और लोग खुले में रहने को मजबूर हैं, लेकिन यहां पर केवल चार घर धंसने की रिपोर्ट भेजी गई है। यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि जिले से सही रिपोर्ट मंगाई जाये और सभी को मुआवजा दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

श्री सुरेन्द्र सिंह जी कृपया आप बैठ जाइये। माननीय संजय गर्ग जी कार्य-स्थगन पर बोलने के लिए खड़े हो गये हैं।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया इसलिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में बहुत गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये लेकिन हमारा केवल यह सुझाव है कि नोटिस में अनेक घटनाओं का उल्लेख एक साथ कर दिया गया है, जबकि नियम-56 में ऐसा नहीं होता है। आप किसी एक घटना का उल्लेख करते हुए अपनी बात को रख लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने अभी कहा वह बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह तो आपकी कृपा के ऊपर है क्योंकि मामला बहुत दुःखद और बृहद् है तथा हमारी पार्टी से संबंधित है, इसलिये इस पर आपकी कृपा चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप ही उन्हें नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है और लोकतंत्र के इस मन्दिर में इस बात को भी हम न कह सकें कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए अगर सरकार फासिस्टवादी रवैया अपनाते हुए विपक्ष को खत्म करने की साजिश करने का काम करे तो निश्चित रूप से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर विस्तार से भी बात करके संज्ञान में ला दिया जाये तो मैं निश्चित रूप से आपके संवेदनशील मन के जरिये यह संरक्षण चाहूंगा कि आपके माध्यम से इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकले।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में सारवान बात कहने के विशेषज्ञ हैं, तो संक्षेप में अपनी बात रख दीजिये।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष मैं इसीलिये आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले केवल दो महीने में समाजवादी पार्टी के 50 लोगों की हत्या 28 जिलों में हुई है। केवल मई और जून में समाजवादी पार्टी के 50 लोगो की हत्या का होना यह प्रदर्शित करता है कि प्रशासन और सत्ता में बैठे हुये लोग विपक्ष के लोगो को खत्म कर देने की साजिश करना चाहते हैं। पुलिस की कार्यवाही खानापूर्ति के रूप में की जा रही है और इतना ही नहीं उसी के साथ-साथ इन तमाम चीजों के बाद तमाम अभियुक्तों को छोड़ने की बात हो, विवेचना को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने की बात हो और जिस तरह से जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त हो रहा है, यह तमाम चीजें मिलकर यह प्रस्तुत करती हैं कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मिलकर लोगो की सेवा करने का काम कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे। ऐसी स्थिति में केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख करके बताना चाहता हूं कि दो महीने में प्रयागराज में सात लोग मारे गये हैं। 19 जून को 55 वर्षीय भोला सरोज पुत्र सुग्रीव प्रसाद, निवासी बेरवा पहलवान थाना नवाबगंज की हत्या हुई है। फाफामऊ निवासी सुशील पटेल, कटरा निवासी बच्चा यादव, इस्माइलगंज निवासी योगेश यादव जिसमें विशेष तौर पर कुलदीप यादव की हत्या थाना नवाबगंज में हुई है। उनके ऊपर तीन मुख्य प्रतिद्वंदी थे जिनके नाम विवेचना से निकाल दिये गये और उनके घर पर दुबारा रात में

हमला करने की साजिश जिस तरह से हुई है उसमें कोई भी विवेचना उसके ऊपर नहीं हुई है। यह अपने आप में गम्भीरता को दर्शाने का काम करता है। प्रतापगढ़ में चार घटनाएं हुई हैं। जनपद अयोध्या में तीन कत्ल हुए और उसी के साथ-साथ एक कौशाम्बी में, एक आगरा में, एक मऊ में, एक हापुड़ में हुई है।

श्री अध्यक्ष-

यह अलग-अलग मामलों का उत्तर सरकार कैसे देगी ? आप लोग तो मंत्री रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, लखीमपुर में चार हत्याएं हुई हैं। जौनपुर में लालजी यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनका थाना संराय ख्वाजा में जिस तरह से कत्ल हुआ, राम अवध यादव की हत्या हुई, गाजीपुर में विजय यादव, सदस्य जिला पंचायत की हत्या हुई, शाहजहांपुर में छोटे लाल यादव और राम कुमार भुर्जी की हत्या तथा सिद्धार्थनगर में भी दो लोगों अंजलि यादव और फूलचन्द्र यादव की हत्या हुई, गौतमबुद्ध नगर में रामटेक कटारिया जो केवल 34 वर्ष से हमारे समाजवादी पार्टी के विधान सभा अध्यक्ष थे जिन्हें छः लोगों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या करने का काम किया है। मान्यवर, यह अपने आप में भी बहुत गंभीर है कि आजमगढ़ में भी दो घटनाएं 30 मई को राम प्यारे यादव और 31 मई को 27 वर्षीय नौजवान धर्मेन्द्र यादव का कत्ल होता है। मिर्जापुर में भी एक घटना श्री सन्तोष यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनका कत्ल हुआ, सोनभद्र में दो लोगों की हत्या और उसके बाद पिछले दिनों अभी जो घटना हुई है उसमें गोंड आदिवासियों का कत्ल हुआ है। यह तमाम तस्वीरें पेश करतीं है। अमरोहा में आयुष टण्डन खत्री की हत्या, मेरठ में सुनील गुर्जर की हत्या।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सूची है। यह नियम-56 में कैसे बनेगी ? हमने आपको सुन लिया, लेकिन यह नियम-56 में कहां आता है ?

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, इसी के साथ-साथ सुल्तानपुर में श्री चांद बाबू की हत्या, जनपद लखनऊ, जनपद बन्दायु, जनपद फर्रुखाबाद, जनपद गोंडा, जनपद मथुरा, जनपद सम्भल, जनपद ललितपुर तथा जनपद मैनपुरी इन तमाम जनपदों में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ नंगा नाच हुआ है। यह अपने आप में लोकतंत्र में बहुत बड़ी चुनौती है। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब मा0 योगी जी के नेतृत्व में हों तो निश्चित रूप से इस बात की आकांक्षा और प्रदेश को यह उम्मीद थी कि जब एक योगी के हाथ में कमान है तो वह मोह-माया, काम-क्रोध तथा ईर्ष्या से दूर होगी। पर क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर अगर समाजवादियों का ही कत्ल इस नीयत से किया जाए कि विपक्ष को किस तरह से खत्म करके उसकी आवाज दबाने की कोशिश हो तो यह अपने आप में चिंता के विषय को प्रस्तुत करने की

बात प्रकट करता है। मैं इस आशय के साथ कि आपका संरक्षण मिलते हुए यह संदेश प्रदेश में जरूर जाना चाहिए कि हम विकास की बात तो करते हैं, पर उस विश्वास में आध्यात्मिकता कितना दिखती है ? आध्यात्म रहित विकास विनाश का प्रतीक है और रावण के राज को प्रतीत करता है। रामराज का नारा देना, माथे पर टीका लगा देना आध्यात्म सहित विकास का प्रतीक नहीं हो सकता है और मैं आपसे इस बात का आशय करना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष अगर दोनों जिंदा रहेंगे तभी हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना को साकार करने का काम कर सकते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण, लोकहित के प्रश्न पर आपसे संरक्षण चाहते हुए सदन में चर्चा करने की मांग करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज दो सूचनाएं नियम-56 में स्वीकार हुई थीं। एक मोहनलालगंज की और एक बाढ़ की। उसी के सम्बन्ध में सूचना आई। हमको तो इनका नोटिस देखने को भी नहीं मिला, लेकिन मा0 संजय गर्ग जी बहुत विद्वान सदस्य हैं, पुराने हैं और सरकार में भी रहे हैं। यह हमारी कार्य प्रणाली भी जानते हैं कि बिना सूचना के जो-जो घटनाएं यहां बताई हैं। उस पर यह भी बता देते कि क्या कार्रवाई हुई है ? मान्यवर, इन्होंने अखबार पढ़ लिया और अखबार में जो-जो घटनाएं हुईं उसे नोट कर लिया। यह पब्लिक परसिप्सेन है कि जो जंगल राज था 2012 से लेकर 2017 तक उस जंगलराज को समाप्त करके अब पूरी तरह से कानून का शासन है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। आज आत्मसमर्पण करके जो अपराधी मुल्जिम थे उसमें से 15 हजार 8 सौ 92 मुल्जिमों ने 19 मार्च, 2017 से लेकर 30 जून तक सरेण्डर किया है। अगर सरकार का भय नहीं होता तो यह लोग सरेण्डर नहीं करते और जिस अपराधी ने भी सिर उठाया और पुलिस से मुजाहिमत करने की कोशिश की तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया गया। अभी आपने देखा कि दो लोगों ने मुरादाबाद में, सम्भल में जो घटना हुयी। तीन अपराधियों ने बाकायदा पुलिस की रक्षा में दो पुलिस वालों को मारा। 75 घण्टे के अन्दर उसको मार गिराया गया। यह है कानून का शासन। मान्यवर, अभी तक पुलिस की कार्रवाई में 83 लोग मारे गये। जिन लोगों ने जरा भी इस बात की कोशिश की कि वह पुलिस पर हमला करेंगे और इनके जमाने में क्या हुआ वह भी सुनाये देते हैं। मान्यवर, प्रतापगढ़ में जियाउल हक जो सी0ओ0 थे उनकी गोली मारकर हत्या हुयी। यह हम 2012 से लेकर 2017 तक का इनका इतिहास बताये दे रहे हैं। इन्होंने तो हमारा बता दिया अब आप इनका सुन लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इस पर चर्चा हो जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कितने लोग मुजफ्फरनगर में मारे गये। अरे, अब जवाब सुनिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

चर्चा हो जाये। इस पर चर्चा हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपने पूरा उत्तर प्रदेश बताया तो उत्तर कैसे आयेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकर्ता जहां-जहां मारे गये वहां का इन्होंने रिफरेंस बता दिया और मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि अखबार, मैं चार जगह खुद गया हूं। यह जवाब दे रहे हैं, जियाउल हक का।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनकी सरकार में 600 से ज्यादा जगह पुलिस पिटी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सत्ता में आज आप लोग हैं और पुरानी बात की चर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इनके शासनकाल में खाली प्लाट हमारा है, समाजवाद का नारा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपकी सरकार में राजनीतिक द्वेष के कारण राजनीतिक हत्यायें हुयी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 23-11-2013 को बनारस में डिप्टी जेलर की हत्या हुयी। 02-12-2013 को मुजफ्फरनगर में आरक्षी की पीट-पीटकर हत्या, बरेली में 02 जनवरी, 2014 को जमीनी विवाद में चार लोगों की हत्या। झांसी में 19-01-2014 को गोली मारकर चार लोगों की हत्या। बुलन्दशहर में 23-01-2014 को एक ही परिवार के 06 लोगों की हत्या, थाना-नरौरा। बांदा में 20-08-2014 को सपा नेता की हत्या।

(इस बीच समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान जारी रहा।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 16-02-2015 को जिला जेल में विचाराधीन बन्दी, कचेहरी में हत्या, जेल में हत्या, एक भी जगह बची नहीं जहां पर हत्या न हुयी हो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

दो-दो लोक सभा के चुनाव के बाद यह घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की शह से लोक सभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनचुनकर हत्या करायी जा रही है। यह भाजपा की शह पर हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह गलत है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह गलतबयानी कर रहे हैं। इनकी गलतबयानी के कारण और हमारे कार्यकर्ताओं की जो भारतीय जनता पार्टी की शह पर हत्या की गयी है। इस पर यह सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(नेता विरोधी दल अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन्होंने पूरे पांच साल में जंगलराज कायम कर दिया। 6-7 सौ जगह पुलिस पिटी। इनके जमाने में सरकार और कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। हर जगह खाली प्लाट का कब्जा होता था। आदमी त्राहि-त्राहि करता था। केवल बाहुबलियों का शासन था। केवल सपा के लोगों का ही शासन था। मान्यवर, यह कानून का शासन है योगी जी की सरकार जिस दिन से आयी है और पब्लिक परसेप्शन भी यही है और मान्यवर, पब्लिक परसेप्शन कभी गलत नहीं बनता है। मान्यवर, जो लोकदृष्टि है वह कभी भी गलत नहीं होती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं लेकिन यह कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। जब उनकी कलई खुलने लगी तो फिर वह भाग गये। हमेशा यही हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, धन्यवाद।

[02:08] कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी को बन्धक बनाकर जेल में डाले जाने विषयक प्रकरण को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी, आप हमारा एक वाक्य सुन लीजिए। आपकी जिस विषय पर सूचना है उस विषय पर शुक्रवार के दिन मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, सभी दलों के नेता, आपके दल की तरफ से भी श्रीमती आराधना जी एवं सबने इस आदरणीय सदन में लम्बी चर्चा की थी। आज फिर आपकी उसी विषय पर नियम-56 में सूचना है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आप कृपया करके नियमावली देख लीजिए कि जो विषय एक बार सत्र में आ जाये क्या वही विषय दोबारा उसी सत्र में आ सकता है। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर शुक्रवार को विस्तृत रूप से खूब चर्चा हुई है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह बृहस्पतिवार की घटना है। क्या हमको पीड़ित परिवार से मिलने का भी अधिकार नहीं है। यह लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मैं विधायक हूं। अगर मैं पीड़ितों से मिलने जा रहा हूं तो मुझे किस आधार पर 48 घण्टे तक बन्धक बनाया गया। शनिवार को पीड़ित पक्ष से मिलने जा रहे हैं। शनिवार को मुझे और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीया श्रीमती प्रियंका गांधी को बन्धक बना कर जेल में डाल दिया जा रहा है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, यह सदन में उठाये गये विषय के बारे में नहीं कह रहे हैं। इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उस विषय के बारे में कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप नोटिस को पढ़िए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, नोटिस में लिखा है कि सोनभद्र की घटना है। जहां पर 11 लोगों की निर्मम हत्या होती है।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर सोनभद्र की घटना पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है। इस विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य एवं मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी का उत्तर आ गया है। आप नियम-56 को देखिए। नियम-56 में तात्कालिक विषय होता है और दूसरे जो विषय एक बार आ गया है तो उसी विषय को दोबारा उसी सत्र में डिस्कस नहीं करते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, सरकार ने प्रशासन को लगाकर 48 घण्टे तक मुझे और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीया श्रीमती प्रियंका गांधी को बन्धक बना कर रखा। अध्यक्ष जी, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप विपक्ष को संरक्षण दीजिए। किस आधार पर मुझे और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी को बन्धक बना कर रखा गया ?

श्री अध्यक्ष-

यहां पर मा0 आराधना जी ने श्रीमती प्रियंका गांधी का उल्लेख किया था।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या पीड़ितों का दर्द बांटना, उनसे मिलना, क्या इस देश के कानून में नहीं है ? हम जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय ही नहीं है। यह विधान सभा इसके लिए नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, अगर सोनभद्र में निर्मम हत्याएं हुई थीं, नरसंहार हुआ था। हम उन लोगों से मिलने जा रहे थे, उनसे उनकी समस्या जान रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 मुख्य मंत्री जी लम्बा-लम्बा भाषण देते हैं कि यह वर्ष 1955 की घटना है। उस गांव के लोगों ने पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। जमीन के मामले में उन लोगों पर मुकदमा चल रहा था।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, यह विषय यहां आ चुका है।

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो उ0प्र0 विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली है, उसका पालन होना चाहिए। सदन में कांग्रेस की ही मा0 सदस्या आराधना मिश्रा इस मामले को उठा चुकी हैं। आपकी व्यवस्था के बावजूद भी कांग्रेस के नेता इस बात को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरासर पीठ का अपमान है और इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

(तत्पश्चात् श्री अजय कुमार 'लल्लू' व कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य सदन की वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, यह ठीक नहीं है। वेल से कही गई कोई भी बात रिकार्ड नहीं होगी, वेल से कही गई कोई भी बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी। आपकी नोटिस में उसी घटना का उल्लेख है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, ये सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वे तो केवल फोटो खिंचाने गयी थीं, आउटिंग के लिए गयी थीं, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अगला ले लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

(वेल से) माननीय अध्यक्ष जी, ये डी0एम0 ने क्या आदेश किया है, ये किसके शासन में दाखिल खारिज हुआ है, कब जमीन रजिस्ट्री हुई है ? इनकी सरकार में आदिवासियों की निर्मम हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष-

ये बात यहां हो चुकी है, आप कृपया अपने स्थान पर चलिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

(वेल से) 48 घण्टे तक हम लोगों को, हमारी राष्ट्रीय महासचिव को किसलिए गिरफ्तार किया गया ? क्या सरकार की मंशा हम लोगों के खिलाफ थी ? अध्यक्ष जी, हमारी बात सुननी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की शेष सूचनाएं अग्राह्य की गयीं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

(वेल में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्य 'कानून व्यवस्था दे न सके [xxx] आदि नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

<u>मद संख्या-41</u>

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22-07-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 74 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री राकेश प्रताप सिंह जनपद अयोध्या में दर्शन नगर स्थित यश पेपर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में, 2-श्री अविनाश त्रिवेदी जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत कुम्हरावां से बाबागंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-श्री राम चन्द्र यादव जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत बाबा बाजार में विद्युत समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-श्री मनीष असीजा जनपद फिरोजाबाद के फिरोजाबाद नगर में विद्युत अवस्थापन के अवशेष

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-श्री अनिल सिंह-जनपद उन्नाव की जर्जर विद्युत लाइनों को जनहित में बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री विनय शंकर तिवारी जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत गोला मार्ग से कौड़ीराम तक की सड़क का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 2-श्री ओमकार सिंह जनपद बदायूं के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में है। 3-श्री संजय गर्ग जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोहडोर में थानाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह की ड्यूटी पर जाते वक्त दुर्घटना में मृत्यु के उपरान्त मृतक के परिवारीजनों को 20 लाख की आर्थिक सहायता एवं परिवारीजन को सरकारी सेवा में रखे जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री विरेन्द्र कुमार यादव जनपद जौनपुर के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीरकपुर बरईपार में हुई फर्जी नियुक्ति की जांच के सम्बन्ध में है। 2-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव जनपद बाराबंकी के देवां टाउन एरिया में बाराबंकी से देवां रोड की मरम्मत में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 3-श्री सुभाष पासी जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत पहाड़पुर कुर्बानसराय मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। 4-श्री नईम उल हसन-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ग्राम सदाफल से छोटी नहर पुल तक के मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 5-श्री उमाशंकर सिंह जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में ट्रॉमा सेन्टर व महिला चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 6-श्री उज्जवल रमण सिंह, जनपद प्रयागराज में पुलिस मुख्यालय यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में है। 7-श्री रमेश चन्द्र मिश्र जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है। 8-श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस' जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में अवैध रूप से प्राइवेट बसों के संचालन को रोके जाने के सम्बन्ध में है। 9-श्री रोशन लाल वर्मा जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में किसानों की भूमि का बिजली विभाग द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे अधिग्रहण को रोकने के सम्बन्ध में है। 10-श्री सत्यवीर त्यागी जिला मेरठ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। 11-श्री अगयश राम सरन वर्मा-जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में खाद्यान्न विभाग द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में है। 12-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में हो रही गौवंशों की मृत्यु को रोकने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में है। 13-श्री पूरन प्रकाश जनपद मथुरा के अन्तर्गत गंगाजल प्रोजेक्ट द्वारा कतिपय ग्राम सभाओं की क्षतिग्रस्त की गयी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। 14-श्री योगेश वर्मा

जनपद सीतापुर के अटरिया स्थित कतिपय गांवों में ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। 15-श्री लालजी वर्मा जनपद अम्बेडकर नगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा द्वारा अधिग्रहीत जमीन का प्रतिकर किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। 16-श्रीमती सुषमा पटेल जनपद जौनपुर के तहसील मछलीशहर के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला को मुख्य मंत्री किसान तथा सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है। 17-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जनपद लखनऊ में स्थित रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त अस्पताल को मॉडल चिकित्सालय के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

1-श्री अजय कुमार 'लल्लू'

2-श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य 'पप्पू भइया'

3-डॉ0 अनीता लोधी राजपूत

4-श्री संजय प्रताप जायसवाल

5-श्री बम्बा लाल

6-श्री दुर्गा प्रसाद यादव

7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा

8-श्री नफीस अहमद

9-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट

10-श्री अमिताभ बाजपेई

11-इंजी0 बृजेश कठेरिया

12-श्री मसूद अख्तर

13-श्री नरेश सैनी

14-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह

15-श्री असलम अली

16-श्री पंकज गुप्ता

17-श्री तसलीम अहमद

18-कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह

19-श्री पारस नाथ यादव

20-श्री जटाशंकर त्रिपाठी

21-श्री राम नरेश रावत

22-डॉ0 लीना तिवारी

23-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया

24-डॉ0 नीरज बोरा

25-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया

26-श्री आशुतोष उपाध्याय

27-डॉ0 अरूण कुमार

28-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही

29-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल

30-श्री दयाराम चौधरी

31-डॉ0 विमलेश पासवान

32-श्री किशन लाल राजपूत

33-श्री महेन्द्र पाल सिंह

34-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी

35-डॉ0 श्याम बिहारी लाल

36-श्री जवाहर लाल राजपूत

37-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले''

38-डॉ0 सोमेन्द्र तोमर

39-श्री प्रभाष कुमार

40-श्री अनिल कुमार दोहरे

41-श्री धनन्जय कन्नौजिया

42-श्री कल्पनाथ पासवान

43-श्री महेश कुमार गोयल

44-श्री आजाद अरिमर्दन

45-श्री राम अचल राजभर

46-डॉ0 अनिल कुमार मौर्य

47-श्री प्रमोद उटवाल

48-श्री कपिलदेव अग्रवाल

49-श्री बजरंग बहादुर सिंह

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बज कर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 22 जुलाई, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

————————

नत्थी-क

(देखिये नत्थी-ग के तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 4 पर)

प्रदेश में सम्पन्न डिक्वाय आपरेशन का विवरण

क्र0 स0	केन्द्र का नाम व पता जहाँ डिक्वॉय ऑपरेशन सम्पन्न हुआ	डिक्वॉय ऑपरेशन की तिथि	जनपद का नाम, जिस जनपद की टीम द्वारा डिक्वॉय ऑपरेशन सम्पन्न किया गया।	अभ्युक्ति
1	अमर हॉस्पिटल, लक्ष्मी नगर, यमुना पार, मथुरा	11.09.2017	आगरा	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना यमुना पार, मथुरा पर दिनांक 11.09.2017 को दर्ज की गयी।
2	शर्मा अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर, सर्वहित हॉस्पिटल, समीप दयानन्द मोदी एकेडमी, मोदीपुरम्, मेरठ।	18.09.2017	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना पल्लवपुरम्, मेरठ पर दिनांक 18.09.2017 को दर्ज की गयी।
3	सी0बी0 मेमोरियल हॉस्पिटल, पल्लवपुरम्, मेरठ।	02.12.2017	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना पल्लवपुरम्, मेरठ पर दिनांक 02.12.2017 को दर्ज की गयी।
4	चन्द्रा हॉस्पिटल, ताज नगरी, आगरा।	03.09.2018	आगरा	प्रकरण की जॉच जिलाधिकारी/समुचित प्राधिकारी आगरा के स्तर पर करवायी जा रही है।
5	शाहीन उल्लाह के घर, मोहल्ला जलीलाबाद, जनपद अमरोहा।	19.09.2018	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध तहरीर थाना कोतवाली अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा पर दिनांक 19.09.2018 को डा0 सुरेन्द्र कुमार, नोडल अधिकारी, पी0एन0डी0टी0, जनपद अमरोहा द्वारा दी गयी।
6	नेशनल अल्ट्रासाउण्ड एण्ड एक्स-रे सेण्टर, समीप मुंशफी, जनपद सम्भल।	16.10.2018	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना सम्भल, जनपद सम्भल पर दिनांक 16.10.2018 को दर्ज की गयी।
7	श्री मुकेश पुत्र श्री प्रीतम सिंह का घर, श्रवण हॉस्पिटल, मोहिद्दीनपुर जनपद मेरठ।	17.11.2018	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना परतापुर, मेरठ पर दिनांक 17.11.2018 को दर्ज की गयी।
8	डा0 अरविन्द पवाड़िया क्लीनिक, मोहल्ला काबलीगेट, थाना मवाना, जिला मेरठ।	05.01.2019	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना मवाना, मेरठ पर दिनांक 05.01.2019 को दर्ज की गयी।

9	ग्राम पचगॉव गढ़ी, थाना भावनपुर, मेरठ में श्रीमती सविता पत्नी श्री अरविन्द के घर पर पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मशीन से लिंग चयन करते हुए।	15.01.2019	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना भावनपुर, मेरठ पर दिनांक 15.01.2019 को दर्ज की गयी।
10	त्यागी डायग्नोस्टिक सेण्टर, जिला पंचायत मार्किट मुरादनगर, थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद।	26.01.2019	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना मुरादनगर, गाजियाबाद पर दिनांक 28.01.2019 को दर्ज की गयी।
11	शुभम हॉस्पिटल, लिसाड़ी गेट, मेरठ।	03.03.2019	मेरठ	सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी थाना कोतवाली, मेरठ पर दिनांक 03.03.2019 को दर्ज की गयी।

नत्थी-ख

(देखिये नत्थी-ग के अतारांकित प्रश्न संख्या-61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

क्र. स.	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 में संक्षिप्त प्रगति विवरण	वर्ष 2018-19 में संक्षिप्त प्रगति विवरण	वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि
1	राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना।	पूर्वदशम छात्रवृत्ति में रू0 3565.00 लाख से 168620 छात्रों को, दशमोत्तर छात्रवृत्ति में रू0 14867.00 लाख से 432474 छात्रों को, शुल्क प्रतिपूर्ति में रू0 15000.00 लाख से 291991 छात्रों को धनराशि स्वीकृति की गयी थी।	पूर्वदशम छात्रवृत्ति में रू0 3565.00 लाख से 128494 छात्रों को, दशमोत्तर छात्रवृत्ति में रू0 14867.00 लाख से 407906 छात्रों को, शुल्क प्रतिपूर्ति में रू0 15000.00 लाख से 275820 छात्रों को धनराशि स्वीकृति की गयी थी।	पूर्वदशम छात्रवृत्ति में रू0 1782.25 लाख दशमोत्तर छात्रवृत्ति में रू0 7486.50 लाख शुल्क प्रतिपूर्ति में रू0 7500.00 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है।
2	भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं मेरिट-कम-मीन्स योजना।	पूर्वदशम छात्रवृत्ति में रू0 18318.70 लाख से 592791 छात्रों को, दशमोत्तर छात्रवृत्ति में रू0 6619.38 लाख से 99527 छात्रों को, मेरिट-कम-मीन्स में रू0 3050.70 लाख से 11396 छात्रों को धनराशि स्वीकृति की गयी थी।	पूर्वदशम छात्रवृत्ति में रू0 24116.25 लाख से 683508 छात्रों को, दशमोत्तर छात्रवृत्ति में रू0 8194.33 लाख से 85940 छात्रों को, मेरिट-कम-मीन्स में रू0 2620.57 लाख से 9899 छात्रों को धनराशि स्वीकृति की गयी थी।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
3	मेडिकल/इंजीनियरिंग कोचिंग योजना।	रू0 15.00 लाख 100 छात्रों को लाभन्वित किया गया।	रू0 15.00 लाख 100 छात्रों को लाभन्वित किया गया।	रू0 7.50 लाख
4	पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना।	रू0 7400.00 लाख से 21756 लाभार्थियो को लाभन्वित किया गया।	रू0 7400.00 लाख से 35278 लाभार्थियो को लाभान्वित किया गया।	रू0 3700.00 लाख
5	अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने की योजना।	कोई मदरसा अनुदान सूची पर नहीं लिया गया।	कोई मदरसा अनुदान सूची पर नहीं लिया गया।	कोई मदरसा अनुदान सूची पर नहीं लिया गया।
6	मदरसा मिनी आई0टी0आई0 योजना।	रू0 2117.31 लाख से 1403.21	रू0 2117.31 लाख से 1607.27	रू0 1058.65 लाख से 435.57
7	बहुउद्देशीय शैक्षिक हब (मॉडल इण्टर कालेज) की योजना।	रू0 906.00 लाख 6 मॉडल इण्टर कालेज के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु द्वितीय किश्त निर्गत की गई।	रू0 2265.00 लाख 15 मॉडल इण्टर कालेज के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु द्वितीय किश्त निर्गत की गई।	शून्य
8	मदरसों के अध्यापकों/ अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना।	कोई अध्यापक चयनित नहीं हो पाया।	कोई अध्यापक चयनित नहीं हो पाया।	शून्य
9	छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण योजना (आई.डी.एम.एम.)	कोई नवीन स्वीकृति नहीं की गई।	भारत सरकार के स्तर से 09 विद्यालयों को द्वितीय किश्त निर्गत की गई।	अभी तक कोई स्वीकृति नहीं।
10	मदरसा आधुनिकीकरण की योजना (एस0पी0 ई0एम0एम0)	11212.44 लाख 22656 शिक्षकों को लाभान्वित किया गया।	5880.02 लाख 22549 शिक्षकों को लाभान्वित किया गया।	3250.00 लाख

11	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	रू0 35164.4545 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष रू0 24833.96134 लाख की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 2017-18 में 34 इण्टर कालेज, 03 राजकीय पालिटेक्निक, 13 राजकीय आई0टी0आई0, 06 प्राइमरी स्कूल, 16 छात्रावास, 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र, 449 ऑगनवाडी केन्द्र, 14 होम्योपैथिक/ यूनानी/आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 764 हैण्डपम्प, 328 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 24 पाइप पेयजल योजना, 06 शौचालय, 34 कम्प्यूटर लैब, 04 हाई स्कूल/माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।	रू0 21368.77075 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष रू0 17839.84581 लाख की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 2018-19 में 01 राजकीय आई0टी0आई0, 22 राजकीय इण्टर कालेज, 02 छात्रावास, 333 आंगनबाडी केन्द्र, 72 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 32 कम्प्यूटर लैब, 01 प्राइमरी स्कूल, 05 सामुदायिक शैचालय, 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र, 10 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 06 यूनानी/आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 02 गूगें बहरों के स्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।	रू0 4342.5944 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष अब तक रू01001.429 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

लक्ष्मी नारायण चौधरी
मंत्री,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग।

नत्थी-ग

(देखिये नत्थी-ग के अतारांकित प्रश्न संख्या-76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

राजकीय गृहों में आवासित संवासियों की सूचना।

संस्था का नाम	जनपद	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान में आवासित संवासियों की संख्या
1	2	4	5
राजकीय बाल गृह(बालक)			
1	लखनऊ	100	102
2	ललितपुर	50	19
3	वाराणसी	100	74
4	देवरिया	50	22
5	कानपुर नगर	100	70
6	फिरोजाबाद	50	47
7	शाहजहांपुर	50	35
8	मेरठ	50	19
योग		550	384
राजकीय बाल गृह(बालिका)			
1	बलिया	50	68
2	प्रयागराज	50	37
3	लखनऊ	100	66
4	कानपुर नगर	100	109
योग		300	280
राजकीय बाल गृह(शिशु)+राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण			
1	लखनऊ	50+10	78
2	आगरा	50+10	35
3	रामपुर	50+10	36
4	मथुरा	50+10	45
5	प्रयागराज	50+10	30
योग		300	224
राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख संगठन (किशोर)			
1	लखनऊ	60	35
राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख संगठन (महिला)			
1	मेरठ	50	12
2	लखनऊ	100	87
3	वाराणसी	100	40
4	सहारनपुर	100	07
योग		350	146
राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर)			

1	आगरा	50	97
2	मथुरा	30	53
3	ललितपुर	60	25
4	लखनऊ	100	135
5	हरदोई	50	97
6	बरेली	50	57
7	मेरठ	100	72
8	मुजफ्फरनगर	30	0
9	मुरादाबाद	50	60
10	वाराणसी	75	116
11	गोरखपुर	50	184
12	मऊ	30	119
13	बस्ती	30	74
14	प्रयागराज	50	132
15	कानपुर नगर	50	53
16	फर्रूखाबाद	50	52
17	फैजाबाद	50	140
18	गोण्डा	30	49
19	चित्रकूट	30	41
20	मीरजापुर	30	59
21	बुलन्दशहर	50	47
22	गौतमबुद्ध नगर	100	110
23	मुरादाबाद	30	0
24	सिर्जापुर	30	0
योग		1195	1778
राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी)			
1	बाराबंकी	30	33
2	गाजियाबाद	30	11
योग		60	44
रा0 विशेष गृह			
1	इटावा (किशोर)	50	3
2	बाराबंकी (किशोरी)	30	0
योग		80	3
रा0 प्लेस आफॅ सेफ्टी			
	गाजीपुर	50	9
योग		50	9
कुल योग		2935	2903

महिला कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित बाल/बालिका/शिशु/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण/खुला आश्रय गृह का विवरण

अनुदानित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित खुला आश्रय गृह

क्र0 सं0	स्वैच्छिक संस्था का नाम व पता	संचालित गृह	सवासियों की संख्या
1	2	3	5
1	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, 82 बी/4, रसूलाबाद, प्रयागराज	खुले आश्रय गृह, प्रयागराज	25
2	समाज सेवा संस्थान, 414/233 सराय नाली खां, चौक लखनऊ	खुले आश्रय गृह,	26
3	भरतपुरिया शिक्षा समिति, 3/1257, यमुनापुरी, गाजियाबाद।	लाल बहादुर शास्त्री सुदर्शनम् खुला आश्रय गृह,	20
4	ग्रुप ग्राम विकास समिति, डी-30, इन्द्रा नगर, कानपुर नगर।	खुला आश्रय गृह,	37
5	पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति, फातिमानगर, पादरी बाजार, गोरखपुर	खुला आश्रय गृह	45
6	कृषक महिला गृह शिल्प केन्द्र, गौरा, काशीपुर, वाराणसी	खुला आश्रय गृह,	31
7	माँ काली सेवा संस्थान, श्री राम मंदिर के पास, लखीमपुर रोड, गोला, लखीमपुर खीरी	खुला आश्रय गृह,	26
8	डॉ0 शम्भुनाथ सिंह शोध संस्थान, सी-14/160 बी-2, डॉ0 शम्भुनाथ सिंह मार्ग सोनिया वाराणसी	धूप-छांव खुला आश्रय गृह,	25
9	शोभना ग्रामोद्योग सेवा समिति, हरगुलाल बिल्डिंग, कटरानाज मुरादाबाद	खुला आश्रय गृह,	22
10	सावियो नवजीवन बाल भवन, सोसाइटी, लालानगरी, राम घाट रोड, सेंट फिदेलिस कैम्पस, अलीगढ़	खुला आश्रय गृह,	27
11	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, अल्लीपुर, हरदोई	खुला आश्रय गृह,	25
12	साथी, शाखा कार्यालय, 128/168 ई-ब्लाक किदवई नगर, कानपुर नगर	खुला आश्रय गृह,	40
13	साथी, शाखा कार्यालय, 128/168 ई-ब्लाक किदवई नगर, कानपुर नगर	खुला आश्रय गृह,	35
14	दलित ग्रामीण विकास संस्थान, गीता भवन, रजी चौक, बदायूं	खुला आश्रय गृह,	20
15	संस्कार सेवा समिति, एच0आई0जी0-7, चन्द्रशेखर नगर, पोस्ट-खोरीपाकड, बलिया	खुला आश्रय गृह,	20
16	अर्चना सेवा संस्थान, 26/30 टीचर कालोनी सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर, लखनऊ	खुला आश्रय गृह,	26
17	प्रोग्रेसिव एजेन्सी टू ह्यूमेनिटी (पाथ), बी-2/3, सेक्टर-13, गीडा, गोरखपुर	खुला आश्रय गृह,	30
18	आदर्श ग्रामोद्योग जनसेवा समिति, 36/12, ब्लाक नं0-9, गोविन्द नगर कानपुर नगर	खुला आश्रय गृह,	26
19	माँ काली सेवा संस्थान, लखीमपुर खीरी, श्री राम मंदिर के पास, लखीमपुर रोड, गोला, लखीमपुर खीरी	खुला आश्रय गृह,	25
20	माँ काली सेवा संस्थान, लखीमपुर खीरी, श्री राम मंदिर के पास, लखीमपुर रोड, गोला, लखीमपुर खीरी	खुला आश्रय गृह,	25
	योग		597

अनुदानित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण

क्र0 सं0	स्वैच्छिक संस्था का नाम	संचालित गृह	सवासियों की संख्या
1	2	3	5
1	ग्रामीण विकास समिति, चारू गोण्डा	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	10

2	माँ काली सेवा संस्थान, श्री राम मंदिर के पास, लखीमपुर रोड गोला, लखीमपुर खीरी।	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण,	6
3	गौतमबुद्ध सेवा समिति, ग्राम बरहुली, पोस्ट जंत्ता की मड़ई, मुगल सराय, चन्दौली	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण,	13
4	एशियन सहयोगी संस्थान इण्डिया 42 जेल रोड, गीता वाटिका, गोरखपुर	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण,	18
5	सरस्वती सेवा संस्थान, ग्राम अवस्थी, पोस्ट उज्जरपार, गोरखपुर	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण,	33
6	सर्वोदय ग्राम्य विकास परिषद, बभनौली, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण,	16
7	सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी, 19 राजीव विहार, मछरिया, नौबस्ता, कानपुर नगर	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण,	15

अनुदानित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु)

क्र0 सं0	स्वैच्छिक संस्था का नाम	संचालित गृह	संलग्नियों की संख्या
1	2	3	5
1	बाल गृह (बालक)		
1	गांधी सेवा निकेतन, 316, निराला नगर, रायबरेली	बाल गृह (बालक),	28
2	देवराज ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, सागरपाली, बलिया	बाल गृह (बालक),	24
3	उमा महिला उत्थान समिति, मिश्रिख तीर्थ, सीतापुर	बाल गृह (बालक),	7
4	मां काली सेवा संस्थान, गोला गोकर्णनाथ खीरी	बाल गृह (बालक),	21
5	स्व0 पं0 गिरिजा प्रसाद सामाजिक सेवा एवं शिक्षा संस्थान, C/O डॉ0 आर0आर0 ओझा, निकट छपका ब्लाक, छपका, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	बाल गृह (बालक),	12
6	दृष्टि सामाजिक संस्थान, लखनऊ	बाल गृह (बालक)	87
7	निर्वाण , डी–2059, इन्दिरा नगर, लखनऊ	निर्वाण मानसिक होम (बालक),	37
8	जगवन्ती देवी, ग्राम विकास समिति, 103/86–ए, महाजनी टोला, जीरा रोड, प्रयागराज ।	बाल गृह (बालक),	31
9	विकलांग कल्याण सेवा संस्थान, निकट फायर ब्रिगेड, पुराना नौगढ़, सिद्धार्थनगर।	बाल गृह (बालक),	15
2	बाल गृह (बालिका)		
1	गांधी सेवा निकेतन, 316, निराला नगर, रायबरेली	बाल गृह (बालिका)	35
2	स्व0 शिवपूजन पाठक उ0मा0 विद्यालय शिक्षा समिति, हसनपुर, सैदपुर, गाजीपुर	बाल गृह (बालिका)	30
3	पूर्ववासी ग्रामीण उत्थान विकास सेवा समिति, नरोइया(पण्डितपुर), छानबे, मीरजापुर	बाल गृह (बालिका)	16
4	राजसी डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च संस्थान, नुमाइस कैम्प, सहारनपुर	बाल गृह (बालिका)	23
5	ज्ञानोदय बाल एवं महिला कल्याण समिति, घूरहुपट्टी, मीरजापुर।	बाल गृह (बालिका)	39
6	दृष्टि सामाजिक संस्थान, लखनऊ	बाल गृह (बालिका),	113
7	निर्वाण , डी–2059, इन्दिरा नगर, लखनऊ	निर्वाण मानसिक होम (बालिका),	73
8	दया फाउन्डेशन, बी0–27/70 एन0एम0 दुर्गाकुण्ड, वाराणसी	अनचिता मानसिक संबल आश्र	110
9	अनुज शिक्षा एवं महिला उत्थान कल्याण समिति, ग्राम नसरुल्ला पो0 बिलारी, मुरादाबाद,	बाल गृह(बालिका),	21
3	बाल गृह(शिशु)		
1	दलित उत्थान विकास संस्थान, गीता भवन, रजी मोड़, बदायूं	बाल गृह(शिशु)	10
2	दृष्टि सामाजिक संस्थान, लखनऊ	बाल गृह(शिशु)	12
3	ग्रामीण विकास समिति, आजमगढ़	बाल गृह(शिशु)	16

FORMS

GFR 12-C

(See Rule 239)

FORM UTILIZATION CERTIFICATE

(For the Government Uttar Pradesh)

(Where expenditure incurred by Government bodies only)

Sl No.	Letter No. and Date	Amount (in Rs Lakh.)	
A	In year 2018-19 grant in aid release		
1	Letter No. 22 49/2015-CW-II date 25.05.2018	885.53	Certified that out of Rs.7643.64 Lakhs of grants sanctioned during the year 2018-19 in favour of Uttar Pradesh under the Ministry / Department Letter No. given in the margin and Nil on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 5247.81 Lakhs has been utilized for the purpose for which it was sanctioned and that the balance of Rs.2395.83 Lakhs remaining unutilized at the end of the month of March, 2019 .
2	Letter No. 22-49/2015-CW-II date 27.09.2018	885.53	
3	Letter No. CW-II/22/24-CW-II date 17.10.2018	462.30	
4	Letter No. CW-II/22/24-CW-II date 17.10.2018	3016.02	
	Letter No. CW-II/27/24-CW-II date 26.12.2018	2394.26	
	Total Amount (A)	7643.64	

2 - Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grants -in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised

1- B.M.8

2-B.M.13

(B.S.Niranjan)
Dy. Director

(Monis Ahmad Siddiqui)
Chief Account office

(C. Indhumathy)
Director

Integrated Child Protection Scheme- Uttar Pradesh

Expenditure Statement 2018-19(in Lakhs)(April, 2018 to 31 March, 2019)

Sl. No.	Component	Amount unutilized as on 31st mar 2018					Amount Released by GOI during 2018-19					Total amount available during 2018-19					Amount Utilized during 2018-19				
		Non Recurring	Recurring	Total	Central Share	State/ NGO Share	Non Recurring	Recurring	Total	Central Share	State/ NGO Share	Non Recurring	Recurring	Total	Central Share	State/ NGO Share	Non Recurring	Recurring	Total	Central Share	State/ NGO Share
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(A)	Service Delivery Structure																				
(i)	State Child Protection Society (SCPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.23	167.23	100.34	66.89	0.00	167.23	167.23	100.34	66.89	0.00	122.25	122.25	73.35	48.90
(ii)	District Child Protection Units (DCPU) in 75 districts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4113.88	4113.88	2468.32	1645.55	0.00	4113.88	4113.88	2468.32	1645.55	0.00	1653.33	1653.33	991.99	661.33
(iii)	State Adoption Resource Agency (SARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05	21.05	12.63	8.42	0.00	21.05	21.05	12.63	8.42	0.00	8.86	8.86	5.32	3.54
	Total (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4302.14	4302.14	2581.29	1720.86	0.00	4302.14	4302.14	2581.29	1720.86	0.00	1784.44	1784.44	1070.66	713.77
(B)	Care, Support and Rehabilitation Services																				
(i)	29 existing Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.74	402.74	241.64	161.10	0.00	402.74	402.74	241.64	161.10	0.00	371.72	371.72	223.03	148.69
	Total (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.74	402.74	241.64	161.10	0.00	402.74	402.74	241.64	161.10	0.00	371.72	371.72	223.03	148.69
(C)	Family based Non-institutional Care																				
(i)	5 existing Govt. run SAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	70.50	42.30	28.20	0.00	70.50	70.50	42.30	28.20	0.00	60.17	60.17	36.10	24.07
(ii)	7 existing NGO run SAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.01	107.01	64.21	42.80	0.00	107.01	107.01	64.21	42.80	0.00	104.85	104.85	62.91	41.94
	Total (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.51	177.51	106.51	71.00	0.00	177.51	177.51	106.51	71.00	0.00	165.02	165.02	99.01	66.01
(D)	Institutional Services																				
(i)	Recurring for 46 existing Govt. run homes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	2700.00	1620.00	1080.00	0.00	2700.00	2700.00	1620.00	1080.00	0.00	4570.49	4570.49	1923.61	2646.88
(ii)	Recurring for 04 existing Govt. for Specialised Homes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.36	229.36	137.62	91.74	0.00	229.36	229.36	137.62	91.74	0.00	307.52	307.52	13[illegible].62	169.90
(iii)	Non-recurring and Recurring grant for 16 Govt run observation homes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	661.30	952.30	571.38	380.92	291.00	661.30	952.30	571.38	380.92	291.00	661.30	952.30	571.38	380.92
(iv)	Non-recurring and recurring grant for 01 new Govt. run Specified Homes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.20	538.16	694.36	416.61	277.74	155.20	538.16	694.36	416.61	277.74	155.20	538.16	694.36	416.61	277.74
(v)	Recurring for 21 existing NGO run homes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.95	650.95	390.57	260.38	0.00	650.95	650.95	390.57	260.38	0.00	1099.21	649.23	389.53	259.70
(vi)	Recurring for 03 existing NGO run Specified Homes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.03	436.03	261.62	174.41	0.00	436.03	436.03	261.62	174.41	0.00	499.50	499.50	299.70	199.80
	Total (D)						446.20	5222.80	5669.00	3401.41	2267.57	446.20	5222.80	5669.00	3401.41	2267.57	446.20	7437.68	7884.00	3942.84	4730.69
(E)	Statutory Support Services																				
(i)	Child Welfare Committees-75 CWCs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	1620.00	567.00	1053.00	0.00	1620.00	1620.00	567.00	1053.00	0.00	2025.00	1079.50	353.93	671.97
(ii)	Juvenile Justice Boards-75 JJBs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	283.50	526.50	0.00	810.00	810.00	283.50	526.50	0.00	921.75	921.75	283.50	638.25
	Total (E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.00	2430.00	850.50	1579.50	0.00	2430.00	2430.00	850.50	1579.50	0.00	2946.75	2001.25	637.43	1310.22
(F)	Contingency Govt. Homes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.50	0.00	770.50	462.30	308.20	770.50	0.00	770.50	462.30	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.50	0.00	770.50	462.30	308.20	770.50	0.00	770.50	462.30	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grand Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1216.70	12535.19	13751.89	7643.65	6108.23	1216.70	12535.19	13751.89	7643.65	6108.23	446.20	13496.71	11952.51	5347.81	6605.69

नोट:- भारत सरकार द्वारा जारी गद्द एवं कुल योग में अन्तर है।

(B.S.Narayan)
Dy. Director

(Monis Ali Siddiqui)
Chief Account officer

GFR 19-A
Rule 212 (1)
Utilization Certificate

Sl No.	Letter No. and Date	Amount (in Rs Lakhs)	
A	In year 2017-18 grant in aid release		Certified that out of a total of Rs 4222.98 lakhs (Rs.fourty Two crore twenty two lakh ninety eight thousand only)(sum of Rs 254.00 Lakhs Grant for FY 2016-17 calculated as per PAB meeting held on 12.04.2017 , Rs 2138.31 lakhs on account of unspent balance of the previous Year 2015-17, Grant in Aid released in the year 2017-18 vide Letter No. 14-27/2009-CW-II Dt. 13.06.2017 of Rs 625.67 and vide Lt no. 14-27/2009-CW-II- Dt. 23.08.2017 of Rs 1205.00) Rs 4222.98 Lakhs has been utilised 31 March, 2018 during the financial year 2017-18.
	1 Letter No. 14-27/2009-CW-II date 13.06.2017	625.67	
	2 Letter No. 14-27/2009-CW-II date 23.08.2017	1205.00	
	Total Amount (A)	1830.67	
B	Letter No. 14-27/2009-CW-II date 23.08.2017 (Unspent amount available with State up to 31.03.2017)	2138.31	
	Letter No. 14-27/2009-CW-II date 23.08.2017 (Grant for FY 1015-17 calculated as per PAB meeting held on 12.04.2017)	254.00	
	Total Amount (B)	2392.31	
	Net Amount received in year 2017-18 (A+B)	4222.98	

2- Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grant in aid was sanctioned have been duly fulfilled and [illegible] is actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.

(Puneet Kumar Mishra)
Dy. Chief Probation officer

(Radhe Shyam)
Chief Account officer

(Dr. Alka Tandon Bhatnagar)
Director

Integrated Child Protection Scheme- Uttar Pradesh

Expenditure Statement 2017-18(in Lakhs)(April, 2017 to 31 March, 2018)

Rs. in Lakhs

Sl. No.	Component	Grant-in-aid sanctioned						Total Expenditure 31 March, 2018		
		Non Recurring	Recurring	Total	Central Share	State share	Ngo share	Central	State	Total
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
[A]	Service Delivery Structure									
[i]	State Child Protection Society [SCPS]	11.85	154.48	166.33	99.80	66.53	0.00	99.00	66.53	166.33
[ii]	Districts Child Protection Societies [DCPS]	0.00	3519.20	3519.20	2111.52	1407.68	0.00	1155.54	770.36	1925.90
[iii]	State Adoption Resource Agency [SARA]	3.35	14.70	18.05	10.83	7.22	0.00	10.63	14.57	25.20
	Total [A]*	15.20	3688.38	3703.58	2222.15	1481.43	0.00	1266.17	851.46	2117.63
[B]	Institutional Services									
[i]	Maintenance of Govt. run Homes(46 existing)(including 17 units of special homes)+ 48 New homes& 01 NGO special homes (F.Y.2016-17)	97.00	2811.20	2908.20	1744.92	1163.28	0.00	1744.92	4143.77	5888.69
[iii]	Maintenance of NGO run Homes(21 exising+96 new)	116.40	1115.59	1231.99	739.19	369.60	123.20	720.67	364.84	1094.51
	Total [B]*	213.40	3926.79	4140.19	2484.11	1532.88	123.20	2474.59	4508.61	6983.20
[C]	Non-institutional Care									
[i]	Govt. run SAAs(5 existing)	0.00	70.84	70.84	42.50	28.34	0.00	29.96	19.97	49.93
[ii]	NGO run SAAs (8 existing+ 04 new)	9.40	165.68	175.08	105.05	52.52	17.51	99.59	49.80	149.39
	Total [C]	9.40	236.52	245.92	147.55	80.86	17.51	129.55	69.77	199.32
[D]	Care, Support and Rehabilitation Service									
[i]	NGO Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas(21 existing)+ 02 new	65.65	416.41	482.06	289.24	144.62	48.20	289.24	243.23	532.47
	Total [D]	65.65	416.41	482.06	289.24	144.62	48.20	289.24	243.23	532.47
[E]	Statutory Support Services									
[i]	Child Welfare Committees-75 CWCs	0.00	810.00	810.00	283.50	526.50	0.00	283.50	529.64	813.14
[ii]	Juvenile Justice Boards-75 JJBs	0.00	630.00	630.00	220.50	409.50	0.00	220.50	526.32	746.82
	Total [E]	0.00	1440.00	1440.00	504.00	936.00	0.00	504.00	1055.96	1559.96
	Grand Total*	303.65	9708.10	10011.75	5647.05	4175.79	188.51	4663.55	6729.03	11392.58
	Total Received Central Grant				4222.98					

नोट:—1. पी0ए0वी0 की कार्यवृत्त में भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा 03 राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, आगरा, चित्रकूट, मीरजापुर, 01 राजकीय शिशु गृह, आगरा के नवीन निर्माण तथा भीम पार्क वाराणसी, एवं 03 राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, बरेली, मऊ, मेरठ के लिए द्वितीय किश्त के लिए धनराशि का अनुमोदन दिये जाने का उल्लेख किया गया, परन्तु धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी। केन्द्रांश की प्रत्याशा में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, आगरा, मीरजापुर तथा चित्रकूट को धनराशि दी जा चुकी है।

2. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी कुल धनराशि रू0 5647.05 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 4222.98 लाख ही अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अनुमोदित धनराशि(केन्द्रांश) के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रत्याशा में कतिपय घटकों में अधिक धनराशि व्यय की गयी।

(Puneet Kumar Mishra)
Dy. Chief Probation officer

(Radhe Shyam)
Chief Account officer

(Dr. Alka Tandon-Bhatnagar)
Director

नत्थी-घ

(देखिये नत्थी-ग के अतारांकित प्रश्न संख्या-82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84-85 पर)

उ0प्र0 में ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की वर्षवार स्थिति

वर्ष	ए0ई0एस0			पुष्ट जे0ई0		जे0ई0 रोग का प्रतिशत
	ग्रसित	मृतक	रोग मृत्युदर	पुष्ट जे0ई रोगी	मृतक	
2016	3911	641	16.39	442	74	11.27
2017	4724	655	13.87	693	93	14.67
2018	3077	248	8.06	329	30	10.69
2018 (18-07-2018)	1229	111	9.03	71	4	5.78
2019 (18-07-2019)	563	25	4.44	36	2	6.39

Situation of all disease in Uttar Pradesh

(Reporting from Calendar year)

S.No	Year	Malaria				Filaria			Kalazar		Dengue		Chikungunya	
		Total B/S Examination	Positive	PF	Death	Total B/S Collection	Disease	MF	Case	Death	Case	Death	Case	Death
1	2016	3062942	40787	156	0	133062	1774	160	107	0	15033	42	2558	0
2	2017	4669321	32342	159	0	140558	2111	249	115	0	3066	28	103	0
3	2018	5312368	86486	22134	0	139525	3740	350	120	0	3829	4	56	0
4	1Jan 2018 to June 2018	1929556	6232	19	0	66413	1570	93	28	0	148	0	45	0
5	up to June 2019	2023354	15101	168	0	64718	1624	133	16	0	72	1	5	0

02/7/2019

02/7/19

2/7/19

नत्थी-ङ

(देखिये नत्थी-ग के अतारांकित प्रश्न संख्या-87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक संयुक्त चिकित्सालय, शाहजहांपुर में वर्तमान में कार्यरत चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं नियुक्ति की तिथि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	पद नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	डा0 अनुराग पराशर	ई0एम0ओ0	13/10/14
2.	डा0 राहुल यादव	ई0एम0ओ0	31/12/14
3.	डा0 मेराज आलम	ई0एम0ओ0	09/07/15
4.	डा0 वाई0पी0गौतम	आर्थोपैडिक सर्जन	11/12/06
5.	डा0 ओ0पी0गौतम	एनेस्थेटिस्ट	26/08/06
6.	डा0 वीरेन्द्र कुमार	ई0एम0ओ0	27/08/09
7.	डा0 शबाहत हुसैन	पैथालॉजिस्ट	05/04/10
8.	डा0 महेन्द्र कुमार	सर्जन	31/03/03
9.	डा0 श्रीपाल	त्वचा रोग विशेषज्ञ	25/06/01
10.	डा0 के0पी0सिंह	बाल रोग विशेषज्ञ	30/05/91
11.	डा0 ए0यू0पी0सिन्हा	बाल रोग विशेषज्ञ	01/06/91
12.	डा0 ए0के0सिंह	बाल रोग विशेषज्ञ	28/05/94
13.	डा0 के0सी0वर्मा	कार्डियोलॉजिस्ट	25/05/91
14.	डा0 सुरेश कुमार	एनेस्थेटिस्ट	25/09/92
15.	डा0 नैपाल सिंह	एनेस्थेटिस्ट	13/09/95
16.	डा0 सरोज कुमार	आर्थोपैडिक सर्जन	16/02/97
17.	डा0 ए0पी0आर्य	नेत्र सर्जन	08/11/90
18.	डा0 अनिल कुमार	वरिष्ठ परामर्शदाता	07/02/97
19.	डा0 अलका पाण्डेय	डैंटल सर्जन	28/02/95
20.	श्री ए0के0 त्रिपाठी	चीफ फार्मासिस्ट	6/02/84
21.	श्री बाबू सचान	चीफ फार्मासिस्ट	11/08/97
22.	श्री राजेश कुमार	चीफ फार्मासिस्ट	14/08/82
23.	श्री सुभाष चन्द्र	फार्मासिस्ट	24/01/95
24.	श्री राम बिलास	फार्मासिस्ट	27/01/95
25.	श्री चन्द्र किशोर वर्मा	फार्मासिस्ट	31/01/95
26.	श्री जयदीप बंसल	फार्मासिस्ट	20/09/97

27.	श्रीमती सरिता गुप्ता	फार्मासिस्ट	24/10/97
28.	श्री मो0 अकील	फार्मासिस्ट	05/12/12
29.	श्री लईक अहमद	फार्मासिस्ट	07/12/12
30.	श्री संदीप गुप्ता	फार्मासिस्ट	28/05/13
31.	श्री चन्द्रशेखर विश्वकर्मा	फार्मासिस्ट	06/12/12
32.	श्री राजेन्द्र कुमार	फार्मासिस्ट	02/05/13
33.	श्री आदित्य परमार	फार्मासिस्ट	30/06/14
34.	श्री सुरेश कुमार	फार्मासिस्ट	08/05/13
35.	श्री नीलमणि चौधरी	फार्मासिस्ट	30/01/15
36.	श्री आशीष कुमार सिंह	फार्मासिस्ट	25/10/16
37.	श्री अशोक कुमार	डेंटल हाईजिस्ट	11/06/03
38.	श्री मो0 कलीम	लैब टेक्नीशियन	16/11/11
39.	श्री सतेन्द्र कुमार	लैब टेक्नीशियन	18/08/08
40.	श्री राजेश कुमार वर्मा	लैब टेक्नीशियन	07/08/08
41.	श्री रजनीश कुमार	लैब टेक्नीशियन	05/08/08
42.	श्री मुसाहेब	लैब टेक्नीशियन	11/08/08
43.	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	लैब टेक्नीशियन	05/08/08
44.	श्री रामू नायक	लैब टेक्नीशियन	08/08/91
45.	श्री शिशुपाल सिंह	लैब टेक्नीशियन	01/12/88
46.	श्री अंकित सक्सेना	ई0सी0जी0 टेक्नी०	09/02/10
47.	श्री अमरजीत सिंह	ई0सी0जी0 टेक्नी०	30/10/09
48.	श्री यज्ञेश्वर प्रसाद शुक्ला	एक्स-रे टेक्नी०	03/02/89
49.	श्री अनूप कुमार मिश्रा	एक्स-रे टेक्नी०	23/01/96
50.	श्री राघवेन्द्र पाल	एक्स-रे टेक्नी०	28/05/16
51.	श्री रोहित चाल्स	फिजियोथिरेपिस्ट	01/02/16
52.	श्रीमती एडना सिंह	सिस्टर	07/01/83
53.	श्रीमती मीरा देवी	सिस्टर	03/08/87
54.	श्रीमती रामतारा	सिस्टर	20/02/91
55.	श्रीमती एडलिन इमैनुवल	सिस्टर	29/01/86
56.	श्रीमती सरला देवी	सिस्टर	17/06/89
57.	श्री सन्देश कुमार	सिस्टर	07/09/89
58.	श्रीमती गीता देवी	उपचारिका	21/03/00
59.	श्रीमती पवन कुमारी	उपचारिका	22/03/00
60.	श्रीमती सत्यमा सिंह	उपचारिका	20/09/06
61.	श्रीमती पूनम पाल	उपचारिका	20/09/06
62.	श्रीमती रेनू देवी मित्रा	उपचारिका	21/09/06
63.	श्रीमती अनुपमा	उपचारिका	20/09/06

64.	श्रीमती गिराकौल	उपचारिका	04/03/08
65.	श्रीमती रोजवीना दास	उपचारिका	10/03/08
66.	श्रीमती स्वाती यादव	उपचारिका	25/02/08
67.	श्री ललित मोहन यादव	उपचारिका	01/03/08
68.	श्रीमती सपना परमार	उपचारिका	28/02/08
69.	श्रीमती रेखा राठौर	उपचारिका	11/03/08
70.	श्रीमती निधि सिंह	उपचारिका	01/01/11
71.	श्रीमती सुमन मिल्टन	उपचारिका	03/01/11
72.	श्रीमती अमेलिया पूर्णिमा सिंह	उपचारिका	03/01/11
73.	श्रीमती पोर्शिया सुमन सुख	उपचारिका	03/01/11
74.	श्रीमती नीलम जे0 मैसी	उपचारिका	03/01/11
75.	श्रीमती एलिसा आर0 सिंह	उपचारिका	03/01/11
76.	श्रीमती मन्जूजान राम	उपचारिका	10/01/11
77.	श्रीमती रीना देवी	उपचारिका	06/04/11
78.	श्रीमती आशिया खातून	उपचारिका	07/04/11
79.	श्रीमती एल्वीना जॉन	उपचारिका	04/01/11
80.	श्री ग्लैडिस सिंह	उपचारिका	27/02/08
81.	श्री नीति मैसी	उपचारिका	16/02/08
82.	श्री प्रियंका एस0चॉद	उपचारिका	29/02/08
83.	श्री राकेश चन्द्र	वरिष्ठ सहायक	29/10/94
84.	श्रीमती सुषमा गुप्ता	वरिष्ठ सहायक	23/06/97
85.	श्री अपूर्व दीक्षित	कनिष्ठ सहायक	16/07/08
86.	श्री संजय गुप्ता	कनिष्ठ सहायक	04/06/18
87.	श्री सन्तोष कुमार शर्मा	चतुर्थ श्रेणी	01/03/86
88.	श्री ओम प्रकाश कश्यप	चतुर्थ श्रेणी	01/03/88
89.	श्री राजाराम	चतुर्थ श्रेणी	16/04/81
90.	श्री ओम प्रकाश यादव	चतुर्थ श्रेणी	03/05/88
91.	श्री विजय मिश्रा	चतुर्थ श्रेणी	22/12/87
92.	श्री सेवाराम	चतुर्थ श्रेणी	29/02/96
93.	श्री सियाराम त्रिवेदी	चतुर्थ श्रेणी	12/03/84
94.	श्री प्रेम कुमार	चतुर्थ श्रेणी	29/02/96
95.	श्री बाबूराम	चतुर्थ श्रेणी	28/06/03
96.	श्री राम बाबू	चतुर्थ श्रेणी	28/06/03
97.	श्रीमती श्याम प्रभाकर	चतुर्थ श्रेणी	28/06/16
98.	श्री सर्वेश कुमार	चतुर्थ श्रेणी	29/02/96
99.	श्री प्रभाकर	चतुर्थ श्रेणी	29/02/96
100.	श्री मेहराज	चतुर्थ श्रेणी	29/02/96

101.	श्री मुन्ना लाल	चतुर्थ श्रेणी	19/07/96
102.	श्री अशोक कुमार	चतुर्थ श्रेणी	28/01/00
103.	श्री रवीन्द्र कुमार	चतुर्थ श्रेणी	09/02/05
104.	श्री मोहित गुप्ता	चतुर्थ श्रेणी	28/06/03
105.	श्री रियाज अहमद	चतुर्थ श्रेणी	30/06/03
106.	श्री वीरेश कुमार	चतुर्थ श्रेणी	30/06/03
107.	श्रीमती सरला देवी	चतुर्थ श्रेणी	24/11/07
108.	श्रीमती सावित्री देवी	चतुर्थ श्रेणी	10/12/08
109.	श्रीमती शाहीन	चतुर्थ श्रेणी	05/08/96
110.	श्रीमती पुष्पा देवी	चतुर्थ श्रेणी	09/12/17
111.	श्री रामचन्द्र	चतुर्थ श्रेणी	05/06/79
112.	श्री श्रीराम	चतुर्थ श्रेणी	16/07/87
113.	श्री धनीराम	चतुर्थ श्रेणी	02/12/95
114.	श्री मुन्ना लाल	चतुर्थ श्रेणी	12/03/87
115.	श्री रामनिवास	चतुर्थ श्रेणी	03/11/93
116.	श्री रामऔतार	चतुर्थ श्रेणी	29/02/96
117.	श्री नन्हे	चतुर्थ श्रेणी	29/02/96
118.	श्री सुआपाल	चतुर्थ श्रेणी	01/10/07
119.	श्रीमती वीरादेवी	चतुर्थ श्रेणी	04/11/95
120.	श्रीमती रानी	चतुर्थ श्रेणी	29/12/98
121.	श्री मुजीब खान	चतुर्थ श्रेणी	01/08/88
122.	श्री शबाव अली	चतुर्थ श्रेणी	25/07/07
123.	श्री सचिन कुमार	चतुर्थ श्रेणी	29/04/17

नत्थी-च

(देखिये नत्थी-ग के अतारांकित प्रश्न संख्या-108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97-98 पर)

पोस्ट-मैट्रिक

वर्ष	स्वीकृति पत्र सं0 व दिनांक	शासनादेश जिससे आवंटन किया गया	प्राशासनिक धनराशि (रूपये में)
2008-09	5/18/08-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 16-06-2008	अनुपलब्ध	194000
2009-10	5/37/2009-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 15-01-2010	जी0आई0-20/52-1-2010-1(140)/07 दिनांक 23-02-2010	3188000
	5/37/2009-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 24-05-2010	जी0आई0-203/52-1-2010-1(140)/07 दिनांक 30-07-2010	800000
2010-11	5/13/2010-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 20-10-2010	जी0आई0-348/52-1-2010-1(140)/07 दिनांक 16-11-2010	3226000
	5/13/2010-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 09-03-2011	जी0आई0-185/52-1-2011-1(140)/07 दिनांक 15-04-2011	1658861
2011-12	5/10/2011-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 18-11-2011	संख्या 4348/52-1-2012-1(140)/07 दिनांक 10-01-2012	3019796
	5/10/2011-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 02-12-2011	संख्या 3492/52-1-2012-1(140)/07 दिनांक 02-01-2012	9432770
	5/10/2011-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 28-02-2012	संख्या 1065/52-1-2012-1(140)/07 दिनांक 10-05-2012	104000
2012-13	संख्या-5/22/2012-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 08-01-2013	जी0आई0-165/52-1-2012-1(140)/07 दिनांक 13-08-2012	10232137
	संख्या-5/22/2012-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 22-03-2013 अवमुक्त धनराशि 144966105 धन की कमी के कारण	जी0आई0-119/52-1-2013-1(140)/07 दिनांक 18-04-2013	12206100
2013-14	संख्या-5/10/2013-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 29-11-2013	जी0आई0-483/52-1-2013-1(140)/07 दिनांक 20-12-2013	1261237
2014-15	संख्या-5/2/2014-एस0एस0 दिनांक 19-03-2015	शासन स्तर से आवंटित नहीं।	5000000
2015-16	संख्या-5/36/2015-एस0एस0 दिनांक 31-03-2016	संख्या-भा0स0-39/52-3-2016-1(99)/2007 दिनांक 30-05-2016	9117000
			59439901

वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-2019 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार के स्तर से प्रशासनिक व्यय मद में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

लक्ष्मी नारायण चौधरी
मंत्री,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ।

प्री-मैट्रिक

वर्ष	स्वीकृति पत्र संख्या व दिनांक	शासनादेश जिससे आवंटन किया गया	प्राशासनिक धनराशि (रूपये में)
2008-09			
2009-10	11/30/2009-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 28.10.2009	सख्या-3918/52-1-2010-1(137)/07 दिनांक 06.01.2010	2665638
	11/30/2009-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 28.10.2009	सख्या-3919/52-1-2010-1(137)/07 दिनांक 06.01.2010	888546
2010-11	11/9/2010-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 12.11.2010	सख्या-जी0आई0-373/52-1-2010-1(137)/08 टी0सी0-1 दिनांक 20.12.2010	6262620
2011-12	11/1/2011-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 23.02.2012	सख्या-1817/52-1-2012-1(137) /2008 टी0सी0-1 दिनांक30.06.2012	6647954
	11/1/2011-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 29.02.2012	जी0आई0-56/52-1-2012-1(137) /08 टी0सी0 दिनांक 31.03.2012	2561790
	11/1/2011-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 14.12.2011	संख्या-513/52-1-2012-1(137) /2008 टी0सी0 दिनांक 25.03.2012	2627162
2012-13	11/8/2012-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 11.12.2012	जी0आई0-370/52-1-2012-1(137) /08 टी0सी0-1 दिनांक 10.01.2013	13107114
	11/8/2012-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 24.12.2012	जी0आई0-386/52-1-2012-1(137) /08 टी0सी0-1 दिनांक 24.02.2013	4418316
	11/8/2012-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 13.02.2013	जी0आई0-51/52-1-2011-1(137) /08 टी0सी0-1 दिनांक 26.02.2013	463792
	11/8/2012-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 20.02.2013	जी0आई0-78/52-1-2013-1(137) /08 टी0सी0-1 दिनांक 01.03.2013	2849129
2013-14	11/17/2013-पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 30.10.2013	जी0आई0-464/52-1-2013-1(137) /08 टी0सी0-1 दिनांक 02.12.2013	20673688
2014-15	11/3/2014-एस0एस0 दिनांक 02.12.2014	भा0सा0/38/52-3-2015-सा(39)/14 दिनांक 05.09.2014	8000000
			71165749

वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रशासनिक व्यय मद में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

लक्ष्मी नारायण चौधरी
मंत्री,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग।

मेरिट-कम-मीन्स

वर्ष	स्वीकृति पत्र संख्या व दिनांक	शासनादेश जिससे आवंटन किया गया	प्राशासनिक धनराशि (रूपये में)
2007-08	1/34/2007/पीपी-1, दिनांक 15.03.2008	संख्या-जी0आई0-21/52-01-2008-1(99)/2007, दिनांक 27.03.2008	665176
2008-09	1/34/2008/पीपी-1/(एफ), दिनांक 13.10.2009	संख्या-जी0आई0-47/52-01-2009-1(99)/07टी0सी0-II, दिनांक 31.03.2009	94824
2009-10	1/34/2009/आईएम/(एफ), दिनांक 13.10.2009	संख्या-जी0आई0-291/52-01-2009 (99)/07टी0सी0-II, दिनांक 07.12.2009	510000
	1/34/2009/आईएम/(एफ/आर), दिनांक 22.02.2010	संख्या-जी0आई0-89/52-01-2009 (99)/07टी0सी0-II, दिनांक 18.03.2010	200000
2010-11	1/34/2010/आईएम(आर), दिनांक 22.03.2011	संख्या-जी0आई0-161/52-01-2011 (99)/07टी0सी0, दिनांक 15.04.2011	60000
	1/34/2010/आईएम(आर/एफ), दिनांक 05.10.2010	संख्या-जी0आई0-330/52-01-2009-(99)/07टी0सी0-II, दिनांक 15.11.2010	810000
	1/34/2010/आईएम(आर/एफ), दिनांक 27.12.2010	संख्या-271/52-01-2011-1(99)/07टी0सी0-II, दिनांक 25.02.2011	170000
2011-12	1/34/2011/आईएम(आर/एफ), दिनांक 14.12.2011	संख्या–जी0आई0-608/52-01-2011-1(99)/07, दिनांक 13.03.2012	1170000
2012-13	संख्या-1/34/2012/आईएम/ (आर/एफ), दिनांक 14.12.2012	संख्या–जी0आई0-379/52-01-2012-1(99)/07, दिनांक 08.02.2013	6375000
2013-14	एमओएमए'एस पत्र सं0-1/34/2013/एस0एस0/(आर/एफ), दिनांक 25.10.2013 (अवमुक्त 2013-14)	संख्या–जी0आई0-411/52-01-2013-1(99)/07, दिनांक 03.12.2013	1310142
2014-15	एमओएमए'एस पत्र सं0-1/34/2014/एस0एस0 दिनांक 19.03.2015 (अवमुक्त 2014-15)	संख्या–भा0सा0-53/52-03-2015-1(137)/2007, दिनांक 11.05.2015	7500000
2015-16	एमओएमए'एस पत्र सं0-1/37/2015-एस0एस0 दिनांक 31.03.2016 (अवमुक्त 2015-16)	संख्या–भा0सा0-39/52-03-2016-1(99)/2007, दिनांक 30.05.2016	5371920
			24237062

वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रशासनिक व्यय मद में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

लक्ष्मी नारायण चौधरी
मंत्री,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग।

नत्थी-छ

(देखिये नत्थी-ग के अतारांकित प्रश्न संख्या-133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 112 पर)

UTTAR PRADESH MEDICAL SUPPLIES CORPORATION LTD.
Regd. Office: SUDA Bhawan, 7/23, Sector-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010
District Combined Hospital Shikohabad, Firozabad

Sl No.	PO Number	Drug Name	PO Order Date	Ordered Qty	Supplied Qty	Supply Date
1	10281910733	ACECLOFINAC : 100 mg (Tab)	01-Jun-19	30000	30000	14-Jul-19
2	10281904561	ACECLOFINAC : 100 mg (Tab)	13-Mar-19	20000	20000	11-Jun-19
3	10281870582	ACETAZOLAMIDE : 250 mg (Tab)	29-Dec-18	950	950	04-Mar-19
4	10281905068	ACETAZOLAMIDE : 250 mg (Tab)	14-Mar-19	600	600	01-Jun-19
5	10281900467	ACYCLOVIR : 200 mg (Tab)	05-Jan-19	2700	2700	03-Apr-19
6	10281905073	ACYCLOVIR : 200 mg (Tab)	14-Mar-19	2700	2700	25-Jun-19
7	10281910805	ACYCLOVIR : 200 mg (Tab)	04-Jun-19	5000	0	.
8	10281906046	ADRENALINE BI TARTRATE : IP - 1 mg/ml : 1ml (Inj)	29-Mar-19	200	200	04-Jun-19
9	10281863550	ADRENALINE BI TARTRATE : IP - 1 mg/ml : 1ml (Inj)	16-Nov-18	100	100	27-Feb-19
10	10281905343	ALBENDAZOLE : 200 mg/5 ml (Suspension)	19-Mar-19	500	500	12-Jun-19
11	10281910638	ALBENDAZOLE : 200 mg/5 ml (Suspension)	31-May-19	1000	0	.
12	10281862118	ALPRAZOLAM : 0.5 mg (Tab)	03-Nov-18	4500	4500	27-Dec-18
13	10281910724	ALPRAZOLAM : 0.5 mg (Tab)	01-Jun-19	1000	0	.
14	10281870291	AMIKACIN SULPHATE : - 100 mg/2ml : 2ml (Inj)	24-Dec-18	1200	1200	03-Apr-19
15	10281905071	AMIKACIN SULPHATE : - 100 mg/2ml : 2ml (Inj)	14-Mar-19	1200	1200	06-Jun-19
16	10281904585	AMIKACIN SULPHATE : IP - 500 mg/2ml : 2ml (Inj)	13-Mar-19	3400	3400	25-May-19
17	10281870681	AMIKACIN SULPHATE : IP - 500 mg/2ml : 2ml (Inj)	29-Dec-18	3400	3400	25-Feb-19
18	10281910097	AMIKACIN SULPHATE : IP - 500 mg/2ml : 2ml (Inj)	29-May-19	2000	0	.
19	10281904587	AMINOPHYLLINE DIHYDRATE : IP - 25 mg/ml : 10ml (Inj)	13-Mar-19	500	500	29-May-19
20	10281863686	AMINOPHYLLINE DIHYDRATE : IP - 25 mg/ml : 10ml (Inj)	16-Nov-18	400	400	01-Feb-19
21	10281906296	AMIODARONE HYDROCHLORIDE :- 50 mg./ml. : 3ml (Inj)	06-Apr-19	30	0	.
22	10281862486	AMITRIPTYLINE HCL : 25mg (Tab)	03-Nov-18	4500	4500	30-Jan-19
23	10281904584	AMLODIPINE BESYLATE : 5 mg (Tab)	13-Mar-19	19300	0	.
24	10281862179	AMLODIPINE BESYLATE : 5 mg (Tab)	03-Nov-18	5000	5000	27-Dec-18
25	10281909905	AMLODIPINE BESYLATE : 5 mg (Tab)	29-May-19	5000	0	.
26	10281905634	Amoxycillin Trihydrate DT Tablet Scored 250mg	23-Mar-19	25000	25000	19-Jun-19
27	10281901342	Amoxycillin Trihydrate DT Tablet Scored 250mg	19-Jan-19	22600	22600	17-Apr-19
28	10281910149	AMOXYCILLIN TRIHYDRATE EQUIVALENT TO AMOXYCILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM EQUIVALENT TO CLAVULANIC ACID : 500 mg + 125 mg (Tab)	28-May-19	4000	4000	20-Jun-19
29	10281863015	AMOXYCILLIN TRIHYDRATE EQUIVALENT TO AMOXYCILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM EQUIVALENT TO CLAVULANIC ACID : 500 mg + 125 mg (Tab)	15-Nov-18	18000	18000	18-Dec-18
30	10281905625	AMOXYCILLIN TRIHYDRATE EQUIVALENT TO AMOXYCILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM EQUIVALENT TO CLAVULANIC ACID : 500 mg + 125 mg (Tab)	23-Mar-19	10000	9996	16-Apr-19
31	10281906059	AMOXYCILLINE TRIHYDRATE WITH CLAVULANATE : 250 mg+125 mg (Tab)	29-Mar-19	5000	4998	14-May-19
32	10281865319	AMOXYCILLINE TRIHYDRATE WITH CLAVULANATE : 250 mg+125 mg (Tab)	22-Nov-18	9000	9000	18-Dec-18
33	10281861813	AMPICILLIN SODIUM : IP - 500 mg : Dry powder (Inj)	03-Nov-18	3160	3160	29-Dec-18
34	10281905074	AMPICILLIN SODIUM : IP - 500 mg : Dry powder (Inj)	14-Mar-19	3000	3000	25-May-19
35	10281906053	ANTI SERUM POLYVALENT SNAKE VENOM ASV : USP - 10 ml : LYOPHILIZED POWDER WITH DILUENT (Inj)	29-Mar-19	30	30	20-May-19
36	10281862414	ANTI SERUM POLYVALENT SNAKE VENOM ASV : USP - 10 ml : LYOPHILIZED POWDER WITH DILUENT (Inj)	03-Nov-18	50	50	29-Dec-18
37	10281905339	ARTEETHER : IP - 75 mg/ml : 2ml (Inj)	19-Mar-19	300	300	04-Jun-19
38	10281863565	ARTEETHER : IP - 75 mg/ml : 2ml (Inj)	16-Nov-18	100	100	21-Jan-19
39	10281905455	ARTESUNATE : IP - 60 mg : Dry powder (Inj)	23-Mar-19	2000	2000	14-May-19
40	10281870678	ARTESUNATE : IP - 60 mg : Dry powder (Inj)	29-Dec-18	4790	4790	10-Jan-19
41	10281905435	ASCORBIC ACID : 100 mg (Tab)	23-Mar-19	10000	10000	17-Jun-19
42	10281910487	Aspirin Gastro Resistant Tab IP 75 mg	01-Jun-19	6000	0	.
43	10281903344	Aspirin Gastro Resistant Tab IP 75 mg	27-Feb-19	39200	39200	13-May-19
44	10281909906	ATENOLOL : 50 mg (Tab)	29-May-19	3000	0	.
45	10281906305	ATORVASTATIN CALCIUM : 10 mg (Tab)	06-Apr-19	5000	5000	21-Jun-19
46	10281905651	ATROPINE SULPHATE : 1.0% w/w atropine sulphate (-)	26-Mar-19	300	300	04-Jun-19
47	10281904591	ATROPINE SULPHATE : IP - 0.6 mg/ml : 1ml (Inj)	13-Mar-19	500	500	04-Jun-19
48	10281863468	ATROPINE SULPHATE : IP - 0.6 mg/ml : 1ml (Inj)	13-Nov-18	900	900	01-Feb-19
49	10281910678	AZITHROMYCIN : 500 mg (Tab)	01-Jun-19	10000	10000	05-Jul-19

50	10281910193	AZITHROMYCIN Suspension 100mg/5ml (-)	28-May-19	5000	0	.
51	10281906087	B COMPLEX : VITAMIN B1 5 MG THIAMINE HYDROCHLORIDE VITAMIN B2 5MG RIBOFLAVIN VITAMIN B6 2MG PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE VITAMIN B3 NICOTINAMIDE 50 MG VITAMIN B5 CALCIUM PANTOTHENATE 5 MG Tablet (Tab)	29-Mar-19	100000	100000	03-Jun-19
52	10281901466	B COMPLEX : VITAMIN B1 5 MG THIAMINE HYDROCHLORIDE VITAMIN B2 5MG RIBOFLAVIN VITAMIN B6 2MG PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE VITAMIN B3 NICOTINAMIDE 50 MG VITAMIN B5 CALCIUM PANTOTHENATE 5 MG Tablet (Tab)	24-Jan-19	200000	200000	01-Mar-19
53	10281901330	BECLOMETHASONE DIPROPIONATE AEROSOL : 200 Mt Dose 200 mcg/meterd dose (Inhaler)	18-Jan-19	500	500	05-Mar-19
54	10281870674	Betamethasone :0.5mg (Tab)	29-Dec-18	280	280	20-Feb-19
55	10281906313	Betamethasone :0.5mg (Tab)	12-Apr-19	6000	0	.
56	10281905439	BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE : BP - 4 mg/ml : 1ml (Inj)	23-Mar-19	500	500	29-May-19
57	10281870682	BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE : BP - 4 mg/ml : 1ml (Inj)	29-Dec-18	500	500	25-Feb-19
58	10281864122	BISACODYL ENTERIC COATED : 5 mg (Tab)	16-Nov-18	1400	1400	14-Jan-19
59	10281905309	BISACODYL ENTERIC COATED : 5 mg (Tab)	17-Mar-19	5000	5000	16-Jul-19
60	10281901752	BUDESONIDE MDI 100mcg Inhaler	25-Jan-19	1000	1000	05-Mar-19
61	10281905443	BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE : IP - 0.5%W/V : 20ml (Inj)	23-Mar-19	100	100	30-May-19
62	10281863475	BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE : IP - 0.5%W/V : 20ml (Inj)	13-Nov-18	60	60	22-Jan-19
63	10281911137	CALAMINE : CALAMINE 150G ZINC OXIDE 50G BENTONITE 30G SODIUM CITRATE 5G LIQUIFIED PHENOL 5ML GLYCERINE 50ML AQUA 1L (Lotion)	06-Jun-19	1000	1000	13-Jul-19
64	10281905996	CALAMINE : CALAMINE 150G ZINC OXIDE 50G BENTONITE 30G SODIUM CITRATE 5G LIQUIFIED PHENOL 5ML GLYCERINE 50ML AQUA 1L (Lotion)	29-Mar-19	300	300	02-May-19
65	10281861968	CALAMINE : CALAMINE 150G ZINC OXIDE 50G BENTONITE 30G SODIUM CITRATE 5G LIQUIFIED PHENOL 5ML GLYCERINE 50ML AQUA 1L (Lotion)	03-Nov-18	200	200	29-Dec-18
66	10281906195	CALCIUM LACTATE : 300 mg (Tab)	02-Apr-19	10000	0	.
67	10281901163	CALCIUM LACTATE : 300 mg (Tab)	15-Jan-19	3000	3000	27-Mar-19
68	10281910755	CARBOPROST TROMETHAMINE : IP - 250 mcg/ml : 1ml (inj)	01-Jun-19	500	0	.
69	10281905660	CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM : 0.5% W/v (-)	26-Mar-19	200	200	04-Jun-19
70	10281910531	CEFOTAXIME SODIUM : IP - 1 gm : dry powder (Inj) in vial	30-May-19	5000	0	.
71	10281905267	CEFOTAXIME SODIUM : IP - 250 mg : dry powder (Inj)	16-Mar-19	2000	2000	08-Jun-19
72	10281870282	CEFOTAXIME SODIUM : IP - 250 mg : dry powder (Inj)	24-Dec-18	5000	5000	05-Feb-19
73	10281906065	CEFTRIAXONE SODIUM : IP - 1 gm : dry powder (Inj)	29-Mar-19	5000	5000	04-May-19
74	10281862350	CEFTRIAXONE SODIUM : IP - 1 gm : dry powder (Inj)	03-Nov-18	2700	2700	17-Dec-18
75	10281909964	CEFTRIAXONE SODIUM : IP - 1 gm : dry powder (Inj)	28-May-19	5000	5000	03-Jul-19
76	10281904634	CEFTRIAXONE SODIUM : IP - 250mg : dry powder (Inj)	13-Mar-19	400	400	30-May-19
77	10281861815	CEFTRIAXONE SODIUM : IP - 250mg : dry powder (Inj)	03-Nov-18	670	670	16-Jan-19
78	10281910084	CEPHALEXIN Dry Syrup 125mg/5ml (-)	29-May-19	5000	0	.
79	10281862580	CEPHALEXIN : 250 mg (Caps)	03-Nov-18	22550	22550	18-Dec-18
80	10281910686	CEPHALEXIN : 250 mg (Caps)	01-Jun-19	25000	0	.
81	10281906023	CEPHALEXIN : 250 mg (Caps)	29-Mar-19	30000	30000	20-May-19
82	10281910689	CEPHALEXIN : 250 mg (Caps)	01-Jun-19	25000	0	.
83	10281909949	CETIRIZINC DIHYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	28-May-19	50000	0	.
84	10281901742	CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	25-Jan-19	100000	100000	30-May-19
85	10281904484	CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	11-Mar-19	121900	121900	23-May-19
86	10281870680	Chloramphenicol 5% w/v Benzocaine 1%w/v : 5% w/v+ 1% w/v Ear Drop 5ML	29-Dec-18	1660	1660	25-Feb-19
87	10281905342	Chloramphenicol 5% w/v Benzocaine 1%w/v : 5% w/v+ 1% w/v Ear Drop 5ML	19-Mar-19	1500	1500	24-May-19
88	10281870685	CHLORPHENIRAMINE MALEATE : 2mg/5ML (Syr)	29-Dec-18	7160	7160	02-Mar-19
89	10281910191	CHLORPHENIRAMINE MALEATE : 2mg/5ML (Syr)	01-Jun-19	3000	0	.
90	10281906301	CHLORPHENIRAMINE MALEATE : 2mg/5ML (Syr)	06-Apr-19	10000	10000	03-Jul-19
91	10281906063	CHLORPHENIRAMINE MALEATE : 4 mg (Tab)	29-Mar-19	50000	50000	11-Jun-19
92	10281906115	CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE : 0.3% w/v Eye Drop	29-Mar-19	5000	5000	25-May-19
93	10281862069	CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE : 0.3% w/v Eye Drop	03-Nov-18	8900	8900	29-Dec-18
94	10281904481	CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE : 500 mg (Tab)	11-Mar-19	60400	60400	25-Jun-19

95	10281862581	CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE : 500 mg (Tab)	03-Nov-18	45100	45100	18-Dec-18
96	10281909915	CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE : 500 mg (Tab)	28-May-19	300000	0	.
97	10281910151	CLOPIDOGREL : 75mg (Tab)	29-May-19	1000	1000	28-Jun-19
98	10281906061	CLOPIDOGREL : 75mg (Tab)	29-Mar-19	2000	0	.
99	10281870676	CLOTRIMAZOLE VAGINAL : 200 mg (WITH APPLICATOR) (Tab)	29-Dec-18	1638	0	.
100	10281910738	CLOTRIMAZOLE VAGINAL : 200 mg (WITH APPLICATOR) (Tab)	01-Jun-19	2500	2499	17-Jul-19
101	10281906055	CLOTRIMAZOLE VAGINAL : 200 mg (WITH APPLICATOR) (Tab)	29-Mar-19	2000	1998	19-Jun-19
102	10281906020	CLOXACILLIN SODIUM : 250 mg (Caps)	29-Mar-19	1000	1000	25-Jun-19
103	10281901468	CLOXACILLIN SODIUM : 250 mg (Caps)	21-Jan-19	500	500	15-Apr-19
104	10281906062	DANAZOL : 100 mg (Caps)	29-Mar-19	200	200	28-May-19
105	10281906300	DEXAMETHASONE : 0.5mg (Tab)	06-Apr-19	25000	25000	21-Jun-19
106	10281870608	DEXAMETHASONE : 0.5mg (Tab)	29-Dec-18	26975	26975	05-Mar-19
107	10281910871	DEXAMETHASONE : 0.5mg (Tab)	03-Jun-19	100000	0	.
108	10281909866	DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE : IP - 4 mg/ml : 2ml (Inj)	25-May-19	20000	20000	03-Jul-19
109	10281904559	DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE : IP - 4 mg/ml : 2ml (Inj)	13-Mar-19	4500	4500	02-May-19
110	10281910647	DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE : IP - 4 mg/ml : 2ml (Inj)	31-May-19	10000	0	.
111	10281862080	DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE : IP - 4 mg/ml : 2ml (Inj)	03-Nov-18	3400	3400	02-Jan-19
112	10281865392	DEXTROSE : IP - 10% w/v : 500ml (Inj)	26-Nov-18	100	100	07-Dec-18
113	10281864885	DEXTROSE : IP - 10% w/v : 500ml (Inj)	20-Nov-18	100	100	29-Dec-18
114	10281902261	DEXTROSE : IP - 10% w/v : 500ml (Inj)	06-Feb-19	700	700	21-Mar-19
115	10281902264	DEXTROSE : IP - 10% w/v : 500ml (Inj)	06-Feb-19	500	500	22-Feb-19
116	10281863018	DEXTROSE : IP - 5% w/v : 500ml (Inj)	15-Nov-18	500	500	09-Jan-19
117	10281865403	DEXTROSE : IP - 5% w/v : 500ml (Inj)	26-Nov-18	700	700	06-Dec-18
118	10281902259	DEXTROSE : IP - 5% w/v : 500ml (Inj)	06-Feb-19	1600	1600	22-Feb-19
119	10281902257	DEXTROSE : IP - 5% w/v : 500ml (Inj)	06-Feb-19	2400	2400	21-Mar-19
120	10281902256	DEXTROSE WITH SODIUM CHLORIDE : IP - 5% w/v +0.9%W/V : 500ml (Inj)	06-Feb-19	1200	1200	22-Feb-19
121	10281863022	DEXTROSE WITH SODIUM CHLORIDE : IP - 5% w/v +0.9%W/V : 500ml (Inj)	15-Nov-18	500	500	10-Jan-19
122	10281865396	DEXTROSE WITH SODIUM CHLORIDE : IP - 5% w/v +0.9%W/V : 500ml (Inj)	26-Nov-18	700	700	06-Dec-18
123	10281902252	DEXTROSE WITH SODIUM CHLORIDE : IP - 5% w/v +0.9%W/V : 500ml (Inj)	06-Feb-19	1800	1800	21-Mar-19
124	10281870194	DIAZEPAM : IP - 5 mg/ml : 2ml (Inj)	24-Dec-18	1900	1900	22-Jan-19
125	10281909869	DIAZEPAM : IP - 5 mg/ml : 2ml (Inj)	25-May-19	200	0	.
126	10281906307	Diclofenac Gel (Diclofenac Sodium 1% W/W), 30Gm Tube	06-Apr-19	1000	1000	01-Jun-19
127	10281909855	DICLOFENAC SODIUM : IP - 25 mg/ml : 3ml (Inj)	25-May-19	3000	0	.
128	10281904485	DICLOFENAC SODIUM : IP - 25 mg/ml : 3ml (Inj)	11-Mar-19	10000	10000	01-May-19
129	10281870334	DICLOFENAC SODIUM : IP - 25 mg/ml : 3ml (Inj)	27-Dec-18	20975	20975	13-Feb-19
130	10281906095	DICLOFENAC SODIUM(Enteric Coated) : 50 mg (Tab)	29-Mar-19	100000	100000	04-Jun-19
131	10281901052	DICLOFENAC SODIUM(Enteric Coated) : 50 mg (Tab)	12-Jan-19	93200	93200	17-Mar-19
132	10281910095	DICLOFENAC SODIUM(Enteric Coated) : 50 mg (Tab)	29-May-19	90000	90000	13-Jul-19
133	10281862366	DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE - 10 mg/ml : 2ml (Inj)	03-Nov-18	1400	1400	10-Jan-19
134	10281905344	DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE - 10 mg/ml : 2ml (Inj)	19-Mar-19	5000	5000	19-Apr-19
135	10281904476	DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	11-Mar-19	40000	40000	10-Jun-19
136	10281909914	DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	29-May-19	100000	0	.
137	10281862187	DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	03-Nov-18	44600	44600	27-Dec-18
138	10281909966	DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE :10mg/5 ml	28-May-19	1000	0	.
139	10281862444	DIGOXIN : 0.25 mg (Tab)	03-Nov-18	750	750	24-Jan-19
140	10281903346	DILTIAZEM HYDROCHLORIDE : 30 mg (Tab)	27-Feb-19	1200	1200	26-Mar-19
141	10281901477	DISODIUM HYDROGEN CITRATE : 1.53 gm/5 ml (-)	21-Jan-19	1100	1100	25-Mar-19
142	10281906311	DISODIUM HYDROGEN CITRATE : 1.53 gm/5 ml (-)	12-Apr-19	1000	1000	08-May-19
143	10281862374	DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE : USP - 50 mg./ml. : 5ml (Inj)	03-Nov-18	50	50	31-Jan-19
144	10281905438	DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE : USP - 50 mg./ml. : 5ml (Inj)	23-Mar-19	50	50	29-Apr-19
145	10281900464	DOMPERIDONE : 10 mg (Tab)	05-Jan-19	12100	12100	07-Mar-19
146	10281904477	DOMPERIDONE : 10 mg (Tab)	11-Mar-19	10000	10000	19-May-19
147	10281910863	DOMPERIDONE : 10 mg (Tab)	03-Jun-19	15000	0	.
148	10281901696	DOPAMINE HYDROCHLORIDE :- 40 mg/ml : 5ml (Inj)	25-Jan-19	200	200	31-May-19